



# ए आई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड



## वार्षिक रिपोर्ट

2020-2021

एआर इंडिया इंजीनियरिंग  
सर्विसेस लिमिटेड

## विषय–सूची

पृष्ठ सं.

1. निदेशक—मंडल	1
2. अध्यक्ष का संदेश	2
3. निदेशकों की रिपोर्ट	5
4. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (2020–21)	27
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	53
6. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	59
7. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन—पत्र	81
8. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा	82
9. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	83
10. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण	84
11. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां	85

निदेशक—मंडल

(17.11.2021को)

श्री राजीव बंसल                          अध्यक्ष  
श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन  
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा  
सुश्री मीनाक्षी मल्लिक

**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

श्री जोस मैथू

**मुख्य वित्तीय अधिकारी**

श्री गोपाल कृष्ण वालेचा

**कंपनी सचिव**

सुश्री साक्षी मेहता

**सांविधिक लेखापरीक्षक**

मैसर्स प्रकाश चंद्र जैन एंड कं.  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

**पंजीकृत कार्यालय**

एअरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,  
नई दिल्ली—110001

## अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

कंपनी की वर्ष 2020–21 की सत्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

मैं वर्ष के दौरान कंपनी के निष्पादन पर इस अवसर पर प्रकाश डालता हूँ:

### कंपनी का निष्पादन

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान आपकी कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नलिखित है:

- प्रचालन राजस्व पिछले वर्ष में 1402.83 करोड़ रुपए से चालू वर्ष में 1160.02 करोड़ रुपए कम हो गया है और अवधि के दौरान कुल राजस्व 1427.58 करोड़ रुपए से कम होकर 1185.54 करोड़ रुपए हो गया यानी लगभग 242.05 करोड़ रुपए की कमी (17%)।
- इसके विरुद्ध, इसी अवधि में कंपनी का कुल खर्च 1320.38 करोड़ रुपए (पुनर्स्थापित) से कम होकर 1195.12 करोड़ रुपए हो गया, यह कटौती लगभग 125.26 करोड़ रुपए है (9.48%)।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 में 24.24 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ की तुलना में वित्त वर्ष 2020–21 में 11.94 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है।

गैर-वित्तीय निष्पादन के संबंध में, वित्त वर्ष 2020–21 में, कंपनी ने औसत आधार पर युप कंपनियों और थर्ड पार्टी ग्राहकों सहित लगभग 300 विमानों को हैंडल किया। कोविड महामारी में एआईईएसएल ने बंदे भारत उडान के तहत एअर इंडिया लिमिटेड बेडे को लाइन रखरखाव के साथ ही अंतरराष्ट्रीय ऑपरेटरों जैसे जजीरा एअरवेज, ओमान एअरवेज, मलेशियाई एअरलाइंस, कुवैत एअरवेज, टाइगर स्कूट, चाइना एअरलाइंस, एमए इंडो एअरलाइंस, इजिप्ट एअर आदि और भारतीय ऑपरेटर जैसे एअर एशिया इंडिया, गो एअर, स्पाइसजेट, फ्लाई बिग, टाटा विस्तारा की यात्री और कार्गो उडानों को सेवाएं प्रदान कीं।

जहां भी एआईईएसएल की क्षमता उपलब्ध है, वहां एआईईएसएल रक्षा तथा निजी क्षेत्र प्रचालकों को एमआरओ सेवाएं उपलब्ध करा रही है। आपकी कंपनी ने 2020–21 में घरेलू प्रचालक नामतः एअर एशिया इंडिया, टाटा एसआईए एयरलाइंस, स्पाइसजेट, गो एयर और इंडिगो एयरलाइन के लिए बेस अनुरक्षण का कार्य किया। इसके अलावा, एआईईएसएल ने एविएशन रिसर्च सेंटर (एआरसी), भारतीय वायु सेना, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और एचएएल के लिए प्रमुख रखरखाव का कार्य भी किया है। 2020–21 में एआईईएसएल ने निजी पार्टियों जैसे रिलायंस आरसीडीएल, ताज एयर चार्टर्स, जूम एअर, क्लब वन एअर और ब्ल्यूडार्ट विमानों के रखरखाव का कार्य किया।

वित्त वर्ष 2020–2021 में, कोविड महामारी के कारण हमने डीजीसीए द्वारा अनुमोदित संस्थानों के साथ किसी भी नए समझौते में प्रवेश नहीं किया था, परंतु डीजीसीए छात्रों को हम अपने पहले के समझौतों में उनके द्वारा अनुमोदित लगभग 35 संस्थानों को, सीएआर 147 बेसिक के तहत व्यावहारिक प्रशिक्षण तत्व (पीटीई) संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक एएमई संस्थान के पास लगभग 60 से 100 छात्र हर बैच में हैं। ये संस्थान मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में अपना पीटीई आयोजित कर रहे हैं।

इसके अलावा, आपकी कंपनी के पास 22 अंतरराष्ट्रीय एअरलाइनों और 3 घरेलू एअरलाइनों के लाइन रखरखाव कार्य के लिए पिछले तकनीकी हैंडलिंग समझौते थे। वर्ष के दौरान, एआईईएसएल ने नई अंतरराष्ट्रीय एअरलाइनों—मलेशियाई एअरलाइंस बरहाद, महान एअर, इजिप्ट एअर, ओमान एअर और बांगलादेश विमान के साथ उनके लाईन रखरखाव के लिए एसजीएचए (मानक ग्राउंड हैंडलिंग समझौता) पर हस्ताक्षर किए। आपकी कंपनी को कतार, कुवैत, जीएसीए (यूएई), सीएए सिंगापुर, सीएए श्रीलंका, सीएए नेपाल, सीएए थायलंड, सीएए मलेशिया, सीएए बांगलादेश और पीएसीए ओमान जैसे 11 विदेशी नागर विमानन प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त है। एआईईएसएल ने सीएए इजिप्ट के अनुमोदन के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया है।

एआईईएसएल के उत्तरी क्षेत्र में, दिल्ली के हैंगर में बी-737 विमानों के रखरखाव का कार्य करने के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदन

दिया गया और स्पाईसजेट विमानों का सी-चेक किया गया। इसके अलावा, एआईईएस, उत्तरी क्षेत्र ने सीएफएम लीप1A विमानों के चेक और भविष्य की मांगों को ध्यान में रखते हुए क्षमता में वृद्धि की है। इसी तरह, एआईईएल के पश्चिमी क्षेत्र में, एअरबस निओ विमान के पीडब्ल्यू 1100 इंजनों के लिए प्रैट और हिटनी इंजनों के चरण-1 चेक के लिए समझौता पूरा हुआ। नागपुर एमआरओ में, इंजन परीक्षण सेल ने जेनएक्स और जीई 90 इंजनों के लिए ईएसए और एफए दोनों प्राप्त किया है। जेनएक्स इंजन को नागपुर एमआरओ में क्यूटी (विवरणीय टर्ण) अनुरक्षण चेक की आवश्यकता होती है, हमने 4 क्यूटी चेक किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 12 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

एटीआर और भविष्य में एयरलाइंस द्वारा प्रचालित की जानेवाली निओ विमानों की भविष्य की मांगों को देखते हुए दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों की क्षमता में वृद्धि की गई।

### सामर्थ्य एवं चुनौतियां

कंपनी अपने ग्राहकों को उनके एमआरओ से संबंधित कार्य आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन देने के लिए, वह भी प्रतिस्पर्धी कीमतों और विश्व स्तर के प्रतिबद्धता मानकों पर देने के लिए भारतीय के साथ-साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भी जानी जाती है। तकनीकी रूप से कुशल जनशक्ति कंपनी की मुख्य ताकत है। हालांकि, कंपनी को समय के साथ तालमेल रखने के लिए और प्रौद्योगिकियों में बदलाव के साथ-साथ उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपने कौशल उन्नत करने और लगातार यूवा और उर्जावान जनशक्ति को काम पर लगाने की आवश्यकता होगी।

### भावी योजनाएं

कंपनी थर्ड पार्टी को मौजूदा क्षमताओं से संबंधित एमआरओ सेवाएं प्रदान करके (आक्रमक विपणन के माध्यम से) और नई क्षमताओं को प्राप्त करके राजस्व सृजन में सुधार करने की योजना बना रही है। एआईईएसएल ने विमान पुनर्वितरण व्यवसाय पर कब्जा करने के लिए ईएसए आधार रखरखाव क्षमता हासिल करने की योजना बनाई है। यह डीआरडीओ/आईएएफ/भारतीय नौसेना जैसे रक्षा क्षेत्र में अपनी एमआरओ सेवाओं का विस्तार करने का इरादा रखता है। हमारी लैंडिंग गियर औवरहाल क्षमता और सीएफएम 56-5बी इंजन औवरहॉल क्षमता से संबंधित ईएसए प्रमाणन प्राप्त करने के लिए, साथ ही ए320 निओ फैमिली एअरक्राफ्ट के विभिन्न घटकों की सेवा के लिए एटीईसी शॉप को अपग्रेड करने का इरादा भी रखती है।

### निगमित शासन

एआईईएसएल ने वर्ष के दौरान यथालागू लोग उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निगमित शासन पर जारी किए गए मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया है। विभिन्न मापदंडों का मूल्यांकन जैसे वित्तीय एवं तकनीकी मूल्यांकन भी, कंपनी द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ-साथ निगमित शासन के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरणों के पास भेजी गई है।

### आभार

मैं इस अवसर पर एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय तथा वेंडरों के सतत सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं। बैंकों तथा विनियामक एजेंसियों सहित अन्य सभी प्राधिकारियों द्वारा किए गए सहयोग के लिए भी आभारी हूं। बोर्ड के मेरे सहयोगियों द्वारा दिए गए उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए मैं आभारी हूं।

मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों को उनके सहयोग और कंपनी को लाभदायक बनाने के प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

बोर्ड की ओर से, हमेशा की तरह, मैं आपके निरंतर सहयोग की अपेक्षा करता हूं

## उद्देश्य

विनियामक तथा संरक्षा अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए ग्राहकों को सर्वोत्कृष्ट दर्जे एवं समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना।

## ध्येय

### ग्राहक

- संरक्षा के उच्च स्तर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए निवारक तथा सुधारात्मक अनुरक्षण के माध्यम से उड़नयोग्यता की निरंतर स्थिति में रखने के लिए कार्यभार उठाने वाले एवं इंडिया के बेड़े के सभी विमानों का अनुरक्षण करना।
- ग्राहकों को “एक ही जगह” समाधान अर्थात् “वन स्टॉप” सोल्यूशन उपलब्ध कराना।
- तेज टर्न अराऊंड समय।
- भारत से तथा भारत के आस-पास के अधिकतम थर्ड पार्टी कार्य प्राप्त करना।

### प्रक्रिया

- नागर विमानन नियम 147 के अधीन नागर विमानन महानिदेशालय का अनुमोदन प्राप्त करना।
- अपने सभी संस्थापनों तथा सुविधाओं के लिए एफएए तथा ईएएसए अनुमोदन प्राप्त करना।
- अधिक से अधिक थर्ड पार्टी कार्य के लिए आक्रमक विपणन नीति।
- उसे विभाग केंद्रित होना चाहिए ताकि, सुपुर्दगी किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रत्येक विभागीय प्रमुख जिम्मेदार होगा जिससे समग्र विज़न पूरा किया जा सके।
- गुणवत्ता लेखा-परीक्षा आदि के माध्यम से गुणवत्ता की निरंतर मॉनीटरिंग।
- सेवाओं के उन्नयन हेतु निरंतर प्रयास, गुणवत्ता सेवा तथा लागत प्रभाविता के संबंध में उच्चतम ग्राहक संतुष्टि प्रदान करना तथा महत्वपूर्ण संबंध को दीर्घावधि तक बनाए रखने का सुनिश्चय करना।
- गुणवत्ता मानक के साथ समझौता किए बगैर विश्व स्तर का एमआरओ बनने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना।
- कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपस्करणों के जरिए क्षमता का उन्नयन तथा बढ़ोत्तरी।
- उत्पादकता बढ़ाने के लिए परस्पर प्रशिक्षण के माध्यम से कार्मिकों की कुशलता को बहुआयामी बनाना।
- प्रचालनात्मक लागत को इष्टतम बनाना।

## निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और प्रचालन पर अपनी सोलहवीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उस पर कैग की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

### 1.1 वित्तीय सारांश एवं विशेषताएं

वर्ष के दौरान कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है :—

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष (पुनर्स्थापित)	(करोड़ रुपए में)
कुल राजस्व	1185.54	1427.59	
कुल व्यय	1195.12	1320.38	
कर पूर्व लाभ (हानि)	(9.58)	55.57	
कर का प्रावधान घटाकर	00	0.02	
कर पश्चात लाभ	(9.58)	55.57	
अन्य व्यापक आय	21.52	(31.33)	
कुल व्यापक आय	11.94	24.24	
पिछले वर्ष के लाभ का अग्रानीत किया गया शेष	(2396.95)	(2421.19)	
तुलन पत्र को अग्रेषित शेष	(2385.01)	(2396.95)	

### 1.2 वित्तीय विवरणों अथवा बोर्ड रिपोर्ट के संशोधन का विवरण

कंपनी ने पिछले तीन वित्त वर्षों के संबंध में वित्तीय विवरणों अथवा बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 131(1) में उल्लेख के अनुसार कोई संशोधन नहीं किया है। परंतु, इस वर्ष की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2019–20 के वित्तीय विवरणों को फिर से बताया गया है।

### 1.3 लाभांश

निदेशक वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं कर रहे हैं।

### 1.4 निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के लिए दावा न किए हुए लाभांश का स्थानांतरण

चूंकि पिछले वर्षों से कोई न चुकाया हुआ/दावा न किया हुआ लाभांश नहीं था, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं हुए।

### 1.5 बोर्ड द्वारा प्रस्तावित आरक्षित की जानेवाली राशि

कंपनी के बोर्ड ने शून्य राशि आरक्षित करने का निर्णय/प्रस्ताव किया है।

### 1.6 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान मुख्य घटनाएं और महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने फरवरी 2020 में नोवेल कोरोना वायरस बीमारी (COVID-19) को वैश्विक महामारी घोषित किया और भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में तालाबंदी की घोषणा की गई। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का समय–समय पर वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन और सामाजिक दूरी को लागू करने के बाद कंपनी द्वारा आवश्यक सेवाओं

को छोड़कर देश भर में फैली अपनी सभी इकाइयों में अनुसरण किया गया।

1.6.1 औसत आधार पर, एआईईएसएल द्वारा 2020–21 के दौरान एआई समूह की कंपनियों के बेड़े का विवरण, इस प्रकार है:

विमान का प्रकार	विमान की औसत संख्या
ए319	21.4
ए320	36
ए321	20
बी787	27
बी777	16
बी747	4
एटीआर	18
बी737	24
<b>कुल</b>	<b>166.4</b>

1.6.2 एआई समूह के लिए उपयोग / टीडीआर (तकनीकी प्रेषण नियमितता) प्राप्त :

एआईईएसएल ने विश्वस्तरीय विमानन मानक की तुलना में तकनीकी प्रेषण नियमितता (टीडीआर) और उपयोग बनाए रखी। बेड़ावार टीडीआर और उपयोग निम्नलिखित है :

बेड़ा प्रकार	प्रचालन बेड़े पर दैनिक उपयोग (ब्लॉक घंट / एफएच घंटे)	कुल बेड़े पर दैनिक उपयोग (ब्लॉक घंटे / एफएच घंटे)	टीडीआर (%)
ए319	4.24/3.16	2.06/1.54	99.13
ए320	5.98/4.77	5.25/4.19	99.62
ए321	4.84/3.76	2.86/2.22	99.18
बी787	5.17/4.80	3.44/3.19	96.90
बी777	8.71/8.26	5.55/5.26	96.75
बी747	0.82/0.63	0.37/0.29	98.65
एटीआर 72-212, (600)	5:14 / 4:04	4:27/3:27	98.96
बी737	5.59/5.59	5.00/5.00	99.01

1.6.3 आपकी कंपनी के प्रचालन को विभिन्न क्षेत्रों/लाभ केन्द्रों में विभाजित किया गया है। वर्ष के दौरान उनका निष्पादन, महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा भविष्य की योजनाएं नीचे दी गई हैं:

I. **नागपुर एमआरओ :** (एमआरओ का स्वामित्व संचालित एअर इंडिया के पास था और कंपनी द्वारा प्रचालन किया जा रहा है)

इस अवधि के दौरान नागपुर एमआरओ का निष्पादन और उपलब्धियां निम्नानुसार थीं:

क. नागपुर एमआरओ में प्राप्त हुए विनियामक अनुमोदन और किए गए कार्य निम्न प्रकार से है :-

- इंजन शॉप: 3 लाइन जेनएक्स क्यूटी वर्क स्कोप शॉप का प्रचालन।
- लॉजिस्टिक्स: सामग्री लॉजिस्टिक्स संबंधी सहयोग सीधे एमआरओ से विक्रेता को और विक्रेता से एमआरओ तक का होता है। डीएचएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया।

यह इंजन TAT और SEZ औपचारिकताओं को कम करेगा।

- उपकरण खरीद: पीआरएसवी (निष्पादन रिस्टोरेशन शॉप विजिट) उपकरण खरीद की प्रक्रिया में हैं।  
वर्तमान स्थिति: 3 क्यूटी प्रचालन।  
उपकरण खरीद (योजना) के बाद:  
3 क्यूटी, 2 क्यूटी + 1 पीआरएसवी में परिवर्तित हो जाएगा।
  - सितंबर 2019 में जीईएनएक्स इंजनों के एक साथ 3 लाइन संचालन के लिए टूलिंग प्राप्त हुई। मल्टीलाइन इंडक्शन के लिए अतिरिक्त उपकरण प्राप्त होने के बाद, प्रशिक्षण इंजन लाया गया और अक्टूबर से नवंबर 2019 के दौरान एआईईएसएल कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद, एक पर क्यूटी जॉब इंजनों को 18 नवंबर 2019 और 19 सितंबर 2020 के दौरान पूरा किया गया।  
इसके अतिरिक्त, फरवरी 2021 तक क्यूटी के लिए 4 और इंजन प्रतिस्थापित किए गए हैं।
  - जीई90 और जीईएनएक्स इंजन परीक्षण के लिए एफएए अनुमोदन प्राप्त किया गया था।
  - वर्ष के दौरान जीई90 और जीईएनएक्स इंजन परीक्षण के लिए ईएएसए अनुमोदन भी प्राप्त हुआ।
- ख. वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान एमआरओ में की गई विमान जाच का एक अवलोकन:
- कुल “सी” जांच (बी777 विमान) की गई – 04
  - कुल चरण जांच (बी777 विमान) की गई – 14
  - कुल एकांत जांच (बी777 विमान) की गई – 02
  - कुल पारगमन जांच (बी777 विमान) की गई – 02
  - वर्ष 2020–21 में पूर्ण किए गए चेक (बी777 विमान) की कुल संख्या 22 थी और आरंभ के बाद से 118 चेक थे।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान:

- पूरे किए गए टैंक संशोधन की कुल संख्या थी – 4
- किए गए लैंडिंग गियर प्रतिस्थापनों की कुल संख्या थी – 1

ग. बैंक शॉप – बी777 के लिए स्वीकृति निम्नानुसार थी:

- सी6 – उपकरण : स्तर-3 तक स्लाईड रापट असेंबली और स्तर-2 तक लाईफ जैकेट का अनुरक्षण।
- सी15 – ऑक्सीजन : स्तर 2 तक पोर्टेबल ऑक्सीजन बोतल और स्तर-3 तक मुख्य ऑक्सीजन सिलेंडर असेंबली का अनुरक्षण।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, एमआरओ ने प्रमाणित किया है:

- 21 स्लाइडर
- 08 लाइफवेस्ट वर्कऑर्डर – (मात्रा 851 लाइफवेस्ट)
- 105 ऑक्सीजन बोतलें


घ. कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहती है:

- समग्र सामग्री की मरम्मत – C20 B777, B737, B787, A320 परिवार संरचनात्मक समूह के लिए
- केबिन सुरक्षा और उत्तरजीविता उपकरण
- विमान का वजन

- अपहोलेस्ट्री शॉप
- ड. भविष्य में प्रस्तावित दुकानें इस प्रकार हैं:
- बैटरी की दुकान
  - सामान की दुकान/बिजली की दुकान
  - एवियोनिक्स/आईएफई शॉप
  - एविओनिक्स शॉप
  - एसेसरिज शॉप

च. वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एमआरओ का राजस्व और व्यय निम्नानुसार था:

वित्तीय वर्ष	2020–21
राजस्व (रु.)	67.4 करोड़
व्यय (रु.)	17.7 करोड़



## II. तिरुवनंतपुरम (टीआरवी) एमआरओ

तिरुवनंतपुरम एमआरओ सुविधा में बेस मेंटेनेंस और शॉप मेंटेनेंस शामिल हैं। लाइन अनुरक्षण स्टेशन भी तिरुवनंतपुरम एमआरओ के अधीन हैं। तिरुवनंतपुरम एमआरओ द्वारा कुल 21 लाइन स्टेशनों का प्रबंधन होता है।

एआईईएसएल तिरुवनंतपुरम एमआरओ सुविधा मुख्य रूप से एअर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा प्रचालित बी737 विमानों के रखरखाव की जरूरतों के लिए समर्पित है, जिसमें कंपोनेंट ओवरहाल और रिपेअर शॉप, ऑक्सीजन चार्जिंग, बैटरी ओवरहाल और एनडीटी शॉप शामिल हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, एमआरओ ने स्पाइसजेट द्वारा प्रचालित थर्ड पार्टी के विमानों और विभिन्न पट्टेदारों के स्वामित्व वाले विमानों के लिए व्यापक कार्य किया है। एमआरओ ने थर्ड पार्टी के विमान (स्पाइसजेट) और विस्तारा का प्रमुख रखरखाव किया है, जो एआईएक्सएल से राजस्व के अलावा राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अर्जित करता है।

हालांकि, वर्ष 2020–21 के दौरान, एअरलाइन उद्योग में महामारी संबंधी मंदी के चलते, थर्ड पार्टी यानी विस्तारा और स्पाइसजेट से संबंधित केवल 8 विमानों का ही प्रचालन किया गया था।

एमआरओ में बेस रखरखाव की सुविधा है जो किसी भी समय दो विमानों को ट्रीन हैंगरों में प्रमुख जांच के लिए समायोजित करती है। एमआरओ अपने खुले एप्रन क्षेत्र में या नोज इन पोजिशन में अनुरक्षण के लिए दो अतिरिक्त विमान ले सकता है। एक विमान आम तौर पर या तो C1, C2 चेक सहित 12 वर्ष / 10 वर्ष / 6 वर्ष / 8 वर्ष की जांच

के दौरान लंबे समय की ग्राउंडिंग में है और दूसरा फेज जांच और मासिक जांच के लिए खड़ा है।

एमआरओ कई लाइन रखरखाव विमानों को भी पूरा करता है जिन्हें आधार रखरखाव सुविधाओं की आवश्यकता होती है जैसे कि घटक परिवर्तन, दोष सुधार, इंजन और एपीयू परिवर्तन आदि।

**क. प्रमुख उपलब्धियां:**

तिरुवनंतपुरम ने वर्ष 2020 में अपने बेस मेंटेनेंस और शॉप मेंटेनेंस के लिए यूएस रेगुलेटर एफएए अप्रूवल प्राप्त किया।

इस मंजूरी के साथ, एमआरओ ने विमान रखरखाव उद्योग में विश्वसनीयता अर्जित की है। एमआरओ अब अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए एफएए प्रमाणन के तहत थर्ड पार्टी की नौकरियों की तलाश कर रहा है। एमआरओ प्रमुख आधार रखरखाव कार्य करने के लिए स्पाइसजेट के साथ चर्चा कर रहा है।

**ख. एअर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित विमानों के लिए सांख्यिकी (वर्ष 2020–21) निम्नानुसार थी:**

○ बेडे में विमान का प्रकार	:	बी737-800 (सीएफएम56-7बी)
○ विमानों की संख्या	:	25 (अब, 24 विमान)
○ विमान का औसत उपयोग	:	5.61 घंटे / दिन
○ उडान/सप्ताह की संख्या	:	385
○ स्टेशन की संख्या (अंतरराष्ट्रीय)	:	14
○ स्टेशन की संख्या (अंतरदेशीय)	:	21
○ प्रेषण विश्वसनीयता	:	98.49

नोट: कोविड के कारण गल्फ क्षेत्र में प्रचालन पर प्रतिबंध हेतु, विमान का औसत उपयोग और प्रति सप्ताह प्रचालित उडानों की संख्या कम कर दी गई थी।

**ग. आधार रखरखाव (उत्पादन) सांख्यिकी: (अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक)**

- फेज जांच – 81
- मासिक चेक – 61
- वार्षिक चेक – 6
- एआईएक्स विमान पर सी जांच – 8
- स्पाइस जेट 6 – वार्षिक + सी 1, सी 2 जांच – 8 विमान

**घ. कंपोनेंट ओवरहॉल उत्पादन : (अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक)**

बेस रखरखाव के अलावा, एमआरओ सीओडी की शॉप पहियों और ब्रेक ओवरहाल, बैटरी ओवीएचएल, ऑक्सीजन चार्जिंग आदि का काम करती है, जिससे राजस्व का एक बड़ा हिस्सा पैदा होता है।

- व्हील (मेन और नोज) – मात्रा 658 (ओवरहॉल एवं टायर बदलना)
- ब्रेक – मात्रा 721 (ओवरहॉल एवं स्टैक बदलना)
- ऑक्सीजन – मात्रा 102 (चार्जिंग)
- बैटरियां – मात्रा 70 (ओवरहॉल एवं चार्जिंग)

**ड. वर्ष 2020–21 के लिए आय निम्नानुसार था:**

सुविधाओं ने अप्रैल 2020—मार्च 2021 के दौरान 25.35 करोड रुपए की बीएमडी और सीओडी शॉप के लिए संयुक्त राजस्व अर्जित किया है।

तिरुवनंतपुरम एमआरओ प्रशासन के तहत बी737 रखरखाव से कुल राजस्व, जिसमें लाइन रखरखाव, मुंबई की शॉप और थर्ड पार्टी की नौकरियां शामिल हैं, पिछले वर्ष के राजस्व 139.49 करोड रुपए के मुकाबले 62.43 करोड रुपए का राजस्व दर्ज किया गया है, जिसमें पट्टेदारों के स्वामित्व वाले विमानों के लिए किया गया कार्य शामिल है। तिरुवनंतपुरम एमआरओ (बेस और शॉप) के लिए खर्च रु. 23.25 करोड है।

एमआरओ और उसके नेटवर्क स्टेशनों में, एमआरओ राजस्व में पर्याप्त कमी के कारण कोविड से संबंधित मंदी बताया गया है। फिर भी, एमआरओ ने तिरुवनंतपुरम में स्पाइसजेट बेस मेट्रोनेंस चेक से लगभग 4.70 करोड रुपए का राजस्व अर्जित किया। वर्ष के दौरान कुल राजस्व में 39,89,692 रुपए का एमटीओ राजस्व शामिल है।

च. 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के दौरान एआईएक्सएल का तुलनात्मक बिलिंग सारांश निम्नानुसार था:

वित्त वर्ष	2018–19	2019–20	2020–21
कुल राजस्व	भारतीय रुपए 90,23,26,688.00	भारतीय रुपए 136,49,36,735.00	भारतीय रुपए 62,43,44,389.00

छ. भविष्य के प्रचालन की योजना के रूप में एमआरओ निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है:

- बी737, ए320 के लिए समग्र सामग्री/संरचनात्मक मरम्मत— सी 20 अनुमोदन
- डीजीसीए/एफएए/ईएएसए अनुमोदन के तहत पारिवारिक संरचनात्मक समूह
- विमान का वजनीकरण
- फायरेक्स वजनीकरण
- केबिन मरम्मत और नवीनीकरण/अपहोलेस्ट्री शॉप
- हीट एक्सचेंजर सफाई और परीक्षण

ज. भविष्य में प्रस्तावित दुकानें:

- वैमानिकी सहायक उपकरण मरम्मत की शॉप
- गैली इंसर्ट (ओवन, कॉफी, मेकर, बॉयलर आदि) मरम्मत की शॉप
- केबिन सुरक्षा और उत्तरजीविता उपकरण
- एमआरओ के पास एनेक्स बिलिंग सहित (बाहरी निवेश के साथ) एक एनबी पैंटिंग हैंगर बनाने की भविष्य की योजना है जो एटीईसी शॉप और कंपोनेंट ओवरहाल शॉप को लगभग 2.79 एकड़ के खाली प्लॉट में समायोजित कर सकती है।

III. जेईओसी (जेट इंजन ओवरहॉल कॉम्प्लेक्स) : इस अवधि के दौरान जेईओसी, दिल्ली का निष्पादन निम्नानुसार था:

- कुल उत्पादित इंजनों की संख्या 10 (एअर इंडिया के 06 और एअर एशिया के 04) थी।
- वर्ष के दौरान, एआई के कैप्टिव वर्कलोड के अलावा, बाहरी पार्टियों से अर्जित राजस्व, भारतीय 4.4 करोड के बराबर था (किराया, अतिरिक्त बिक्री और श्रमिक घंटे सहित)।
- कोविड-19 के कारण वर्तमान महामारी के बावजूद, जेईओसी पिछले वित्तीय वर्ष में मेसर्स एअर एशिया के 04 इंजनों को ओवरहाल करने में सक्षम था। इंडिगो, स्पाइस जेट जैसे ऑपरेटरों को, बोरस्कोप निरीक्षण और V2500 A5 आदि जैसे इंजन पर विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया। हमारी वर्तमान क्षमताओं के साथ बाहरी पार्टियों से लगातार

संपर्क करके उनके कार्यों को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- जेर्झओसी हमेशा स्थानीय विकास सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में बचत करने के लिए इच्छुक है, परंतु कोविड-19 महामारी के बीच कार्यभार में कमी और वित्तीय बाधाओं, जिसने स्थानीय मरम्मत और विकास को बाधित किया है, के कारण व्यवसाय प्रभावित हुआ। जेर्झओसी में ईएसए का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयास चालू और अंतिम चरण में हैं। ईएसए प्रमाणन पर, जेर्झओसी राजस्व तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
- वर्ष 2020-21 में जेर्झओसी द्वारा वसूले गए वारंटी दावे इस प्रकार हैं:

लीप 1ए	—	यूएसडी 461086.12
सीएफएम	—	यूएसडी 147846.28
कुल	—	यूएसडी 608932.40

#### IV. मुंबई बेस (पश्चिमी क्षेत्र) : इस अवधि के दौरान पश्चिमी क्षेत्र का निष्पादन निम्नलिखित था :

क. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ग्रुप बी द्वारा पूरे किए गए चेकों का अवलोकन नीचे दिया गया है:

मुंबई में किए गए चेकों का विवरण

- किए गए कुल 'डी' चेक — 2
- किए गए कुल 'सी' चेक — 8
- किए गए कुल 'फेज' चेक — 13
- किए गए कुल 'ए' चेक — 25
- किए गए कुल 'ट्रांजिट' चेक — 1,012

दिल्ली में किए गए चेकों का विवरण

- किए गए कुल 'ए' चेक — 119
- किए गए कुल 'ट्रांजिट' चेक — 3,219

ख. इंजन ओवरहाल (मुंबई) में मरम्मत / ओवरहाल किए गए इंजनों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

माह / वर्ष	पीडब्ल्यू4056	सीएफएम 56-7बी	जीई90	जेनेक्स	कुल
अप्रैल-19 से मार्च, 20	2	7	4	13	26

ग. थर्ड पार्टी से आय रु. 4321 लाख था। इस अवधि के दौरान किए गए थर्ड पार्टी कार्य मुख्य रूप से निम्नानुसार थे:

- एविएशन रिसर्च सेंटर के बी 707 विमान की बड़ी जांच।
- वीवीआईपी प्रचालन के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले बी737 विमानों का एल/जी ओवरहाल।
- स्पाइसजेट के बी737 विमानों की बड़ी जांच।
- वीवीआईपी प्रचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले दो बी777 विमानों का अनुरक्षण।

ड. विभिन्न शॉप में क्षमता वृद्धि को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है :

कंपोनेंट ओवरहॉल शॉप (सीओडी, ओल्ड एअरपोर्ट)

- ए320 लैडिंग गियर ओवरहाल सांताक्रुज पूर्व में स्थापित किया गया

- बी777, बी787 और बी737 के 34 घटक
  - विस्तारा बी787-9 छील का 1 घटक
- उपकरण ओवरहाल की शॉप (आईओडी, ओल्ड एअरपोर्ट)
- बी777 / बी787 के लिए घडी / माईक
  - कंट्रोल डिसप्ले यूनिट और कंट्रोल पैनल असेंबली बी777 / बी787
  - ऑक्सीजन बॉक्स असेंबली और ऑक्सीजन पैनल असेंबली बी777 / बी787
  - ऑक्सीजन दबाव रेगुलेटर बी777 / बी787
  - ऑक्सीजन वाल्व असेंबली बी777 / बी787
- इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरहाल शॉप (ईओडी, ओल्ड एअरपोर्ट)
- बी777 विमान का सॉलिड स्टेट कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर
  - बी777 और बी737 विमान के ऑडियो नियंत्रण कक्ष
  - ए320 और बी777 विमानों के मौसम रडार नियंत्रण कक्ष

#### V. दिल्ली बेस (उत्तरी क्षेत्र)

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में मुख्य घटनाएं इस प्रकार थीं :

- विस्तारा (8 बाहरी स्टेशनों पर) चंडीगढ़ में एअर एशिया और दिल्ली में श्रीलंकाई एअरलाइंस के लिए थर्ड पार्टी के प्रमाणन किए गए (कुल 1436 टीएचएफ तैयार किए)।
- एआईईएसएल और रक्षा मंत्रालय के बीच, सितंबर / अक्टूबर 2020 में प्राप्त 2 वीवीआईपी बी-777 विमानों की सेवा के लिए एलटीएमए पर हस्ताक्षर किए गए। इसके लिए बिलिंग उत्तरी क्षेत्र में की जा रही है।
- उत्तरी क्षेत्र ने एआई एमएमडी कार्यों को लेने और एआईईएसएल एमएमडी के लिए प्रक्रिया प्रवाह स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्य कुछ महीनों में पूरी तरह से स्थापित होने के क्रम में हैं।
- एआईईएसएल, उत्तरी क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 324.82 करोड़ भारतीय रुपए का राजस्व अर्जित किया है। (राजस्व वितरण एआईएल: 216.914 करोड़, एएएएल: 23.08 करोड़, एआईएक्सएल: 1.43 करोड़ और थर्ड पार्टी: 843.40 करोड़)।
- वीटी-आरकेके पर संरचना की मरम्मत का कार्य इन-हाउस किया गया। इसके परिणामस्वरूप लगभग 5 करोड़ भारतीय रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। यह एआईईएसएल द्वारा की गई इस तरह की पहली मरम्मत है।
- उत्तरी क्षेत्र से प्रचालित होने वाली वंदे भारत मिशन की सभी उड़ानें सफलतापूर्वक संपन्न हुईं।
- वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड रोकने संबंधी उचित व्यवहार और दिशा-निर्देशों / प्रोटोकॉल के लिए उचित उपाय किए गए।

#### VI. हैदराबाद बेस (दक्षिणी क्षेत्र) : वर्ष 2020–21 के दौरान निष्पादन का मुख्य आकर्षण (फ्लीट ए) इस प्रकार थीं:

क. क्लाइंट एअरलाइंस को दिया गया तकनीकी प्रमाणन और उनसे अर्जित राजस्व निम्नानुसार था:

- मैसर्स कंतर एअरवेज, मैसर्स कुवैत एअरवेज, मैसर्स एटिहाद एअरवेज, मैसर्स एअर विस्तारा, नेपाल एअरलाइंस और ए330 ए/सी के क्लाइंट एअरलाइंस एअरक्राफ्ट (ए320 परिवार ए/सी) का इंजीनियरिंग प्रमाणन दक्षिण क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों पर प्रति उत्पन्न दिया जाता है जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्लाइंट एअरलाइंस	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 (उडानों की सं.)							
	बीएलआर	सीसीजे	सीओके	एमएए	टीआरवी	वीजीए	वीटीजेड	कुल
एअर एशिया	--	--	--	--	--	--	49	49
एअर विस्तारा (निओ)	--	--	347	--	212	--	--	559
एअर विस्तारा (नॉन-निओ)	--	--	33	--	21	--	--	54
इतिहाद एअरवेज	--	--	--	--	2	--	--	2
कुवैत एअरवेज	5	1	--	13	39	14	--	72
नेपाल एअरलाइंस	1	--	--	--	--	--	--	1
कतर एअरवेज	1	81	--	--	85	--	--	167
कुल	7	82	380	13	359	14	49	904

- उपरोक्त स्टेशनों पर, हमने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान उडानों के लिए इंजीनियरिंग प्रमाणन दिया है, जिससे लगभग 111.59 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।
- चेन्नई में बाहरी पार्टियों के विमान के लिए इंजीनियरिंग हैंगर सुविधाएं देने के माध्यम से, हमने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 205.98 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है।
- हैदराबाद में बाहरी पार्टियों के विमान घटक सर्विसिंग के माध्यम से अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान हमने लगभग 15.76 लाख रुपए राजस्व अर्जित किया है।

ख. एमआरओ कॉम्प्लेक्स, आरजीआईए, शमशाबाद में की गई प्रमुख जांच गतिविधि :

- एमआरओ में, ए-320 फैमिली एअरक्राफ्ट पर 68 पैकेजों के साथ "31" ए-चेक
- एटीआर-72 एअरक्राफ्ट पर "14" प्रमुख जांच और
- एटीआर-72 एअरक्राफ्ट और अन्य संरचनात्मक मरम्मत कार्यों पर "10" वजन और एनडीटी

ग. इंजीनियरिंग ट्रेनिंग स्कूल, सीटीई, हैदराबाद : हैदराबाद में बाहरी एजेंसियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके हमने लगभग 3.12 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

घ. एमई प्रशिक्षुओं/समाविष्ट प्रशिक्षुओं/परियोजना कार्य से राजस्व : इस अवधि के दौरान, हमने एमई प्रशिक्षुओं/नौकरी प्रशिक्षुओं (6 महीने और 1 महीने नौकरी प्रशिक्षण पर) को प्रवेश देकर 10.45 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

ङ. एएसएल से राजस्व (कंपोनेंट सर्विसिंग/एलएम/मेजर मेंटेनेंस) : इस अवधि के दौरान, हमने एएसएल (एलायंस एअर) से कंपोनेंट सर्विसिंग/मेजर चेक/एटीआर ए/सी के एलएम हैंडलिंग के माध्यम से 1778.52 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

च. एआईएल से राजस्व (कंपोनेंट सर्विसिंग/एलएम/मेजर मेंटेनेंस) : इस अवधि के दौरान, हमने ए320 फैमिली ए/सी के कंपोनेंट सर्विसिंग/मेजर चेक/एलएम हैंडलिंग के माध्यम से एआईएल (एअर इंडिया लिमिटेड) से 6375.45 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

छ. सीएआर 147 बेसिक एमटीओ प्रैविटकल से राजस्व; प्रशिक्षण: इस अवधि के दौरान, हमने 50.75 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है (छह बेसिक एमटीओ में से दो से चालान प्राप्त हुए जिनके साथ हमारे पास व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए समझौता ज्ञापन हैं)।

### VIII. कोलकता बेस (पूर्वी क्षेत्र)

वर्ष 2020-21 (फ्लीट ए) के दौरान निष्पादन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

## क. लाइन रखरखाव :

- बेस और बाहरी स्टेशनों पर एअरबस की उड़ानों का प्रमाणन :
  - प्रीफ्लाइट — 3240
  - ले ओवर इंस्पेक्शन — 330
  - साप्ताहिक इंस्पेक्शन — 177
  - 400 एफएचआई इंस्पेक्शन — 13
  - बाहरी स्टेशनों पर पीएफ — 4972
- बेस पर वाइड बॉडी एअरक्राफ्ट का प्रमाणन :
  - प्रीफ्लाइट — 119
- बेस और बाहरी स्टेशनों पर एटीआर उड़ानों का प्रमाणन :
  - ट्रांजिट चेक — 3168
  - रात्रि विश्राम — 332
  - ले ओवर इंस्पेक्शन — 244
  - साप्ताहिक इंस्पेक्शन — 126
  - 400 एफएचआई इंस्पेक्शन — 03
  - A1 से A9 चेक — 07
- क्लाइंट एअरलाइंस को दिया गया तकनीकी प्रमाणन :

पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों और कोलकाता में मेसर्स एयर विस्तारा, मेसर्स एयर एशिया, मेसर्स कतर, मैसर्स बिमान बांग्लादेश, मैसर्स सिंगापुर एयरलाइंस और मैसर्स सिल्क एयर के क्लाइंट एयरलाइंस एयरक्राफ्ट (ए 320 परिवार ए/सी) का इंजीनियरिंग प्रमाणन दिया जाता है जैसा कि नीचे दिया गया है:

2020–21 के दौरान थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण की संख्या (फ्लीट–ए)															
क्र.सं.	स्टेशन	एयरलाइंस	अप्रैल 20	मई 20	जून 20	जुलाई 20	अगस्त 20	सितंबर 20	अक्टूबर 20	नवंबर 20	दिसंबर 20	जनवरी 21	फरवरी 21	मार्च 21	फूल
1	बीबीआई	विस्तारा	0	8	32	21	24	43	63	60	62	55	56	61	485
2	आईएक्सआर	विस्तारा	0	4	26	20	23	30	35	37	61	61	55	61	413
3	जीएयू	विस्तारा	0	6	28	22	21	36	33	35	49	54	53	69	406
4	आईएक्सबी	विस्तारा	0	4	30	27	24	19	44	43	50	62	52	64	419
		एअर एशिया	0	6	58	62	-	-	-	-	-	-	-	-	126
5	डीआईबी	विस्तारा	0	2	30	30	31	30	29	30	15	31	31	35	294
6	आईएक्सझेड	विस्तारा	0	-	-	-	-	-	-	9	9	15	18	21	72

7	आईएक्सझेड	एअर एशिया	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8
8	पीएटी	विस्तारा	0	4	33	26	19	38	40	43	47	50	45	46	391	
<b>कुल</b>			<b>414</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>237</b>	<b>208</b>	<b>142</b>	<b>196</b>	<b>244</b>	<b>257</b>	<b>293</b>	<b>328</b>	<b>314</b>	<b>361</b>	

कोलकाता में 2020–2021 के दौरान किए गए थर्ड पार्टी प्रमाणपत्रों की संख्या															
क्र.सं.	स्टेशन	एयरलाइन्स	अप्रैल 20	मई 20	जून 20	जुलाई 20	अगस्त 20	सितंबर 20	अक्टूबर 20	नवंबर 20	दिसंबर 20	जनवरी 21	फरवरी 21	मार्च 21	कुल
1	सीसीयू	सिल्क एअर	0	8	32	21	24	43	63	60	62	55	56	61	<b>485</b>
2	सीसीयू	बिमान बांग्लादेश	0	4	26	20	23	30	35	37	61	61	55	61	<b>413</b>
3	सीसीयू	कतार	0	6	28	22	21	36	33	35	49	54	53	69	<b>406</b>
4	सीसीयू	सिंगापुर	0	4	30	27	24	19	44	43	50	62	52	64	<b>419</b>
<b>कुल</b>			<b>414</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>237</b>	<b>208</b>	<b>142</b>	<b>196</b>	<b>244</b>	<b>257</b>	<b>293</b>	<b>328</b>	<b>314</b>	<b>361</b>

➤ थर्ड पार्टी प्रमाणन से अर्जित राजस्व : 2020–21 के दौरान उडानों के प्रमाणन के लिए क्लाइंट एअरलाइंस से थर्ड पार्टी का राजस्व रु. 321.19 लाख (जीएसटी को छोड़कर) है।

ख. बेस अनुरक्षण पर प्रमुख जांच गतिविधि :

➤ बेस मेंटेनेंस, सीसीयू में, 2020–21 के दौरान ए–319 ए/सी पर किए गए चेकों की संख्या इस प्रकार है :

- ए–चेक — 30
- 2ए–चेक — 19
- 4ए–चेक — 08
- पैकेज (पी1 –पी25) — 48
- एआरसी — 14

➤ कोलकाता में बाहरी पार्टियों के विमानों के लिए इंजीनियरिंग हैंगर सुविधाएं देकर, हमने वित्त एआईईएसएल, ईआर द्वारा उठाए गए चालानों के अनुसार 2020–21 के दौरान 13.31 लाख रुपए (जीएसटी को छोड़कर) का राजस्व अर्जित किया है।

➤ 2020–21 के दौरान विविध कार्यों जैसे उपकरण का ऋण, नियत प्रभार आदि के माध्यम से 6.50 लाख रुपए का राजस्व (जीएसटी को छोड़कर)।

ग. इंजीनियरिंग प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता : ईटीएस, कोलकाता में बाहरी एजेंसियों को प्रशिक्षण सुविधाएं देकर हमने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान रु. 80.18 लाख (जीएसटी को छोड़कर) का लगभग राजस्व अर्जित किया है।

घ. IAF से राजस्व : इस अवधि के दौरान, हमने APU सर्विसिंग और IAF के घटकों से 61.40 लाख रुपए (GST को छोड़कर) का राजस्व अर्जित किया है।

- ड. ओवरहाल की शॉप का उत्पादन : ओवरहाल की शॉप पर सेवित घटकों की संख्या इस प्रकार है:
- |                      |   |                                     |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| ○ AF Accy OH शॉप     | — | 2082<br>(सर्विसिंग लाइफ जैकेट सहित) |
| ○ APU और इंजन OH शॉप | — | 45                                  |
| ○ इलेक्ट्रिकल OH शॉप | — | 132                                 |
| ○ उपकरण OH दुकान     | — | 1767<br>(वस्तुओं के अंशांकन सहित)   |
| ○ रेडियो ओएच शॉप     | — | 223                                 |
- च. एआईईएसएल से अर्जित राजस्व : एआईईएसएल, पूर्वी क्षेत्र द्वारा बिलिंग के अनुसार, 2020–21 के दौरान एआईईएल से विमान के प्रमाणन और प्रमुख अनुरक्षण के लिए 5542.96 लाख रुपए (जीएसटी छोड़कर) का राजस्व प्राप्त हुआ।
- छ. एएएसएल से अर्जित राजस्व : एआईईएसएल, पूर्वी क्षेत्र द्वारा बिलिंग के अनुसार 2020–21 के दौरान एटीआर उडानों के प्रमाणीकरण के लिए एएएसएल से राजस्व 440.29 लाख (जीएसटी को छोड़कर) है।
- ज. वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एआईईएसएल, कोलकाता की कुल आय इस प्रकार थी:

आय	राशि (भारतीय रुपए)
एआईएल विमान के रखरखाव से अर्जित राजस्व	रु. 5542.96 लाख
एएएसएल विमान के रखरखाव से अर्जित राजस्व	रु. 440.29 लाख
उडानों के प्रमाणन के लिए ग्राहक एअरलाइनों से तृतीय पक्ष राजस्व	रु. 321.19 लाख
इंजीनियरिंग ट्रेनिंग स्कूल, कोलकाता से राजस्व	रु. 80.18 लाख
आईएएफ से राजस्व	रु. 61.40 लाख
बाहरी पार्टी विमान को इंजीनियरिंग हैंगर सुविधाएं देने के माध्यम से आय	रु. 13.31 लाख
विविध कार्य करने से आय	रु. 6.50 लाख
कुल आय	रु. 6465.83 लाख

झ. प्रमुख उपलब्धियां:

- वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान ए319 विमान पर दो बारह वर्षीय एचएमवी चेक पूरा किया गया।
- 1 लाख रुपए से कम की लागत वाली वैक्यूम सीलिंग मशीन की खरीद के साथ सर्विस्ड लाइफ प्रिज़र्वर्स की वैक्यूम सीलिंग शुरू की गई। सर्विस्ड लाइफ प्रिज़र्वर्स का जीवन 5 वर्ष की पैकेजिंग की मौजूदा सिलाई पद्धति से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई।
- एएफ असेंबली ओवरहॉल शॉप में सफाई और परीक्षण प्रभावशीलता में काफी सुधार हुआ, जिसने पैक के अधिक गरम होने और बेहतर पैक निष्पादन के कारण हीट एक्सचेंजर्स, एअर साइकिल मशीनों जैसे विभिन्न घटकों को 'नो फॉल्ट फाउंड' हटाने से बचा लिया। हर समय पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के लिए न्यूनतम टीम।
- आईपीसीवी, सीएफएम56–5बी इंजन स्टाल के लिए पहचाने गए मुख्य घटकों में से एक है। सीएमएम सीमा के भीतर सरफेस को मशीन लैप करने और लीकेज को न्यूनतम तक लाने के लिए, कम लागत पर टीम असेंबली ओवरहॉल द्वारा देशज उपकरण को निर्मित और डिजाइन किया गया।

## VIII. विदेशी प्रचालन:

### क. काठमांडू

एआईईएसएल ने 11 सितंबर, 2019 को कंपनी रजिस्ट्रार, उद्योग वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय का कार्यालय के पंजीकरण संख्या 224110 / 076 / 077 के तहत काठमांडू में अपना लाइन रखरखाव कार्यालय पंजीकृत किया है।

एआईईएसएल के पास पहले से ही टर्मिनल बिल्डिंग में एक कार्यालय है और लाइन रखरखाव के सुचारू प्रचालन के लिए एअरसाइड (टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर) पर स्थान प्राप्त करने के लिए निदेशक-त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट, काठमांडू को प्रस्ताव दिया गया है। एआईईएसएल के पंजीकरण के पश्चात् हम मैसर्स टाटा एसआईए को उनके ए320 बेड़े के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ में, हमारे पास ए320 की क्षमता है और बी737 बेड़े के लाइन रखरखाव को करने के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है। ओमान एयर ने उनके दिनांक 11 मार्च, 2020 के मेल से पहले ही लाइन रखरखाव के लिए हममें अपनी रुचि दिखाई है। बी737 के लाइन रखरखाव के लिए आवश्यक उपकरण पहले से ही काठमांडू में तैनात किए गए हैं।

हमने कराधान और अन्य वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काठमांडू में एक सलाहकार को भी नियुक्त किया है।

### ख. सैफजोन

शारजाह यूएई में एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस की उडानें बीसीटी विमानन द्वारा हैंडल की जाती थीं। शारजाह, एअर इंडिया एअरक्राफ्ट पर साफा (SAFA) निरीक्षण का हॉटस्पॉट रहा है और एआई साफा स्कोर लगातार बढ़ती रही, जिसके परिणामस्वरूप घबराहट की स्थिति पैदा हो गई, जिससे यूरोप और गल्फ देशों के लिए एअर इंडिया के विमानों के प्रचालन, यूरोपीय संघ के विनियमन (ईसी) संख्या 2111 / 2005 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण गंभीर रूप से खतरा में पड़ गई। एअर इंडिया के विमानों को संभालने में बीसीटी एविएशन की क्षमता के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में संदेह बढ़ गया है। साफा स्कोर को कम करने के लिए, नवंबर 2016 में, एआईईएसएल ने बीसीटी एविएशन, साफा निरीक्षकों के साथ समन्वय करने और मूल कारणों का विश्लेषण करने के लिए, परीक्षण के आधार पर श्री रामिदर सिंह, उप महाप्रबंधक (ईजीनियरिंग) को एक महीने की अवधि के लिए नियुक्त करने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान, कोई साफा निष्कर्ष नहीं निकला। अगले समन्वयक का भी एक साफा निरीक्षण हुआ था। बीसीटी एविएशन की ओर से कुछ कमियों को वहां तैनात हमारे अधिकारियों द्वारा देखा गया और बीसीटी अधिकारियों को उक्त के बारे में बताया गया, जिन्हें उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने एअर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने का फैसला किया। इसके बाद, एक और समन्वयक और एएमई और सेवा अभियंता के एक टीम को एक महीने की पोर्टिंग पर एक स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में भेजा गया, जिसमें साफा या तकनीकी मोर्चे पर कुछ भी प्रतिकूल नहीं था।

थर्ड पार्टी के प्रचालन का एक और प्रतिकूल प्रभाव उस अवधि के दौरान देखा गया जब हमारे विमान को थर्ड पार्टी के सेवा प्रदाताओं के एएमई द्वारा प्रमाणित किया गया था, एओजी और रैप रिटर्न की संख्या में वृद्धि हुई थी, भले ही कंपनी एअर इंडिया के कम को संभाल रही हो। यह देखा गया है कि कई मौकों पर, हेडसेट पर पायलट इंटरेक्शन द्वारा हल की जा सकने वाली मामूली खराबी भी, आउटसोर्स एएमई द्वारा हैंडल किए जाने पर, रैप रिटर्न किया गया। इसी तरह, एओजी जैसी स्थितियों की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप खराब और सुस्त प्रतिक्रिया हुई जिसकी वजह से एओजी ड्यू क्रू एफडीटीएल हुआ। इसके बदले में एअर इंडिया वाणिज्य की ओर से लागत और प्रयासों में वृद्धि हुई। इस परिवृद्धि में असंतुष्ट यात्री एअरलाइन के लिए सबसे बड़ी चिंता है।

#### 1.6.4 राजभाषा कार्यान्वयन

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार (राभा), भारत सरकार के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के सभी विभागों द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन एआईईएसएल में एअर इंडिया के राजभाषा अनुभाग के परामर्श से किया जा रहा है।

### 1.6.5 औद्योगिक संपर्क

औद्योगिक संबंध वर्ष के दौरान मानव घंटों की हानि के साथ शांतिपूर्ण थे।

- विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है:
- कार्यपालक: 377 (327 स्थायी + 48 कॉन्ट्रैक्ट पर + 8 सेवानिवृत्त)
- कर्मचारी: 5092 (2484 स्थायी + 2534 कॉन्ट्रैक्ट पर + 74 सेवानिवृत्त)
- कुल: 5469 (2811 स्थायी + 2576 कॉन्ट्रैक्ट पर + 82 सेवानिवृत्त)
- उपरोक्त में से तकनीकी: 4449 (2561 स्थायी + 1817 कॉन्ट्रैक्ट पर + 71 सेवानिवृत्त)
- एअर इंडिया और अन्य सहायक कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी: 374
- अन्य कंपनियों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी : 284

### 1.6.6 आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

सरकार के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण नीति लागू की गई थी।

### 1.6.7 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का पालन

सभी चार क्षेत्रों और निगमित कार्यालय में नोडल अधिकारियों/सीपीआईओ/अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया है।

वर्ष के दौरान आरटीआई आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:

- वर्ष के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या : 88
- वर्ष के दौरान निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या : 88
- वित्त वर्ष के अंत तक लंबित आरटीआई आवेदनों की संख्या : शून्य

### 1.6.8 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के तहत प्रकटीकरण (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013

कंपनी में अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समय—समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति को रखा गया है। अधिनियम की धारा 22 के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में यौन उत्पीड़न के मामलों, यदि कोई हो, का विवरण निम्नानुसार है:

- वर्ष में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या: शून्य
- वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या: शून्य
- नब्बे से अधिक दिनों तक लंबित मामलों की संख्या: शून्य
- यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या: 03

कंपनी द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय: कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा कर्मचारी की तैनाती और समय—समय पर काउंसलिंग की जाती है।

### 1.6.9 एमएसई अनुपालन

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करने के लिए एआईईएसएल का हमेशा से प्रयास रहा है। एआईईएसएल ने एमएसई से निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति को लागू करने सहित कई कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एमएसई से वास्तविक खरीद 894.77 लाख रुपए थी।

### 2. सामान्य सूचना

मूल कंपनी, एअर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 7 अगस्त, 2010 को आयोजित बैठक में एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में हाइविंग ऑफ तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के थर्ड पार्टी ग्राहक से कार्यभार के अलावा एअर इंडिया और इसके अन्य सहायक कंपनियों के कैपिटिव लोड के अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) गतिविधियों की सेवाओं को पूरा करने के लिए एक लाभ केंद्र को मंजूरी दे दी थी।

तदनुसार एआईईएसएल के संचालन के लिए दिनांक 06 सितंबर, 2012 को कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त किया गया। विभिन्न सांविधिक और विनियामक प्राधिकरणों की आवश्यकताओं के साथ अनुपालन करने के पश्चात 1 जनवरी, 2015 में नागर विमानन नियम सीएआर 145 के अंतर्गत डीजीसीए से स्वतंत्र एमआरओ के रूप में प्रचालन करने के लिए अंतिम अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया।

कंपनी का नाम 03.08.2020 से “एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लि.” से बदलकर “एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि.” हो गया।

### 3. पूँजी संरचना

वर्ष के दौरान कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी 1000 करोड़ रुपए थी जिसे 10/- रु. प्रति शेयर के हिसाब से 100 करोड़ के शेयरों में बांटा गया।

वर्ष के दौरान कंपनी की प्रदत्त पूँजी 1666,66,65,000 थी, जो 10/- रु. प्रत्येक के इकिवटी शेयरों में विभाजित होकर 166,66,65,00 है।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई शेयर जारी नहीं किए गए थे।

### 4. प्रबंधन

#### 4.1 निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के निदेशकों के गठन के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	कार्यकाल समाप्ति की तिथि
1.	श्री राजीव बंसल	अध्यक्ष	14.02.2020	-
2..	श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन	निदेशक	23.03.2020	-
3.	श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा	निदेशक	02.02.2017	-
4.	श्री विनोद हेजमाडी	निदेशक	07.12.2015	11.09.2020
5.	सुश्री मीनाक्षी मल्लिक	महिला निदेशक	11.09.2020	-

#### महिला निदेशक:

सुश्री मीनाक्षी मल्लिक को महिला निदेशक और एआई नामित निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड पर एअर इंडिया द्वारा

11–09–2020 से नियुक्त किया गया था। तदनुसार, एअर इंडिया बोर्ड/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार श्री विनोद हेजमाडी उस तारीख से कंपनी के बोर्ड में नहीं रहे तथा बोर्ड की बैठकों के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

#### प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी):

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	कार्यकाल समाप्ति की तिथि
1.	श्री जगन्नाथ राघवन हाजीब	मुख्य कायपालक अधिकारी (सीईओ)	03.06.2019 (विस्तार)	31.10.2020
2..	श्री अरुण कुमार बंसल	सीईओ	01.11.2020	31.12.2020
3.	श्री सुब्रमण्यम सेंथिलकुमार	सीईओ	01.01.2021	31.05.2021
4.	श्री कपिल असेरी	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीईओ)	12.03.2018	09-11-2021
5.	श्री गगन बत्रा	कंपनी सचिव	25.04.2017	09-11-2021

श्री जोस मैथ्यू को 30.07.2021 से कंपनी के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है।

#### 4.2 निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अनुसार निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित कीं, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	बैठक	बैठक की तिथि	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	60वीं	21.07.2020	4	4
2.	61वीं	27.08.2020	4	4
3.	62वीं	28.10.2020	4	4
4.	63वीं	18.11.2020	4	4
5.	64वीं	07.12.2020	4	4
6.	65वीं	16.02.2021	4	3
7.	66वीं	30.03.2021	4	4

#### 4.3 समितियों की संरचना तथा परिवर्तनों का विवरण, यदि कोई:

##### लेखापरीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा समिति के गठन को निदेशक मंडल द्वारा इसकी 31 मार्च 2016 को हुई 42वीं बैठक में और उसके बाद 17 जनवरी 2018 को आयोजित 50वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई।

समिति का गठन, पदेन क्षमता में, 31 मार्च, 2021 तक निम्नानुसार था:

- |  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 1) सरकारी नामिती (श्री वी.ए. पटवर्धन)                      | — | अध्यक्ष         |
| 2) सरकारी नामिती (श्री एस.के. मिश्रा)                      | — | सदस्य           |
| 3) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया (श्री राजीव बंसल) | — | सदस्य           |
| 4) निदेशक वित्त, एअर इंडिया (श्री विनोद हेजमाडी)           | — | स्थायी आमंत्रित |

28–10–2020 को हुई 62वीं बोर्ड बैठक में लेखापरीक्षा समिति के संविधान को बदल दिया गया।

इसके बाद 31 मार्च, 2021 से आज तक पुनर्गठित लेखापरीक्षा समिति इस प्रकार है:

1)	सरकारी नामिती (श्री वी.ए. पटवर्धन)	—	अध्यक्ष
2)	सरकारी नामिती (श्री एस.के. मिश्रा)	—	सदस्य
3)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया (श्री राजीव बंसल)	—	सदस्य
4)	निदेशक वित्त, एअर इंडिया (श्री विनोद हेजमाड़ी)	—	विशेष आमंत्रित

#### नामांकन, पारिश्रमिक और हितधारक संबंध समिति:

होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद नामांकन और पारिश्रमिक समिति (NRC) का गठन किया जाना था। चूंकि एआईईएसएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इस मामले को होल्डिंग कंपनी यानी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के साथ उठाया गया था।

स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति एआईईएसएल के नियम 4(2) के संदर्भ में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (नियुक्ति और निदेशकों की योग्यता) नियम 2014 के अनुसार लागू नहीं होती है, क्योंकि वर्ष 2017 में दिनांक 05–07–2017 की अधिसूचना सं. जीएसआर 839 (ई) में संशोधन किया गया है और एनआरसी का गठन बाद में कंपनियों के नियम 6 (बोर्ड और इसके शक्तियों की बैठक) नियम 2014 के अनुसार लागू नहीं हुआ था, जैसा कि वर्ष 2017 में दिनांक 05–07–2017 की अधिसूचना सं. जीएसआर 839 (ई) में संशोधित किया गया है।

#### सीएसआर समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक सीएसआर समिति के गठन को शुरुआत में 08 नवंबर 2019 को आयोजित अपनी 58वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। 26 अगस्त 2021 को हुई 71वीं बैठक में पदेन क्षमता के तहत निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया गया।

1)	सरकारी नामिती निदेशक (श्री एस.के. मिश्रा)	—	अध्यक्ष
2)	सरकारी नामिती निदेशक (श्री वी.ए. पटवर्धन)	—	सदस्य
3)	होल्डिंग कंपनी के नामिति (सुश्री मीनाक्षी मल्लिक)	—	सदस्य

#### 4.4 निदेशक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति

##### नियुक्ति नीति :

एआईईएसएल एअर इंडिया लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के एसोसिएशन के लेख के अनुच्छेद 97 के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम नहीं होगी और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी जिसमें से सभी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल की अवधि निर्धारित करेगी और उनको हटा कर दूसरों की नियुक्ति कर सकती है तथा यदि कोई रिक्त स्थान है तो उसको भर सकती है। तदनुसार, कंपनी के लिए बोर्ड संरचना 26–12–2012 को एअर इंडिया/नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है।

##### पारिश्रमिक नीति :

निगमित मामले मंत्रालय की जून 05, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के कारण एआईईएसएल पर कंपनी के निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में धारा 197 लागू नहीं होती है।

#### 4.5 बोर्ड मूल्यांकन

निगमित मामलों के मंत्रालय के दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके का संकेत देने वाला विवरण बोर्ड के अपने निष्पादन और अपनी समितियों और व्यवित्तगत निदेशकों द्वारा कंपनी के लिए सरकारी कंपनी होने के नाते लागू नहीं है।

#### **4.6 मूल अथवा सहायक कंपनी से प्रबंध/पूर्ण कालिक निदेशक को प्राप्त होनेवाला पारिश्रमिक**

वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक नहीं था।

#### **4.7 निदेशक उत्तरदायित्व विवरण**

कंपनी के निदेशक मंडल इसकी पुष्टि करते हैं:

- (क) वार्षिक लेखा तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का अनुसरण करने के साथ—साथ महत्वपूर्ण लेनदेन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- (ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है एवं उनको लगातार लागू किया तथा निर्णय एवं आकलन किए हैं जो उचित और दूरदर्शी हों ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लाभ एवं हानि के संबंध में सही और उचित रिपोर्ट बता सकें।
- (ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने एवं पहचान करने के लिए, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने रिकॉर्ड के समुचित लेखांकन तथा रखरखाव की व्यवस्था की है।
- (घ) निदेशकों ने ऑन गोइंग कन्सर्न के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।
- (ङ.) कंपनी असूचीगत होने के कारण धारा 134(3) का उपखंड (ई) लागू नहीं होता।
- (च) निदेशकों ने एक समुचित प्रणाली तैयार की है ताकि लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जा सके तथा ऐसी प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं इसको सुनिश्चित किया जा सके।

#### **4.8 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण**

कंपनी के पास अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू हैं, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन करना; अपनी संपत्तियों की सुरक्षा; धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान; लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना जो कंपनी के संचालन के अनुरूप है, भी शामिल है।

इसके अलावा, कंपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करने की प्रक्रिया में है ताकि सभी क्षेत्रों की परिकल्पना सुनिश्चित की जा सके और स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, उपयोगकर्ता विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मैसर्स जी.एस. माथुर एंड एसोसिएट्स को आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। आंतरिक लेखा परीक्षक ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सहित एक व्यापक लेखा परीक्षा की है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना आवश्यक है।

#### **4.9 धोखाधड़ी से संबंधित प्रकटन**

लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड को सूचित नहीं किया गया।

#### **5. धारा 149(6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिए गए धोषणा पर वक्तव्य**

लागू नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी का कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

#### **6. वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से वार्षिक सामान्य बैठक की रिपोर्ट की तारीख तक प्रभावित सामग्री परिवर्तन या प्रतिबद्धताओं का विवरण**

वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से वार्षिक सामान्य बैठक की रिपोर्ट की तारीख तक कोई भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धता

प्रभावित नहीं हुई थी।

## 7. सहायक कंपनियों, एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम से संबंधित प्रकटन

कंपनी के पास कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम अथवा एसोसिएट्स कंपनी नहीं है।

## 8. जमा विवरण

कंपनी (एक्सेपटेंस ऑफ डिपॉजिट) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 76 के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

## 9. ऋण, गारंटियों एवं निवेशों का विवरण

वित्तीय विवरणों में ऋण, गारंटी एवं निवेशों के विवरण, यदि कोई हो, दिया गया है।

## 10. संबंधित पार्टीयों के साथ अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टीयों के साथ किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट/व्यवस्था/लेन-देन नागपुर में एमआरओ के अधिग्रहण को छोड़कर व्यापार के सामान्य क्रम में और निकटता के आधार पर थे। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान निर्धारित सीमा तक एमआरओ संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एअर इंडिया समूह कंपनियों (एअर इंडिया, एएएल, एआईएक्सएल, एआईएएसएल, एचसीआई और एआई सैट्स) के साथ संविदा के लिए लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। फॉर्म एओसी–2 में संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण संलग्न है। कंपनी के बोर्ड ने 07.12.2020 को हुई अपनी बैठक में बुक वैल्यू पर एअर इंडिया लिमिटेड से नागपुर में एमआरओ लेने के प्रशासनिक मंत्रालय के निर्णय को अपनी मंजूरी दे दी थी।

कंपनी के निदेशकों, प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई सामग्री संबंधी पार्टी लेनदेन नहीं था, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता था।

## 11. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रकटन

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 तक कोई लाभ अर्जित नहीं किया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2019–20 में, कंपनी ने पहली बार लाभ कमाया और तदनुसार सीएसआर समिति का गठन कंपनी द्वारा किया गया।

## 12. कर्मचारियों के पारिश्रमिक का विवरण

निगमित मामलों के मंत्रालय के तारीख 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463 (ई) के अनुसार कंपनी के नियम 5 (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित धारा 197 कंपनी के कर्मचारियों के विवरण के संबंध में कंपनी के सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं है।

## 13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समामेलन, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समामेलन: आपकी कंपनी ने ऊर्जा के गैर-नविनीकरण योग्य स्त्रोत के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किया तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का उपयोग किया।

(ख) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(भारतीय रूपए)	
आय	8,57,71,806.39
व्यय	94,61,94,365.72

## **14. जोखिम प्रबंधन**

कंपनी के पास वर्तमान में कोई जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है। इसलिए, कंपनी के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

## **15. रेगुलेटर्स के महत्वपूर्ण आदेश**

वर्ष के दौरान गोइंग कन्सर्न स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालन पर प्रभाव डालने वाले किन्ही नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा ट्राइब्यूनलों द्वारा कोई महत्वपूर्ण एवं वास्तविक आदेश पारित नहीं किए गए।

## **16. सतर्कता व्यवस्था स्थापित किए जाने का विवरण**

निदेशकों तथा कर्मचारियों द्वारा महत्वपूर्ण मामले की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता व्यवस्था स्थापित किए जाने के संबंध में धारा 177(9) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

हालांकि, होल्डिंग कंपनी अर्थात् एअर इंडिया का एक अलग सतर्कता विभाग है जो एआईईएसएल की गतिविधियों को भी कवर करता है।

## **17. सांविधिक लेखापरीक्षक**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए मैसर्स प्रकाश चंद्र जैन एंड कं., सनदी लेखाकार, मुंबई को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रबंधन के उत्तरों के साथ संलग्न है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं तथा अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

### **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की दिनांक 25.11.2021 की टिप्पणियां प्रबंधन के उत्तर सहित संलग्न हैं।

## **18. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत मैसर्स जे.पी. सैनी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को नियुक्त किया था। उनके द्वारा दी गई सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर/टिप्पणियां संलग्न हैं।

## **19. सचिवीय मानकों का अनुपालन**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 118(10) के अंतर्गत आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक आपकी कंपनी द्वारा लागू सीमा तक संकलित किए गए थे।

## **20. वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष**

कंपनी अधिनियम (नियम और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के अनुपालन में, वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष संलग्न है।

## **21. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट**

एक विस्तृत प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है।

## 22. निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर रिपोर्ट संलग्न है।

## 23. आभार

बोर्ड, नागर विमानन मंत्रालय, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, निगमित मामलों के मंत्रालय और अन्य एजेंसियों से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन को स्वीकार करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से  
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

हस्ता / —

राजीव बंसल

अध्यक्ष

डीआईएन: 00245460

दिनांक: 09.11.2021

स्थान: नई दिल्ली

## आचार संहिता

### घोषणा

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के लिए, सभी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया था।

हस्ता / –

(जोस मैथ्यू)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 09.11.2021

## प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (2020–21)

### वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण:

#### राजस्व

कुल अर्जित राजस्व 2019–20 के 1427.59 करोड़ रुपए की तुलना में 2020–21 के दौरान 1185.54 रहा यानी लगभग 242 करोड़ रुपए की कमी।

#### व्यय

वर्ष 2020–21 के दौरान किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष के 1320.38 करोड़ रुपए के आंकड़े की तुलना में 1195.12 करोड़ रुपए था, यानी लगभग 125.17 करोड़ रुपए की कमी।

### उद्योग विश्लेषण:

#### (विमान एमआरओ)

एशिया पैसिफिक अनुरक्षण, मरम्मत और प्रचालन (एमआरओ) बाजार में व्यवसायी सेवाओं को अपनाने के कारण पूर्वानुमान अवधि में अधिक वृद्धि देखने की उम्मीद है। इस क्षेत्र की लागत—प्रभावशीलता के कारण, अन्य देशों को आपूर्ति की जानेवाली स्पेयर पार्ट्स के लिए, इसे एक विनिर्माण केंद्र माना जाता है, जिससे अनुरक्षण, मरम्मत और प्रचालन (एमआरओ) उद्योग के विकास को काफी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण विनिर्माण कार्यों के तहत उपकरणों और सेवाओं के मानकीकरण के कारण बाजार में महत्वपूर्ण मांग देखने की उम्मीद है। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में बढ़ते निवेश के परिणामस्वरूप एशिया पैसिफिक क्षेत्र में उन्नत विनिर्माण तकनीकों की शुरूआत से बाजार के विकास में और वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के कारण, चीन में निवेश करने वाली कई कंपनियां अब अपने प्रचालन के लिए भारत और ताइवान जैसे अन्य एशियाई देशों में स्थानांतरित हो रही हैं। इससे आने वाले वर्षों में बाजार की वृद्धि को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की उम्मीद है।

दक्षिण पूर्व एशिया विमान एमआरओ बाजार का मूल्य 2020 में 4.2 बिलियन अमरीकी डालर है और पूर्वानुमान अवधि के दौरान 8.98% की सीएजीआर दर्ज करते हुए 2026 तक 6.5 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य तक पहुंचने की उम्मीद है।

पिछले दो दशकों में, दक्षिण पूर्व एशिया अत्याधुनिक विमानन ढांचे के साथ अपनी अनुकूल भौगोलिक स्थिति का अधिकतम लाभ उठा रही है। क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति और मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला ने कई एमआरओ कंपनियों के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में अपनी स्थिति में योगदान दिया है। अनुरक्षण क्षेत्र में विमान ऑपरेटरों के वित्तीय व्यापार मॉडल का एक बड़ा हिस्सा है।

सिंगापुर के उद्यमियों ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को उद्योग में प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में स्थापित किया है। उद्योग में सिंगापुर की सफलता के बाद, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के उद्यमी, सिंगापुर के खिलाड़ियों की सफलता को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी एमआरओ क्षमताओं को भी विकसित कर रहे हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया को विश्व स्तर पर, विमान एमआरओ के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है।

एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, प्रेडिकिटव मेटेनेंस, एअरक्राफ्ट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, कंपोजिट रिपेयर क्षमताओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा में तकनीकी प्रगति, आने वाले वर्षों में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी, क्योंकि पूर्वानुमान अवधि के उत्तरार्ध के दौरान उच्च राजस्व उत्पन्न करने के लिए, इस क्षेत्र के अधिकांश एमआरओ उद्यमी अपने प्रचालन को स्वचालन के माध्यम से सुव्यवस्थित करने का विकल्प चुनेंगे।

#### मार्केट ट्रेंड

पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में हवाई यातायात में वृद्धि ने एअरलाइन ऑपरेटरों पर अपने बेडे को प्रचालन स्थिति में बनाए रखने

का दबाव डाला है। चूंकि एशिया-पैसिफिक नए विमान वितरण के मामले में अन्य क्षेत्रों पर हावी है और दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से, वाणिज्यिक विमानन उद्योग के विकास के मामले में एक केंद्र बिंदु बन गया है। इस क्षेत्र में विमान अनुरक्षण की मांग को बढ़ानेवाले, बढ़ते हुए विमान बेडे की पूर्ति के लिए, ऑपरेटर अपनी क्षमताओं को तैयार कर रहे हैं। दशकों से, दक्षिण पूर्व एशिया में वाणिज्यिक विमान अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) बाजार में सिंगापुर में स्थापित उद्यमियों का वर्चस्व रहा है, जो क्षेत्र के अंदर और बाहर एअरलाइंस के लिख अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करती है। परंतु, पिछले कुछ वर्षों में, कई उद्यमियों ने इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में बाजार में प्रवेश किया है और सिंगापुर के स्थापित उद्यमियों के प्रभुत्व को चुनौती दी है। इंडोनेशिया जैसे देशों के कम श्रम लागत, विदेशी उद्यमियों को इन देशों में अपनी एमआरओ सुविधाएं स्थापित करने के लिए आकर्षित कर रही है। बाजार में प्रतिस्पर्धा में काफी वृद्धि के बावजूद, इस क्षेत्र की कई प्रमुख एअरलाइंसों में केवल न्यूनतम इन-हाउस अनुरक्षण क्षमताएं हैं और अधिकांश काम प्रतिद्वंद्वियों या स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं से संबद्ध कंपनियों को आउटसोर्स करते हैं। इस संबंध में, क्षेत्र में एअरलाइंस अपने इन-हाउस अनुरक्षण व्यवसायों को विकसित करके, थर्ड पार्टी और प्रतिद्वंद्वियों को नकदी बहिर्वाह में कटौती करने के लिए अपनी अनुरक्षण क्षमताओं को बढ़ा रही हैं। उदाहरण के लिए, एयरोएशिया द्वारा गरुडा मेंटेनेंस फेसिलिटी (जीएमएफ), देश में अधिक एअरलाइंसों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी इन-हाउस अनुरक्षण क्षमता में सुधार करते हुए, विदेशों में अपने एमआरओ कारोबार का विस्तार करने के लिए आक्रमक कदम उठा रही है। फरवरी 2020 में, पीटी गरुडा मेंटेनेंस फेसिलिटी एयरोएशिया टीबीके (जीएमएफ), ने एअरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस बिजनेस लाइन, सिंगल जैकस्क्रू गैन्ट्री सिस्टम में अपनी नवीनतम सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसी तरह, थाईलैंड का राष्ट्रीय ध्वज वाहक थाई एअरवेज इंटरनेशनल भी अपने एमआरओ व्यवसाय का विस्तार करने की शुरुआत कर रहा है। परंतु, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, वाणिज्यिक विमानन क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है और उद्यमियों के साथ-साथ भावी ग्राहकों के घटते आर्थिक भंडार के कारण, इस क्षेत्र में परिकल्पित एमआरओ परियोजनाओं पर अनिश्चितता अब मंडरा रही है।

## प्रतिस्पर्धी परदृश्य

दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में विमान एमआरओ सेवाओं का बाजार मध्यम रूप से समेकित है। सिंगापुर टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, जीएमएफ एयरोएशिया, सफ्रॉन एसए, स्टेंडर्ड एयरो और सेपांग एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग सेंडिरियन बेरहॉद बाजार के कुछ प्रमुख उद्यमी हैं। बहुत लंबे समय तक, बाजार में सिंगापुर में स्थित उद्यमियों का वर्चस्व था, लेकिन अब गतिशीलता बदल रही है और बढ़ते विमान बेडे और सिंगापुर की तुलना में कम श्रम लागत के कारण, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि जैसे देशों के बाजार में अन्य उद्यमियों के निवेश की झलक है। सुविधाओं के विकास, तकनीकी नवाचारों, संयुक्त उपक्रमों और साझेदारी में प्रमुख उद्यमियों से बाजार में भारी निवेश की झलक दिखाई पड़ रही है। नए उद्यमियों के प्रवेश से बाजार को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हुए, क्षेत्र में, उद्यमी अपनी एमआरओ क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। फरवरी 2020 में, एक एअरक्राफ्ट पेंट सेवा प्रदाता सेटिस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी एमआरओ क्षमताओं को विकसित करने के लिए बंबार्डियर के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। सेटिस ने दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़े निजी विमान अनुरक्षण केंद्रों (एमआरओ) में से एक, बंबार्डियर सिंगापुर सर्विस सेंटर में अपने प्रचालन की शुरुआत की घोषणा की। इस तरह की प्रगति से, पूर्वानुमान अवधि के दौरान बाजार को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की उम्मीद है।

## दक्षिण पूर्व एशियाई एमआरओ बाजार में एआईईएसएल के प्रतियोगी

- सिंगापुर टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग लिमिटेड
- एएआई कॉर्प
- एमटीयू अनुरक्षण (एमटीयू एअरो इंजन एजी)
- स्टेन्डर्ड एअरो
- गरुड इंडोनेशिया (जीएमएफ एअरोएशिया)
- गुआंगजौ एअरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (जीएएमईसीओ)
- जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन (जेट एविएशन)

- सफरान एसए
- रोल्स रॉयस पीएलसी
- एक्सीक्यूजेट एमआरओ सर्विसेस
- एविया सोल्यूशन ग्रुप पीएलसी
- टेक्सट्रॉन इंक.
- लुफ्थांसा टेक्निक एजी
- सेपांग एअरक्राफ्ट इंजीनियरिंग सेंडिरियन बेरहॉद

### इंजन एमआरओ:

2020 में एअरक्राफ्ट इंजन एमआरओ मार्केट का मूल्य लगभग 37.24 बिलियन अमरीकी डॉलर था और पूर्वानुमान अवधि (2021–2026) के दौरान लगभग 5.7% के सीएजीआर के साथ 2026 में लगभग 54.71 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ने का अनुमान है।

विमान इंजन एमआरओ बाजार पर, कोविड-19 महामारी का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। बड़ी संख्या में संग्रहीत विमानों और कम उपयोग के परिणामस्वरूप, विमान इंजन एमआरओ की मांग 2020 में काफी कम हो गई। परंतु, एअरलाइंस धीरे-धीरे अपने बेडे के उपयोग की दर में वृद्धि कर रही हैं, इसलिए मांग 2023 तक 2019 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है।

एअरलाइंस और सैन्य बलों के बेडे में तेज विस्तार की योजनाओं से, पूर्वानुमान अवधि के दौरान विमान इंजन एमआरओ बाजार के विकास में और बढ़ावा हो जाने का अनुमान है।

कुछ देशों में उम्र बढ़ने वाले सैन्य विमान बेडे महत्वपूर्ण मांग उत्पन्न करेंगे क्योंकि इनमें से कुछ देशों में रक्षा वित्त पोषण की कमी के कारण इन पुराने विमानों के सेवा काल को बढ़ाने की योजना है।

नए विमानों में नई पीढ़ी के इंजनों की शुरुआत से विमान के इंजन एमआरओ की मांग में और वृद्धि होने का अनुमान है क्योंकि पुरानी पीढ़ी के विमानों की तुलना में नए इंजनों में अधिक महंगी सामग्री की आवश्यकता होगी।

### बाजार ट्रेंड

वाणिज्यिक विमानन सेगमेंट में वर्तमान में उच्चतम बाजार हिस्सेदारी है और पूर्वानुमान अवधि के दौरान इसका प्रभुत्व जारी होने की उम्मीद है। यह मुख्य रूप से सैन्य विमानन की तुलना में वाणिज्यिक विमानन के विशाल बेडे और सामान्य विमानन की तुलना में इंजन अनुरक्षण की उच्च लागत के कारण है। हाल के वर्षों में एअरलाइनों और एमआरओ सेवा प्रदाताओं के बीच एअरक्राफ्ट इंजनों के अनुरक्षण के लिए कई नए कॉन्ट्रैक्टों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2019 में, जापान ट्रांसओसियन एअर ने वर्ष 2020 से एअरलाइन के बोइंग 737NG बेडे को ॲन-विंग सेवाओं, ॲफ-विंग अनुरक्षण समर्थन और तकनीकी सहायता जैसे इंजन एमआरओ सोल्यूशन की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए एसटी इंजीनियरिंग के साथ 15 वर्षीय इंजन रखरखाव-दर-घंटे (एमबीएचटीएम) समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, एमआरओ सेवा प्रदाता वाणिज्यिक इंजन एमआरओ सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों में अपनी उपस्थिति का विस्तार भी कर रहे हैं। इस संबंध में, अक्टूबर 2020 में, लुफ्थांसा टेक्निक ने डब्लिन में एक नई मोबाइल इंजन सेवा सुविधा खोली। नई 6,400 वर्ग फुट की सुविधा ने एअरबस ए320 क्लासिक और बोइंग 737 फेमिली एअरक्राफ्ट में क्रमशः सीएफएम56-5बी और सीएफएम56-7बी इंजनों को सेवाएं प्रदान करना शुरू किया। इस तरह के विस्तार से आने वाले वर्षों में सेंगमेंट के विकास में तेजी आने की उम्मीद है।

एशिया-पैसिफिक ने पिछले एक दशक में कुल विमान बेडे में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है जिससे इंजन एमआरओ सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका और यूरोप के कई एमआरओ सेवा प्रदाताओं ने इस क्षेत्र में अपनी अनुरक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं। इसके अलावा, विदेशी अनुरक्षण के लागत को कम करने के लिए, कई एअरलाइनों ने इन-हाउस क्षमताओं को विकसित करने के लिए इंजन एमआरओ सेवा प्रदाताओं के साथ भागीदारी की है। कॉन्ट्रैक्ट में एअरलाइन को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ इंजन ट्रेंड मॉनिटरिंग, ॲन-साइट सेवाएं और लीज इंजन सपोर्ट का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा, इस

क्षेत्र में अधिकांश सशस्त्र बल, वर्तमान में पुराने सैन्य विमानों का उपयोग कर रहे हैं। इसके कारण, सैन्य क्षेत्र से अनुरक्षण सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है।

## प्रतिस्पर्धी परिदृश्य

विमान इंजन एमआरओ के बाजार के प्रमुख उद्यमी लुफ्थांसा टेक्निक, रोल्स-रॉयस होलिंग पीएलसी, रेशियॉन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और सफ्रान एसए हैं। प्रमुख इंजन एमआरओ प्रदाता अपने इंजन एमआरओ ग्राहकों को विकसित करने के लिए दीर्घकालिक साझेदारी में प्रवेश कर रहे हैं या संयुक्त उद्यम बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, फरवरी 2021 में, हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और रोल्स-रॉयस ने नागरिक और रक्षा एअरोस्पेस बाजार के लिए आपूर्ति श्रृंखला के विस्तार के साथ-साथ अडोर एमके 871 इंजनों के लिए एक अधिकृत अनुरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नत तकनीक के उपयोग से इन कंपनियों को अपनी अनुरक्षण लागत कम करके नए ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। इस उपलक्ष्य में, नवंबर 2020 में, रोल्स रॉयस ने घोषणा की कि कंपनी, 20 उभरती प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए रीइंस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश कर रही है (जैसे कि जटिल भागों और अन्य के बीच के एम्बेडेड कैमरों तक पहुंचकर मरम्मत करने के लिए इंजनों में स्नेक रोबोट की तैनाती) जिसका उद्देश्य एअरलाइन व्यवधान और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए इंजन अनुरक्षण प्रक्रियाएं बढ़ानी है। परंतु, सशस्त्र बलों और एअरलाइंस के साथ, स्थापित हो चुके उद्यमियों दीर्घकालिक कॉन्फ्रैक्ट, नए उद्यमियों के बाजार में प्रवेश करने में बाधा के रूप में कार्य कर सकते हैं।

आमतौर पर क्षेत्रीय जेट 150 से कम सीटोंवाले छोटे विमान की मांग, एक निश्चित क्षेत्र, देश या महाद्वीप के भीतर छोटी दूरी की उड़ानों के रूप में बढ़ रही है। कथित तौर पर, क्षेत्रीय विमानन वैश्विक स्तर पर वार्षिक हवाई यातायात के 700 बिलियन उपलब्ध सीट किलोमीटर को पार कर लिया। पिछले दो दशकों में सबसे मजबूत यातायात के रूप में क्षेत्रीय विमानन परिवर्त हुआ है। यह अनुमान लगाया गया है कि कोविड-19 महामारी के बाद, टियर-2 और टियर-3 शहरों के बढ़ने, शहरीकरण और मेट्रो शहरों से दूर आबादी के प्रवास के कारण क्षेत्रीय एअरपोर्ट और छोटे यात्री विमान उच्च मांग में होंगे। इन कारकों के कारण, वाणिज्यिक विमान एमआरओ बाजार में क्षेत्रीय जेट सेंगमेंट वर्ष 2027 तक लगभग 10% की एक बड़ी हिस्सेदारी पर कब्जा कर लेगा।

## अवसर और खतरे

ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स इंक के सबसे हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार, वाणिज्यिक विमान एमआरओ बाजार में वर्ष 2027 तक 95 बिलियन अमरीकी डालर का मूल्यांकन दर्ज करने का अनुमान है। बढ़ते वैश्वीकरण के साथ-साथ बढ़ती आर्थिक वृद्धि ने दुनिया भर में हवाई यात्रा में काफी वृद्धि की है। विमान की बढ़ती मांग ने वाणिज्यिक विमानन क्षेत्र में अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवाओं की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। ये सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विमानों की उड़ान योग्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। इन सेवाओं के बढ़ते महत्व से आने वाले वर्षों में बाजार के दृष्टिकोण को बदलने की उम्मीद है।

कार्गो और यात्री विमान प्रचालक, सुरक्षित और परेशानी रहित उड़ानों की सुविधा के लिए विमान एमआरओ सेवाओं पर बहुत अधिक भरोसा करती हैं। चूंकि एअरफ्रेम मूल उपकरण के निर्माता, उत्पादन और विकास पर केंद्रित हैं, न कि बाद के बाजार पर, विमान एमआरओ उद्योग स्पष्ट रूप से विमानन क्षेत्र में एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में उभरा है। इसने एअरलाइन कंपनियों से, एअरलाइन थर्ड-पार्टी और स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं से एमआरओ सेवाओं को आउटसोर्स करने का आग्रह किया है जो वाणिज्यिक विमान एमआरओ बाजार के लिए पर्याप्त विकास के अवसर प्रदान कर रहे हैं।

वर्ष 2020 से पहले, हवाई यात्री यातायात और नए विमान ऑर्डर इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे थे, जिसने वैश्विक एमआरओ उद्यमियों को बाजार में प्रवेश करने और विस्तार करने के लिए आकर्षित किया। परंतु, कोविड-19 के प्रकोप से एअरलाइन और संबंधित उद्योगों में भारी गिरावट आई। प्रमुख एअरलाइनों ने अब अपनी विकास रणनीतियों का पुनर्गठन किया है, जिसमें कुछ विमानों की जल्दी सेवानिवृत्ति, नए विमानों की डिलीवरी को स्थगित करना, कर्मचारियों की संख्या में कटौती, प्रचालन को कम करना और प्रचालन लागत को अनुकूलित करना शामिल है। चूंकि अधिकांश बेडे 2020 में एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए ग्राउंड थे, कुछ एअरलाइनों ने इस अवधि के दौरान प्रमुख अनुरक्षण कार्य का विकल्प चुना।

## मानव संसाधन पर विकास

बोर्ड की रिपोर्ट में एक अलग पैरा के रूप में स्थायी, कॉन्ट्रैक्ट पर और प्रतिनियुक्ति सहित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का विवरण दिया गया है।

### आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

इसके संचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। कंपनी के पास अपने व्यवसाय के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मैसर्स जीएस माथुर एंड एसोसिएट्स को आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। आंतरिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों सहित एक व्यापक लेखापरीक्षा की है।

### सर्तक करनेवाला विवरण :

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में किया गया विवरण हो सकता है। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित से अलग—अलग हो सकते हैं। व्यावसायिक वातावरण और उद्योग परिदृश्य और भविष्य के दृष्टिकोण पर चर्चा, जहां कहीं भी उल्लेख किया गया है, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उल्पन्न जानकारी और विश्लेषण, विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचारों और प्रबंधन द्वारा भरोसा पर आधारित है। महत्वपूर्ण कारक जो बताए गए, स्पष्ट रूप से या निहित में अंतर कर सकते हैं, उनमें आर्थिक स्थिति, घरेलू के साथ—साथ वैशिक रूप से मांग और आपूर्ति बल, जो बाजार में चल रही हैं, नीतियां, नियम और सरकार के नियमन जो समय—समय पर संशोधित किए जाते हैं जिसमें कर कानून और अन्य प्रतिमाएं और साथ ही व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव डालने वाले अन्य आकस्मिक कारक शामिल हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से  
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

हस्ता /—  
राजीव बंसल  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 00245460

दिनांक: 09.11.2021

स्थान: नई दिल्ली

## निगमित शासन की रिपोर्ट

### 1. निगमित शासन कोड पर कंपनी सिधांत

कंपनी को अच्छे निगमित शासन पर पूरा विश्वास है और लगातार पालन कर रहे हैं। कंपनी की अनिवार्य प्रकृति पारदर्शिता, व्यावसायिकता तथा उत्तरदायित्व के मूल्यों पर आधारित है। कंपनी निगमित शासन के उच्चतम मानक को प्राप्त करने के लिए प्रतिबध्द है। निगमित शासन के संबंध में कंपनी का सिधांत इसके सभी प्रचालनों में पारदर्शिता, विवरण प्रस्तुत करना तथा कानून और विनियमों के अंतर्गत अंशधारकों की कीमत में वृद्धि सुनिश्चित करना है।

### 2. निदेशक—मंडल

एआईईएसएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तथा एअर इंडिया लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके निदेशकों की नियुक्ति हॉलिडंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से ज्यादा नहीं होगी जिनमें से सभी की नियुक्ति एअर इंडिया लि. द्वारा की जाएगी।

तदनुसार, दिनांक 26–12–2020 के आदेश के अनुसार एआईईएसएल के बोर्ड की रचना नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है।

#### क) 31 मार्च 2021 तक बोर्ड की रचना

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्री राजीव बंसल	अध्यक्ष (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया)
2.	श्री वी.ए. पटवर्धन	सरकार नामित निदेशक, (संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय)
3.	श्री एस.के. मिश्रा	सरकार नामित निदेशक, (संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय)
4.	सुश्री मीनाक्षी मल्लिक	महिला निदेशक (सीडी, एअर इंडिया)

श्री विनोद हेजमाडी के बदले 11–09–2020 से सुश्री मीनाक्षी मल्लिक को एअर इंडिया के महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

बोर्ड द्वारा श्री विनोद हेजमाडी की निदेशक के रूप में दी गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना की गई।

वर्ष के दौरान, बोर्ड और शेयरधारकों की सभी बैठकों की अध्यक्षता कंपनी के अध्यक्ष द्वारा की गई थी।

#### ख) बोर्ड की बैठकें

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं:

क्र.सं.	बैठक	बैठक की तारीख	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	60वीं	21.07.2020	4	4
2	61वीं	27.08.2020	4	4
3	62वीं	28.10.2020	4	4
4	63वीं	18.11.2020	4	4
5	64वीं	07.12.2020	4	4
6	65वीं	16.02.2021	4	3
7	66वीं	30.03.2021	4	4

### ग) आचार संहिता

सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, बोर्ड ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को अपनाया है। बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा संहिता के अनुपालन की एक प्रणाली है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन की घोषणा रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

### घ) बैठकों में निदेशकों और उनकी उपस्थिति का विवरण

निदेशक का नाम	उपस्थिति विवरण	अन्य कंपनियों का विवरण
	बोर्ड बैठकें	23 / 02 / 2021 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक
श्री राजीव बंसल, अध्यक्ष	7	नहीं
श्री वी.ए. पटवर्धन, निदेशक	6	हाँ
श्री विनोद हेजमाडी, 11.09.2020 तक निदेशक और उसके बाद विशेष आमंत्रित	2	हाँ
श्री एस.के. मिश्रा, निदेशक	7	नहीं
सुश्री मीनाक्षी मलिक, महिला निदेशक	5	हाँ

### ड.) बोर्ड की प्रक्रियाएं

निदेशक मंडल की बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। सामान्यतः बैठकें अग्रिम रूप से निर्धारित की जाती है। किसी आकस्मिकता या तत्कालिकता के मामले में परिपत्र के माध्यम से संकल्प पारित किए जाते हैं। बैठक की कार्यस्थिति संबंधित अधिकारियों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के द्वारा तैयार की जाती है और कंपनी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जाती है। बैठक के कागज़ात सामान्यतः मंडल के सदस्यों को अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। मंडल के सदस्य सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी मामले को शामिल किए जाने की सिफारिश करने के लिए स्वंतत्र है। वरिष्ठ कार्यपालकों को बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए यथावश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए आंमंत्रित किया जाता है।

## 3. बोर्ड समितियां

### लेखापरीक्षा समिति

निगमित शासन के भाग के रूप में और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है।

### क) समिति की रचना:

31 मार्च 2021 तक, पदेन क्षमता में निम्न लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे:

निदेशक का विवरण	समिति में पद
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय (श्री वी.ए. पटवर्धन)	अध्यक्ष
संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय (श्री एस.के. मिश्रा)	सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया (श्री राजीव बंसल)	सदस्य

ख) **विचारार्थ विषय:** लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(4) के तहत निर्धारित हैं:

- कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता एवं निष्पादन एवं लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता का निरीक्षण एवं निगरानी करना।
- वित्तीय विवरणों एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना।
- संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहार का अनुमोदन या कोई संशोधन करना।
- अंतर्निगमित ऋणों एवं विनिवेशों की संवीक्षा करना।
- कंपनी की अंडरटेकिंग अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जहां कहीं आवश्यक हो।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन पद्धतियों का मूल्यांकन करना।
- सार्वजनिक प्रस्तावों एवं संबंधित मामलों के माध्यम से उगाही गई तिथियों के अंतिम उपयोग की निगरानी।

ग) **समिति की बैठकें:**

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, वर्ष के लिए कंपनी की परस्पर वित्तीय विवरण सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान सात बार बैठक की थी:

क्र.सं.	बैठक की संख्या	बैठक की तारीख	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	15वीं	21.07.2020	3
2	16वीं	27.08.2020	3
3	17वीं	28.10.2020	2
4	18वीं	18.11.2020	3
5	19वीं	07.12.2020	3
6	20वीं	16.02.2021	3
7	21वीं	30.03.2021	3

#### निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुपालन में, बोर्ड ने समय-समय पर सतत विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने और उनकी समीक्षा करने के लिए 08–11–2019 को एक सीएसआर समिति का गठन किया। पदेन क्षमता में समिति में निम्न सदस्य शामिल थे:

निदेशक का विवरण	समिति में पद
संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
सीडी, एआर इंडिया	सदस्य

#### 4. निदेशकों को नियुक्ति और पारिश्रमिक

एआईईएसएल एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसके निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी/मंत्रालय द्वारा की जाती है। कंपनी के पास कोई पूर्णकालिक निदेशक नहीं है।

अंशकालिक (मनोनीत) निदेशकों को कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है।

कंपनी के पास कंपनी के निदेशकों में से किसी को भी निष्पादन पद्धति प्रोत्साहन भुगतान करने की नीति नहीं है।

सरकारी कंपनियों को आवश्यक कंपनी अधिनियम की धारा 178 के तहत निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति बनाने से छूट दी गई है।

कंपनी ने कोई स्टॉक ऑप्शन स्कीम शुरू नहीं की है।

#### 5. पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक आम बैठकें

इन बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

वार्षिक आम बैठकें / असाधारण आम बैठकें	बैठक की तिथि व समय	बैठक का स्थान	विशेष संकल्प
15वीं स्थगित वार्षिक आम बैठक	23.02.2021 को 1500 बजे	पंजीकृत कार्यालय: एआरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001	नहीं
15वीं वार्षिक आम बैठक	29.12.2020 को 1630 बजे	पंजीकृत कार्यालय: एआरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001	नहीं
असाधारण आम बैठक	13.07.2020 को 1500 बजे	पंजीकृत कार्यालय: एआरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001	हाँ
14वीं वार्षिक आम बैठक	21.11.2019 को 1415 बजे	पंजीकृत कार्यालय: एआरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001	हाँ
13वीं वार्षिक आम बैठक	26.12.2018 को 1730 बजे	पंजीकृत कार्यालय: एआरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001	नहीं
12वीं स्थगित वार्षिक आम बैठक	19.03.2018 को 1100 बजे	पंजीकृत कार्यालय: एआरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001	नहीं

मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि., जिसका पता सी 101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई 400 083 है, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से  
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

हस्ता / –  
राजीव बंसल  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 00245460

दिनांक: 09.11.2021

स्थान: नई दिल्ली

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसारण में  
31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष का

## फॉर्म संख्या एमजीटी 9—वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

### I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण

1.	सीआईएन	यू74210डीएल2004जीओआई125114
2.	पंजीकरण की तारीख	11 / 03 / 2004
3.	कंपनी का नाम	एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल) (पूर्व की एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड)
4.	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	लिमिटेड कंपनी शेयरों द्वारा/केन्द्र सरकार कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001. फोन नं. 011–23422000
6.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	जी, नहीं ।
7.	पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता और संपर्क विवरण	मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली-पश्चिम, मुंबई-400039.

### II. कंपनी की मुख्य व्यवसाय गतिविधियाँ (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक योगदान करने वाली सभी व्यवसाय गतिविधियों का उल्लेख करें)

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी का कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	तकनीकी हैंडलिंग, एमआरओ तथा अन्य सेवाएं	9987	100%

### III. होल्डिंग, सहायक तथा संबद्ध कंपनी का विवरण :

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीआईएन	होल्डिंग/ सहायक/ सहभागी	शेयरों का %	लागू धारा
1	एअर इंडिया लिमिटेड 113, एयरलाइन्स हाउस, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110 001.	यू62200डीएल2007जीओआई161431	होल्डिंग	100%	2 (46)

#### IV. शेयर धारिता का पैटर्न (कुल इकिवटी के प्रतिशत के रूप में इकिवटी शेयर पूंजी का ब्यौरा

##### क) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरहोल्डरों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2020 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2021 को)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) वैयक्तिक / एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	
(ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	
(ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	
(घ) निगमित निकाय	-	166,666,500	166,666,500	100	.	166,666,500	166,666,500	100	0.00
(ङ) बैंक / वित्तीय संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	
(च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	
प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता		166,666,500	166,666,500	100	.	166,666,500	166,666,500	100	0.00
ख. सार्वजनिक शेयर धारिता	लागू नहीं								

1. संस्थाएं									
(क) न्यूच्युअल फंड / यूटीआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) बैंक / वित्तीय संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) वैयक्तिक फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(छ) वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ज) विदेशी वैयक्तिक फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(झ) अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (ख) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. गैर-संस्थाएं	लागू नहीं								
(क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी)									
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) अनिवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अनिवासी भारतीय – गैर प्रत्यावर्तित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पदधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) निवेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-

v) हिंदू अविभाजित परिवार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) विदेशी निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) विदेशी नागरिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) क्लीयरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) न्यास	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) विदेशी निकाय – डी आर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1)+(ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	-	166,666,500	166,666,500	100	-	166,666,500	166,666,500	100	0.00

\* बॉडीज कॉर्पोरेट: 100% शेयरहोल्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट यानी एअर इंडिया लिमिटेड के पास अपने नामिती के जरिए है।

#### ख) प्रवर्तक की शेयरधारिता :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का %	
1	अपने नामितियों सहित एअर इंडिया लिमिटेड	166,666,500	100	शून्य	166,666,500	100	शून्य	0.00

प्रमोटरों की शेयरधारिता: कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसमें 10/- रुपए के 166,666,500 इक्विटी शेयर हैं, यानी भारतीय प्रमोटरों के पास संपूर्ण शेयरधारिता है।

#### ग) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें) :

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में धारित संचित शेयर की संख्या	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में					
	एअर इंडिया लिमिटेड	166,666,500	100%		
वर्ष के अंत में					
	एअर इंडिया लिमिटेड			166,666,500	100%

घ) पहले दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न : (निदेशक, प्रवर्तक तथा जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा) :

क्र. सं.	पहले 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में धारित संचित शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	लागू नहीं				
2					

ड) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक तथा प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में धारित संचित शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	शून्य				
	नोट : (इक्विटी शेयर केवल एअर इंडिया के नामितियों के पास होते हैं जिसमें निदेशक भी शामिल होते हैं)				
	कुल				

V. ऋणग्रस्तता—ब्याज बकाया/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(करोड़ रुपयों में)

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	.	.	.	.
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	.	.	.	.
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	.	.	.	.
कुल (i+ii+iii)	.	.	.	.
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* जोड़	.	.	.	.
* कमी	.	.	.	.
निवल परिवर्तन	.	.	.	.
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	.	.	.	.
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	.	.	.	.
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	.	.	.	.
कुल (i+ii+iii)	.	.	.	.

## VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक :

(आंकड़े रूपयों में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक का नाम					कुल राशि
	सीईओ को छोड़कर वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी में पूरे समय के निदेशक नहीं थे। केएमपी के तहत सीईओ का विवरण दिया गया है।						शून्य
1	सकल वेतन	—	—	—	—	—	—
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	—	—	—	—	—	—
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	—	—	—	—	—	—
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	—	—	—	—	—	—
2	स्टॉक विकल्प	—	—	—	—	—	—
3	स्वेट इविवटी	—	—	—	—	—	—
4	अन्य लाभ के प्रतिशत के रूप में कमीशन, उल्लेख करें	—	—	—	—	—	—
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्स टैक्स आदि)	—	—	—	—	—	—
	कुल (क)	—	—	—	—	—	—
	अधिनियम के अनुसार सीमा	—	—	—	—	—	—

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक : लागू नहीं

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	—	—	—	—	—	—
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	—	—	—	—	—	—
	कमीशन	—	—	—	—	—	—
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)	—	—	—	—	—	—
	कुल (1)	—	—	—	—	—	—
2	अन्य गैर अधिकारी निदेशक	—	—	—	—	—	—
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	—	—	—	—	—	—
	कमीशन	—	—	—	—	—	—
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	—	—	—	—	—	—
	कुल (2)	—	—	—	—	—	—
	कुल (ख) = (1+2)	—	—	—	—	—	—
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	—	—	—	—	—	—
	अधिनियम के अनुसार कुल मिलाकर सीमा	—	—	—	—	—	—

ग. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक :

(आंकड़े रूपयों में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक				
		मुख्य अधिशासी अधिकारी	कंपनी सचिव *	मुख्य वित्त अधिकारी	कुल	
	श्री एच.आर. जगन्नाथ (01.04.2020 से 31.10.2020)	श्री अरुण कुमार बंसल (01.11.2020 से 31.12.2020)	श्री सुब्रह्मण्यम संथिलकुमार (01.01.2021 से 31.03.2021)			
1	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	16,27,665	16,20,095	8,80,344	-	23,06,614 <b>64,34,718</b>
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	6,000	8,100	-	21,600 <b>35,700</b>
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-
3	स्वेट इविवटी	-	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-	-
	लाभ के % के रूप में	-	-	-	-	-
	अन्य स्पष्ट करें	-	-	-	-	-
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्स टैक्स आदि)	-	-	-	-	-
	कुल	<b>16,27,665</b>	<b>16,26,095</b>	<b>8,88,444</b>	-	<b>23,28,214 <b>64,70,418</b></b>

\* श्री गगन बतरा होल्डिंग कंपनी, यानी एआर इंडिया (एआई) में अपने कर्तव्यों के अलावा एआईईएसएल में कंपनी सचिव के पद पर हैं। उन्हें एआईईएसएल से शून्य पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है।

VII. दंड, सजा, अपराधों का कंपाउंडिंग : शून्य

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड / सजा / लगाए गए एकत्रित जुर्माने का विवरण	प्राधिकरण (आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट)	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
<b>क. कंपनी</b>					शून्य
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
<b>ख. निदेशक</b>					शून्य
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
<b>ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी</b>					शून्य
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से  
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

हस्ता / –  
राजीव बंसल  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 00245460

दिनांक: 09.11.2021

स्थान: नई दिल्ली

## फॉर्म सं. एओसी-2

**(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा(3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014  
के नियम 8 (2) के अनुसार)**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र जिसमें उसके तीसरे नियम के तहत कुछ निश्चित लेन-देन शामिल हैं।

**1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विस्तृत आधार पर विवरण:**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित को छोड़कर कोई अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था, जो निकट आधार पर नहीं था।

कंपनी के बोर्ड ने 07.12.2020 को हुई अपनी बैठक में बूक वैल्यू पर एअर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) से नागपुर में एमआरओ लेने के प्रशासनिक मंत्रालय के निर्णय को अपनी मंजूरी दे दी थी।

**2. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विस्तृत आधार पर विवरण:**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अधिनियम की धारा 188(1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में विस्तृत आधार पर थे।

संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	लेन-देन की अवधि	लेन-देन की मुख्य शर्तें	राशि (मिलियन में)
एअर इंडिया लि.(एआईएल) होल्डिंग कंपनी	प्रचालन से राजस्व	1 अप्रैल 2020-31 मार्च 2021	प्रचालन से राजस्व (आय)	6260.9
	1. एआई को देय राशि पर व्याज		व्यय	1321.2
	2. किराए का परिसर			513.3
	3. अन्य व्यय			1.7
	कुल खर्च			1836.2
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (एअर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)	1. प्रचालन से राजस्व	1 अप्रैल 2020-31 मार्च 2021	आय	459.1
	2. व्याज			117.4
	कुल आय	1 अप्रैल 2020-31 मार्च 2021		576.5
	व्यय		व्यय	7.4

एआई एअरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएसएल) (पूर्व की एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि.) (एअर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)	प्रचालन से राजस्व	1 अप्रैल 2020–31 मार्च 2021	प्रचालन से राजस्व (आय)	0.6
	हैंडलिंग प्रभार			
	ब्याज			व्यय
				98.90
	कुल व्यय			89.9
एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईएक्सएल) (एअर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)	प्रचालन से राजस्व	1 अप्रैल 2020–31 मार्च 2021	आय	803.4
	अन्य आय (ब्याज)			90.5
	कुल आय			893.9
	व्यय			-
	प्रचालन से राजस्व			0.3
एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्रा.लि. (एआईएसएटीएस)	हैंडलिंग प्रभार	1 अप्रैल 2020–31 मार्च 2021	प्रचालन से राजस्व (आय)	
	कॉन्ट्रैक्ट पर जनशक्ति का किराया			व्यय
	उपकरण का किराया / पट्टा			55.9
	अन्य व्यय			26.8
	कुल व्यय			15.6
भारतीय होटल निगम लि. (एअर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)	होटल व्यय—ड्यूटी पर	1 अप्रैल 2020–31 मार्च 2021	व्यय	1.41
	कर्मचारी			99.71
	कुल व्यय			

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से  
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

हस्ता / –  
राजीव बंसल  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 00245460

दिनांक: 09.11.2021  
स्थान: नई दिल्ली

## सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी  
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में

सदस्य,

एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,  
एअरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,  
नई दिल्ली-110001

मैंने एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (CIN:U74210DL2004GOI125114) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला और उस पर अपनी राय व्यक्त कर सका।

एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड की बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त की बहियों, दायर किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के आधार पर और इसके अलावा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, सचिवीय लेखापरीक्षा करते समय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि को रक्षित करते हुए सामान्यतः इसके अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके अतिरिक्त कंपनी के पास इसके नीचे दी गई रिपोर्टिंग की पद्धति से और उसके अधीन कंपनी के पास उपयुक्त व्यापक आधार की प्रक्रियाएं एवं अनुपालन प्रणाली मौजूद हैं :

क. मैंने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए रिटर्न एवं शर्तें तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की है, जो निम्न हैं :

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियम;
- समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के उपबंधों तथा बनाए गए एवं यथालागू नियमों का अनुपालन निम्नलिखित प्रेक्षण के अधीन किया है:

  - क) वित्त वर्ष 2019–20 से संबंधित कंपनी के वार्षिक खातों को 23 फरवरी, 2021 को स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा अपनाया गया था।
  - ख) कंपनी के निदेशक मंडल में 10.09.2020 तक की अवधि के दौरान कोई महिला निदेशक नहीं थी।
  - ग) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा 4 और 5 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में, चूंकि, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और 178 के प्रावधानों के साथ कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्ति) नियम, 2014 के नियम 6 का अनुपालन नहीं किया है।
  - घ) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के 178 के अनुसार कंपनी (बोर्ड की बैठकों और उसकी शक्ति) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार बोर्ड की पारिश्रमिक और नामांकन समिति का गठन नहीं किया है क्योंकि यह नियम 6 में उल्लिखित निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।

परंतु, दिनांक 5 जुलाई, 2017 की एमसीए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2017 की अधिसूचना के तहत, सार्वजनिक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जो गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

ग) जोखिम प्रबंधन नीति:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(द) के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि कंपनी की आम बैठक में प्रस्तुत वित्तीय विवरण के साथ उसके निदेशक मंडल की रिपोर्ट रखी जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा—

कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास एवं कार्यान्वयन दर्शाने वाला विवरण, जिसमें जोखिमों के तत्वों की पहचान यदि कोई हो, शामिल हो, जो बोर्ड के विचार में कंपनी के अस्तित्व के लिए जोखिम हो सकता है।

यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी जोखिम प्रबंधन नीति के विकास की प्रक्रिया में है।

लोक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों में भी इस पर जोर दिया गया है कि बोर्ड को निगमित और प्रचालन उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन प्रणाली से जुड़ा होना सुनिश्चित करना चाहिए और यह कि जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यवसाय का एक हिस्सा माना जाए।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षण पुनरीक्षण में कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रबंध वर्ग द्वारा निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है अतः उन्हें यहां फिर से उधङ्कृत नहीं किया जा रहा है।

- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप विधियां; (कंपनी पर लागू नहीं)
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक; (कंपनी पर लागू नहीं)
- (v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :

  - (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों एवं टेक ओवर्स का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; (कंपनी पर लागू नहीं)
  - (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 1992;
  - (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009; (कंपनी पर लागू नहीं)
  - (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999; (कंपनी पर लागू नहीं)
  - (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008; (कंपनी पर लागू नहीं)
  - (च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निर्गम पंजीकार तथा शेयर स्थानांतरण एजेंट) विनियम, 1993, जो कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार करने के संबंध में है; (कंपनी पर लागू नहीं)
  - (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; (कंपनी पर लागू नहीं) एवं
  - (ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998; (कंपनी पर लागू नहीं)

- (vi) विमानन क्षेत्र में निम्नलिखित कानून विशेष रूप से कंपनी के लिए लागू होते हैं:—
  - विमान अधिनियम, 1934

■ डीजीसीए द्वारा जारी नागर विमानन की आवश्यकताएं

और कंपनी ने प्रतिनिधित्व किया है कि एआईईएसएल को सीएआर 145 और सीएआर 147 के अंतर्गत डीजीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया है, दोनों को डीजीसीए ने जारी किया है। दोनों नियम, भारतीय विमान नियम 1937 के नियम 133बी के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विमान को प्रमाणित करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास सीएआर 66 के प्रावधान के अंतर्गत जारी लाइसेंस का होना आवश्यक है जो नियम 61 के अंतर्गत एक विनियम है। विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुपालन के लिए,

- क) एआईईएसएल ने नीति दस्तावेज को बनाया जिसे "मेटेनेस ऑरगनाइजेशन एक्स्पोजिशन (एमओई)" एवं "मेटेनेस ट्रेनिंग ऑरगनाइजेशन एक्स्पोजिशन (एमटीओई)" कहा जाता है। इन दस्तावेजों को डीजीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए डीजीसीए का अनुमोदन आवश्यक है।
- ख) एआईईएसएल गुणवत्ता प्रणाली की बार-बार आंतरिक लेखा परीक्षा की जानी आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक अनुभाग एमओई/एमटीओई के नियमों और प्रावधानों का अनुपालन करता है।
- ग) डीजीसीए वार्षिक निर्धारित लेखापरीक्षा करता है। डीजीसीए भी स्पॉट-चेक और अन्य आकस्मिक लेखापरीक्षा करता है।
- घ) एआईईएसएल द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में एआईईएसएल की लेखा परीक्षा एअर इंडिया तथा विभिन्न अन्य एअरलाइनों द्वारा की जाती है।
- ङ) अन्य देशों में पंजीकृत विमानों को एआईईएसएल द्वारा प्रमाणित किए जाने की स्थिति में एआईईएसएल विदेशी रेगुलेटर्स द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के भी अधीन हैं।
- च) एआईईएसएल को सर्विलेस लेखापरीक्षा करने वाले कई विदेशी रेगुलेटर्स जैसे ईएसए और एफएए द्वारा भी अनुमोदित किया गया है।

डीजीसीए द्वारा विमान नियम 1937 के 133ए के साथ पठित विमान अधिनियम 1934 की धारा 4 के तहत नागर विमानन आवश्यकताएं (सीएआर) जारी की गई है तथा कंपनी द्वारा डीजीसीए जांच प्रणाली के तहत इन आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है। यद्यापि विधि के विस्तृत सिद्धांत विमान 1937 में उल्लिखित है, विस्तृत आवश्यकताओं व अनुपालन प्रक्रियाओं के निर्धारण हेतु नागर विमानन आवश्यकताएं जारी की गई हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी ने विमानन कानूनों के तहत उक्त सीएआर का अनुपालन किया और कंपनी द्वारा ऐसे विमानन कानूनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है, जो डीजीसीए और अन्य नामित विशेषज्ञों/प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के पालन की परीक्षा भी की है :

- क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; और
- ख) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 14 मई, 2010 के का.ज्ञा.सं. 18(8)/2005-जीएम में निर्धारित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन संबंधी मार्गनिर्देश।
- ग) गैर-सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता हेतु कोई समझौते करना अपेक्षित नहीं था।

मैंने कंपनी में टेस्ट बेसिस के आधार पर लागू निम्नलिखित कानून के संबंध में अनुपालन ढांचे, प्रक्रिया और प्रणाली का निरीक्षण किया।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 : कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यौन उत्पीड़न विरोधी नीति तैयार की है। यौन उत्पीड़न संबंधित प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के

लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुपालन की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि उसकी समीक्षा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा एवं अन्य पदनामित व्यावसायिकों द्वारा की जानी है।

समीक्षा अवधि के दौरान तथा प्रबंधन द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और व्याख्या तथा अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः उपरोक्त विषय और उसमें उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन किया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि:

उपरोक्त अवलोकन के अधीन, कार्यपालक निदेशक, गैर कार्यपालक निदेशक और नामिती निदेशकों का समुचित तालमेल बिठाते हुए कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संयोजन में परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व नोटिस दी जाती है और जहां बोर्ड की बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जाती है, वहां कम से कम एक नामिती निदेशक की उपस्थिति सुनिश्चित की गई, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट भेजा गया तथा बैठक से पूर्व एवं बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए कार्यसूची पर और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई।

प्रबंध मंडल की प्रस्तुति के अनुसार बोर्ड की बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन एवं मेरे विश्वास के अनुसार कंपनी पर लागू कानून, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों को मॉनीटर करने एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रक्रिया एवं प्रणाली उपलब्ध है। यह सूचित किया गया है कि विभिन्न सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई मांगों, दावों, जुर्मानों आदि का कंपनी ने उत्तर दिया है तथा यथाआवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने 13 जुलाई, 2020 की असाधारण आम बैठक में अपने नाम को एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड में बदलने से संबंधित आवश्यक संकल्प पारित किए गए हैं।

जे.पी. सैनी एवं एसोसिएट्स के लिए  
कंपनी सचिव

हस्ता / –  
(जीवन प्रकाश सैनी)  
प्रोप्रायटर

एफसीएस नं. : 3671

सीपी नं. : 2100

तारीख: 2 नवंबर 2021

स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन: F003671C001357716

नोट 1 : उपरोक्त के संबंध में विशेष गैर-अनुपालन/टिप्पणी/लेखापरीक्षा क्वॉलीफिकेशन, संदेह अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां यथास्थान दी गई हैं।

नोट 2 : यह रिपोर्ट हमारे दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जाए जो परिशिष्ट "क" के रूप में संलग्न की गई है तथा इस रिपोर्ट का अविभाज्य भाग है।

## परिशिष्ट क'

सेवा में

सदस्यगण,

एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,  
एअरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,  
नई दिल्ली-110001.

समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए :

1. सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।
2. मैंने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की यथार्थता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा चलनों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। सत्यापन परीक्षण जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिंబित हों। मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं चलन हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ कहीं अपेक्षित हुआ है, मैंने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. निगम एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा परीक्षण, परीक्षण जांच के आधार पर क्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित था।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी का कारोबार किया है।

जे.पी. सैनी एवं एसोसिएट्स के लिए  
कंपनी सचिव

हस्ता /—  
(जीवन प्रकाश सैनी)  
प्रोप्रायटर

एफसीएस नं. : 3671  
सीपी नं. : 2100

तारीख: 2 नवंबर 2021

स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन: F003671C001357716

## वर्ष 2020–21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का उत्तर

	लेखापरीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
क	<p>वित्त वर्ष 2019–20 से संबंधित कंपनी के वार्षिक खातों को 23 फरवरी, 2021 को स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा अपनाया गया था।</p>	<p>वित्त वर्ष 2019–20 के कंपनी के वार्षिक खातों को बोर्ड द्वारा 18.11.2020 को आयोजित अपनी 63वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था।</p> <p>सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ लेखा कंपनी अधिनियम की आवश्यकताओं के मद्देनजर में उनकी टिप्पणियों के लिए सीएजी के कार्यालय को अग्रेषित किया गया था।</p> <p>चूंकि सीएजी की टिप्पणियां दिसंबर 2020 तक प्राप्त नहीं हो सकीं, जिन्हें वार्षिक आम बैठक में अपनाने से पहले वार्षिक खातों में संलग्न करना आवश्यक था, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वैधानिक आवश्यकता का पालन करने के लिए 29.12.2020 को आयोजित की गई थी और सीएजी टिप्पणियों के साथ खातों को अपनाने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था।</p> <p>सीएजी की टिप्पणियां 22.01.2021 को प्राप्त हुईं और 16.02.2021 को आयोजित 20वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक और 65वीं बोर्ड की बैठक में रखी गईं।</p> <p>बोर्ड की बैठक के बाद, सीएजी टिप्पणियों वाली कंपनी के अंतिम खातों को 23.02.2021 को आयोजित कंपनी की 15वीं स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक में रखा गया और अपनाया गया।</p>
ख	<p>कंपनी के निदेशक मंडल में 10.09.2020 तक की अवधि के दौरान कोई महिला निदेशक नहीं थी।</p>	<p>कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति एअर इंडिया लिमिटेड (एआई) द्वारा की जा सकती है।</p> <p>इसलिए सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए एआईईएसएल के बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्ति पर विचार करने का अनुरोध एअर इंडिया द्वारा नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) को किया था।</p> <p>एमओसीए के निर्देश पर, सुश्री मीनाक्षी मल्लिक को एआई द्वारा एआईईएसएल के बोर्ड में महिला निदेशक के रूप में 11.09.2020 से नामित किया गया था।</p>

ग	<p>कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा 4 और 5 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में, चूंकि, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और 178 के प्रावधानों के साथ कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्ति) नियम, 2014 के नियम 6 का अनुपालन नहीं किया है।</p>	<p>एआईईएसएल, एअर इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, एमसीए अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2017 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता से मुक्त है।</p>
घ	<p>कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के 178 के अनुसार कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्ति) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार बोर्ड की पारिश्रमिक और नामांकन समिति का गठन नहीं किया है क्योंकि यह नियम 6 में उल्लिखित निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।</p> <p>परंतु, दिनांक 5 जुलाई, 2017 की एमसीए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2017 की अधिसूचना के तहत, सार्वजनिक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जो गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।</p>	<p>एआईईएसएल एअर इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार क्रमशः 05 जुलाई, 2017 और 13 जुलाई, 2017 की एमसीए अधिसूचनाओं के तहत स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।</p>
ड.	<p>जोखिम प्रबंधन नीति:</p> <p>कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(ड) के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि कंपनी की आम बैठक में प्रस्तुत वित्तीय विवरण के साथ उसके निदेशक मंडल की रिपोर्ट रखी जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा—</p> <p>कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास एवं कार्यान्वयन दर्शाने वाला विवरण, जिसमें जोखिमों के तत्वों की पहचान यदि कोई हो, शामिल हो, जो बोर्ड के विचार में कंपनी के अस्तित्व के लिए जोखिम हो सकता है।</p> <p>यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी जोखिम प्रबंधन नीति के विकास की प्रक्रिया में है।</p> <p>लोक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों में भी इस पर जोर दिया गया है कि बोर्ड को निगमित और प्रचालन उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन प्रणाली से जुड़ा होना सुनिश्चित करना चाहिए और यह कि जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यवसाय का एक हिस्सा माना जाए।</p>	<p>गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई के लिए कंपनी अधिनियम और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में, एआईईएसएल में जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की जा रही है।</p>

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी दिनांक 26 अगस्त 2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की संपूरक लेखापरीक्षा की है। यह संपूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों के बिना तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों की जांच और कुछ लेखा खातों की चयनित जांच के साथ स्वतंत्र रूप से की गई है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों की बेहतर समझ को और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

#### क. लाभप्रदता पर टिप्पणियां

##### लाभ और हानि का विवरण

###### 1. राजस्व

###### प्रचालन से राजस्व (नोट-19) – रु. 1160.02 करोड़

क. मेसर्स जीई इंजन सर्विसेस, एलएलसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रावधान के लिए उपर्युक्त में 93.84 करोड़ रुपए शामिल हैं। उसी के लिए लेखांकन प्रविष्टि समझौते के अनुच्छेद 6.1 के आधार पर पारित की गई है। समझौते के अनुच्छेद 6.1 के अनुसार कुल 32,000,00 अमरीकी डॉलर मेसर्स जीई इंजन सर्विसेस, एलएलसी को नीचे दी गई तालिका के अनुसार देय था:

राशि	चालान की तारीख	भुगतान तिथि
\$ 12,000,000	प्रभावी तिथि	चालान जारी करने की तिथि से तीस (30) दिन

मेसर्स जीई इंजन सर्विसेस, एलएलसी ने अपना पहला चालान केवल 02 अप्रैल 2021 को 12,00,000 अमरीकी डालर के लिए प्रस्तुत किया था और 18 जून 2021 को कंपनी द्वारा इसका भुगतान किया गया था। कंपनी ने उपरोक्त मांग के खिलाफ 12 अप्रैल 2021 को भारतीय वायु सेना (मेसर्स जीई इंजन सर्विसेस, एलएलसी की सेवा का अंतिम उपयोगकर्ता) को चालान प्रस्तुत किया। उपरोक्त समझौते के अनुच्छेद 2.6 के अनुसार, अनुच्छेद 6.1 के अनुसार राशि में खरीद का पहला भुगतान तथा इस समझौते के तहत ग्राहक को मैसर्स जीई द्वारा सेवा क्रेडिट श्रृंखला के प्रावधान के लिए एक मिसाल है। इस प्रकार, भविष्य में दी गई आवश्यकता के लिए सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स जीई को राशि में खरीद के लिए पहली राशि का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसलिए, केवल समझौते पर हस्ताक्षर करने पर व्यय और राजस्व की बुकिंग क्रम में नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप 6.74 करोड़ रुपए राजस्व ( 93.84 करोड़ रुपए राजस्व और 87.10 करोड़ रुपए व्यय के लिए बुक किया गया), 93.84 करोड़ रुपए व्यापार प्राप्त और 87.10 करोड़ रुपए व्यापार देय से ज्यादा बताया गया है।

- ख. उपर्युक्त में एअर इंडिया लिमिटेड को सेवाएं देकर अर्जित की गई 57.39 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं है। बैस रखरखाव से संबंधित अनिर्धारित कार्य जिसमें 1633 मानव घंटे शामिल थे, मार्च 2021 के महीने के दौरान किया गया था और 2020–21 के बजाय वर्ष 2021–22 के दौरान बुक किया गया था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व और वर्तमान संपत्ति – व्यापार प्राप्तियों को 57.39 लाख रुपए से कम करके आंका गया है।

#### **ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ**

**तुलन पत्र**

**परिसंपत्तियाँ**

**वर्तमान परिसंपत्तियाँ**

##### **1. इन्वेंटरियां (नोट-5) – 82.82 करोड रुपए**

उपर्युक्त शीर्ष में अचल संपत्ति उचंत खाते के तहत उपकरणों के लिए 17.03 करोड रुपए की राशि शामिल है। उपरोक्त उपकरणों में राजस्व उपकरण (इन्वेंट्री) और पूँजीगत उपकरण (स्थिर संपत्ति) शामिल हैं। हालांकि, कंपनी ने उन्हें वर्गीकृत नहीं किया है और उन्हें संबंधित शीर्ष के तहत लिया है। इस प्रकार, पूँजीगत साधनों पर मूल्यहास के प्रभाव और लाभ और हानि के विवरण के लिए राजस्व उपकरणों को चार्ज करने का पता नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार, लाभ उस हद तक बताया गया है।

##### **2. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (नोट-11) – 18.81 करोड रुपए**

- क. उपरोक्त में मेसर्स टाटा टेक्नोलॉजीज (1.26 करोड रुपए) और मेसर्स सागर एशिया प्राइवेट लिमिटेड (0.91 करोड रुपए) को वर्ष 2017 के दौरान एआईईएसएल स्टेशनों पर बैस रखरखाव के लिए ट्रेस्टल और डॉक में उपयोग के लिए निश्चित ऊंचाई वाले मोबाइल स्टैंड और विंग स्टैंड की खरीद के लिए दिए गए 2.17 करोड रुपए की अग्रिम राशि शामिल है। संबंधित परिसंपत्तियों की प्राप्ति और उपयोग में आने के बावजूद, परिसंपत्तियों का पूँजीकरण नहीं किया गया था और उपरोक्त अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अग्रिम को 2.17 करोड रुपए से अधिक बताया गया है, परिसंपत्तियों को 1.39 करोड रुपए और मूल्यहास व्यय को 0.78 करोड रुपए से कम बताया गया है।
- ख. उपर्युक्त में अंशांकन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपकरणों के अंशांकन के लिए दिए गए 20.15 लाख रुपए की राशि शामिल है। वर्ष 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के दौरान परिसंपत्तियों के अंशांकन के पूरा होने के बावजूद, कंपनी उपरोक्त अग्रिम को समायोजित करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप व्यय को कम करके और अग्रिमों को 20.15 लाख रुपए से अधिक बताया गया है।

#### **ग. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी**

**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट**

##### **1. मत**

वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के लाभ और हानि का विवरण 11.94 करोड रुपए का लाभ दिखा रहा है। हालांकि, सांविधिक लेखापरीक्षक ने कंपनी के लाभ के बजाय कंपनी के नुकसान पर अपनी राय दी। यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ऑडिटिंग मानक (एसए) 700 के अनुरूप नहीं है और स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस हद तक कम है।

##### **2. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक क**

अनुलग्नक में एक विवरण शामिल है कि 'हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड

के आधार पर' आयकर का कोई बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है। हालांकि, बाद के पैराग्राफ में आयकर विभाग और फोरम जहां मामला लंबित है, द्वारा उठाई गई मांगों का विवरण सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किया गया है। यह सीएआरओ 2016 के खंड 3(vii)(b) के अनुरूप नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता. /—  
(रीना अकोइजाम)  
लेखापरीक्षा महानिदेशालय (इन्क्रास्ट्रक्चर)  
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 25 नवंबर 2021

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के लिए प्रबंधन के उत्तर

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर						
<p>क. लाभप्रदता पर टिप्पणियां</p> <p>लाभ और हानि का विवरण</p> <p>1. राजस्व</p> <p>प्रचालन से राजस्व (नोट-19) –</p> <p><b>1160.02 करोड रुपए</b></p> <p>क. मेसर्स जीई इंजन सर्विसेस, एलएलसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रावधान के लिए उपर्युक्त में 93.84 करोड रुपए घामिल हैं। उसी के लिए लेखांकन प्रविश्ट समझौते के अनुच्छेद 6.1 के आधार पर पारित की गई है। समझौते के अनुच्छेद 6.1 के अनुसार कुल 32,000,00 अमरीकी डॉलर मेसर्स जीई इंजन सर्विसेस, एलएलसी को नीचे दी गई तालिका के अनुसार देय था:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>राशि</th><th>चालान की तारीख</th><th>भुगतान तिथि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 12,000,000</td><td>प्रभावी तिथि</td><td>चालान जारी करने की तिथि से तीस (30) दिन</td></tr> </tbody> </table> <p>मेसर्स जीई इंजन सर्विसेस, एलएलसी ने अपना पहला चालान केवल 02 अप्रैल 2021 को 12,00,000 अमरीकी डालर के लिए प्रस्तुत किया था और 18 जून 2021 को कंपनी द्वारा इसका भुगतान किया गया था। कंपनी ने उपरोक्त मांग के खिलाफ 12 अप्रैल 2021 को भारतीय वायु सेना (मेसर्स जीई इंजन सर्विसेस, एलएलसी की सेवा का अंतिम उपयोगकर्ता) को चालान प्रस्तुत किया। उपरोक्त समझौते के अनुच्छेद 2.6 के अनुसार, अनुच्छेद 6.1 के अनुसार राशि में खरीद का पहला भुगतान तथा इस समझौते के तहत ग्राहक को मेसर्स जीई द्वारा सेवा क्रेडिट श्रृंखला के प्रावधान के लिए एक मिसाल है। इस प्रकार, भविष्य में दी गई आवश्यकता के लिए सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स जीई को राशि में खरीद के लिए पहली राशि का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसलिए, केवल समझौते पर हस्ताक्षर करने पर व्यय और राजस्व की बुकिंग क्रम में नहीं है।</p>	राशि	चालान की तारीख	भुगतान तिथि	\$ 12,000,000	प्रभावी तिथि	चालान जारी करने की तिथि से तीस (30) दिन	<p>क. लेखापरीक्षा पैरा में संदर्भित समझौता एआईईएसएल और जीई के बीच है, प्रभावी तिथि 9 मार्च, 2021 है। एआईईएसएल और जीई के बीच समझौते के अनुच्छेद 6.1 के अनुसार, एआईईएसएल को 32 मिलियन यूएस डॉलर की कुल 'बाय-इन' राशि का भुगतान करना था और इस अवधि के अनुसार उक्त भुगतान यूएस \$ 12 मिलियन, यूएस \$ 10 मिलियन और यूएस \$ 10 मिलियन की तीन किस्तों में किया जाएगा। समझौते के अनुसार 12 मिलियन यूएस डॉलर की राशि समझौते की 'प्रभावी तिथि' यानी 9 मार्च, 2021 को देय थी। सावधानी की बात के रूप में, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय के लिए 12 मिलियन डॉलर के भुगतान के लिए एआईईएसएल की देयता दी गई थी।</p> <p>इसके अलावा, आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिध्दांतों की मिलान अवधारणा के लिए आवश्यक है कि किसी विशेष अवधि के लिए राजस्व को उसके संबंधित व्यय के साथ मिलान किया जाए ताकि अवधि के लिए सही राजस्व दिखाया जा सके। इसलिए मिलान अवधारणा के प्रकाश में, जीई को भुगतान/देय राशि एक साथ बाहरी पार्टी से भी वसूली योग्य है और इस प्रकार एआईईएसएल को उसी वित्तीय वर्ष में संबंधित राजस्व देना था। यदि कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 में राजस्व की बुकिंग नहीं की होती तो व्यय को उसी राशि से अधिक बताया गया होता, जबकि तथ्य यह है कि एआईईएसएल द्वारा की गई पूरी राशि 7.50% मार्क-अप के साथ बाहरी पार्टी से वसूली योग्य है।</p> <p>इसलिए, लेखापरीक्षा पैरा में संदर्भित लेनदेन के लिए एआईईएसएल द्वारा किया गया लेखांकन उपचार आईएनडीएस और आम तौर पर स्वीकृत लेखा मूलधन (जीएएपी) के अनुसार भी है।</p>
राशि	चालान की तारीख	भुगतान तिथि					
\$ 12,000,000	प्रभावी तिथि	चालान जारी करने की तिथि से तीस (30) दिन					

<p>इसके परिणामस्वरूप 6.74 करोड रुपए राजस्व (93.84 करोड रुपए राजस्व और 87.10 करोड रुपए व्यय के लिए बुक किया गया), 93.84 करोड रुपए व्यापार प्राप्त्य और 87.10 करोड रुपए व्यापार देय से ज्यादा बताया गया है।</p> <p>ख. उपर्युक्त में एअर इंडिया लिमिटेड को सेवाएं देकर अर्जित की गई 57.39 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं है। बेस रखरखाव से संबंधित अनिर्धारित कार्य जिसमें 1633 मानव घंटे शामिल थे, मार्च 2021 के महीने के दौरान किया गया था और 2020–21 के बजाय वर्ष 2021–22 के दौरान बुक किया गया था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व और वर्तमान संपत्ति – व्यापार प्राप्तियों को 57.39 लाख रुपए से कम करके आंका गया है।</p>	<p>उपर्युक्त को देखते हुए, कंपनी की राय है कि 6.74 करोड रुपए से अधिक राजस्व (राजस्व 93.84 करोड रुपए और व्यय 87.10 करोड रुपए बुक किए गए), व्यापार प्राप्त्य 93.84 करोड रुपए और व्यापार देय 87.10 करोड रुपए का कोई विवरण नहीं है।</p> <p>ख. बेस रखरखाव मार्च 2021 के महीने के दौरान किया गया था और इसके खिलाफ राशि को अगले वित्तीय वर्ष में बिल किया गया है। यह एक सामान्य प्रथा है कि मार्च के महीने में प्रदान की गई सेवाओं के लिए, चालान अप्रैल में बनाए जाते हैं। हालांकि, हर वर्ष 31 मार्च को किसी विशेष वर्ष में दी गई सेवाओं के संबंध में प्रावधान किए जाते हैं, लेकिन बाद के वित्तीय वर्ष में बिल किया जाता है। इस मामले में 31 मार्च 2021 तक किए गए उक्त कार्य के विरुद्ध प्रावधान निरीक्षण के कारण नहीं किए गए थे, हालांकि सभी कार्य केंद्रों को इस तरह की चूकों को न दोहराने के लिए आवश्यक निर्देश पारित किए गए हैं।</p>
<p><b>ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां</b></p> <p><b>तुलन पत्र</b></p> <p><b>परिसंपत्तियां</b></p> <p><b>वर्तमान परिसंपत्तियां</b></p> <p><b>1. इन्वेंटरियां (नोट-5) – 82.82 करोड रुपए</b></p> <p>उपर्युक्त शीर्ष में अचल संपत्ति उचंत खाते के तहत उपकरणों के लिए 17.03 करोड रुपए की राशि शामिल है। उपरोक्त उपकरणों में राजस्व उपकरण (इन्वेंट्री) और पूंजीगत उपकरण (स्थिर संपत्ति) शामिल हैं। हालांकि, कंपनी ने उन्हें वर्गीकृत नहीं किया है और उन्हें संबंधित शीर्ष के तहत लिया है। इस प्रकार, पूंजीगत साधनों पर मूल्यहास के प्रभाव और लाभ और हानि के विवरण के लिए राजस्व उपकरणों को चार्ज करने का पता नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार, लाभ उस हद तक बताया गया है।</p>	<p>1. कुल राशि में से 17.03 करोड रुपए जिसमें राजस्व उपकरण (इन्वेंट्री) के साथ–साथ पूंजी उपकरण (फिक्स्ड एसेट) शामिल हैं। पूरी जानकारी के अभाव में, उसे राजस्व उपकरण या पूंजी उपकरण में स्थानांतरित नहीं किया जा सका तथा पूरी 17.03 करोड रुपए की राशि फिक्स्ड एसेट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट की गई है जिसे इन्वेंट्री के हिस्से के रूप में समूहीकृत किया गया है।</p> <p>कंपनी पूरी जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है तथा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान अचल संपत्ति उचंत खाते में पड़ी राशि को या तो अचल संपत्तियों या मालसूची में स्थानांतरित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी तथा उपकरण के द्विभाजित अचल संपत्ति वाले हिस्से पर मूल्यहास लगाया जाएगा।</p>

<p><b>2. अन्य चालू परिसंपत्तियां (नोट-11) – 18.81 करोड रुपए</b></p> <p>क. उपरोक्त में मेसर्स टाटा टेक्नोलॉजीज (1.26 करोड रुपए) और मेसर्स सागर एशिया प्राइवेट लिमिटेड (0.91 करोड रुपए) को वर्ष 2017 के दौरान एआईईएसएल स्टेशनों पर बेस रखरखाव के लिए ट्रेस्टल और डॉक में उपयोग के लिए निश्चित ऊंचाई वाले मोबाइल स्टैंड और विंग स्टैंड की खरीद के लिए दिए गए 2.17 करोड रुपए की अग्रिम राशि शामिल है। संबंधित परिसंपत्तियों की प्राप्ति और उपयोग में आने के बावजूद, परिसंपत्तियों का पूँजीकरण नहीं किया गया था और उपरोक्त अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अग्रिम को 2.17 करोड रुपए से अधिक बताया गया है, परिसंपत्तियों को 1.39 करोड रुपए और मूल्यहास व्यय को 0.78 करोड रुपए से कम बताया गया है।</p> <p>ख. उपर्युक्त में अंशांकन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपकरणों के अंशांकन के लिए दिए गए 20.15 लाख रुपए की राशि शामिल है। वर्ष 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के दौरान परिसंपत्तियों के अंशांकन के पूरा होने के बावजूद, कंपनी उपरोक्त अग्रिम को समायोजित करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप व्यय को कम करके और अग्रिमों को 20.15 लाख रुपए से अधिक बताया गया है।</p>	<p>क. 2.17 करोड रुपए की संपत्ति एसएपी सिस्टम के बाहर खरीदी गई थी और बही खातों में उक्त परिसंपत्तियों को पूँजीकृत करने के लिए पूर्ण आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं थे। हालांकि, संबंधित मांगकर्ता के माध्यम से इस मुद्दे को विस्तार से देखा जा रहा है तथा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगा।</p> <p>ख. संबंधित अनुभाग से उचित दस्तावेज प्राप्त कर लिए गए हैं और इस संबंध में आवश्यक लेखा समायोजन वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किया जाएगा।</p>
<p><b>ग. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी</b></p> <p><b>स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट</b></p> <p><b>1. मत</b></p> <p>वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के लाभ और हानि का विवरण 11.94 करोड रुपए का लाभ दिखा रहा है। हालांकि, सांविधिक लेखापरीक्षक ने कंपनी के लाभ के बजाय कंपनी के नुकसान पर अपनी राय दी। यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ॲडिटिंग मानक (एसए) 700 के अनुरूप नहीं है और स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस हद तक कम है।</p> <p><b>2. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक का</b></p> <p>अनुलग्नक में एक विवरण शामिल है कि 'हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के आधार पर' आयकर का कोई बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है। हालांकि, बाद के पैराग्राफ में आयकर विभाग और फोरम जहां मामला लंबित है, द्वारा उठाई गई मांगों का विवरण सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किया गया है। यह सीएआरओ 2016 के खंड 3(vii)(b) के अनुरूप नहीं है।</p>	<p>1. यह स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में एक टंकण त्रुटि है। सीएजी की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और भविष्य में इस पर उचित ध्यान दिया जाएगा।</p> <p>2. यह एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि है क्योंकि पैरा 3 (vii)(बी) में आयकर से पहले 'छोड़कर' षब्द छूट जाता है। हालांकि, हम यह बताना चाहेंगे कि विवाद के कारण आयकर देय राशि जमा न करने के तथ्य का ठीक से खुलासा किया गया है। सीएजी की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और भविष्य में इस पर उचित ध्यान दिया जाएगा।</p>

## एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

### स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

#### **मत**

हमने एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (पहले एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस के रूप में जानी जाती थी) ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण संबंधी ब्यौरा एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों पर नोट शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा अपेक्षित तरीके से आवश्यक सूचना देते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिधांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों तथा इसकी हानि, इक्विटी में परिवर्तनों एवं उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

#### **मत का आधार**

हमने हमारी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार की है। हमारी रिपोर्ट के भाग—वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों नीतिपरक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचारनीति संहिता के अनुसरण में हमारे अन्य नीतिपरक उत्तरदायित्वों को हमने पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त हमारे लेखापरीक्षा प्रमाण हमारे मत को आधार देने के लिए प्रर्याप्त एवं उपयुक्त है।

महामारी "कोविड-19" की दूसरी लहर और संचार पर परिणामी प्रतिबंधों के कारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। कुछ दस्तावेज़, रिकॉर्ड, रिटर्न भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किए गए हैं, तथापि, दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड में उपलब्ध कराए गए थे और उनकी सटीकता और प्रामाणिकता के लिए कंपनी से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर उन्हें सत्यापित किया गया है। (नोट सं. 44 देखें)

#### **मामले का महत्व**

1. कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (4) का अनुपालन नहीं किया है।
2. इन्वेंटरी पर भारतीय लेखा मानक 2 के पैरा 9 के अनुसार

इन्वेंटरी का मापन लागत या प्राप्य निवल मूल्य पर किया जाना है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने इन्वेंटरी का मूल्यांकन तुलनात्मक औसत लागत पर किया है। वर्ष के अंत में इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार नहीं किया गया है। अतः हम उसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. कंपनी ने कुछ खर्चों का लेखाकरण करते हुए और खर्चों का प्रावधान करते हुए स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की है। इस गैर-अनुपालन के प्रभाव को निश्चित नहीं किया गया है।
4. कंपनी ने इंटर कंपनियों के औसत शेष पर देय/प्राप्य ब्याज की गणना की है। कंपनी ने विभिन्न इंटर कंपनियों के साथ एमएसए (MSA) के अनुसार ब्याज की गणना नहीं की है।
5. कंपनी ने कुछ अनुबंधों की प्रतियां साझा/नहीं दी हैं। इसलिए, हम कंपनी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ

इंडिया द्वारा जारी किए गए भारतीय लेखा मानक 115 “ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व” के प्रावधानों के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

6. क) इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक 24 “रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर” पैरा 17 कहता है:

कुल मिलाकर प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का मुआवजा और निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए एक इकाई खुलासा करेगी:

- (क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ;
- (ख) रोजगार के बाद के लाभ;
- (ग) अन्य दीर्घकालिक लाभ;
- (घ) समाप्ति लाभ; तथा
- (ङ) शेयर आधारित भुगतान।

कंपनी ने वर्ष के लिए अपने वार्षिक खातों में उपरोक्त विवरण का खुलासा नहीं किया है।

7. कंपनी वित्तीय और 26 लेखा मानक के अनुसार राजस्व और स्रोत पर कर कटौती के समाधान की प्रक्रिया में है।

इन मामलों में हमारा मत क्वालिफाइड नहीं है।

### प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यवसायी निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में तथा उन पर हमारी राय बनाने में समग्र रूप से संबोधित किया गया था और इन मामलों पर हम अलग राय नहीं देते हैं।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	<b>ऋण हानि</b> <p>भारतीय लेखाकरण मानक यह अपेक्षा करता है कि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) को पहचाने जिसमें मुख्य रूप से देनदार शामिल होते हैं और उन पर कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान शामिल होते हैं।</p>	<b>लेखापरीक्षा प्रक्रिया सिध्दांत</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार, ऋण और अग्रिम पर नुकसान के प्रावधान की गणना करते समय परिवर्तन नुकसान के दृष्टिकोण से अपेक्षित नुकसान दृष्टिकोण की ओर है।</li> <li>■ हमने ईसीएल गणना पर भरोसा किया है, जो एक विशेषज्ञ/बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया था।</li> <li>■ महत्वपूर्ण डेटा की सटीकता और पूर्णता का पुनरीक्षण किया गया।</li> <li>■ ईसीएल गणना की प्रणाली संतोषजनक पाई गई।</li> <li>■ लेखापरीक्षा पॉलिसी संख्या 11(ए)(वी) को देखें।</li> </ul>

<p>2. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, ने न्यायमूर्ति डी. एम. धर्माधिकारी (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) की अध्यक्षता में विलय की गई कंपनी के कार्यबल के सामंजस्य और युक्तिकरण के तरीकों और साधनों का सुझाव देने के लिए समिति गठित की है।</p> <p>2019–20 के दौरान, एअर इंडिया ने, न्यायमूर्ति धर्माधिकारी समिति (जेडीसी) की सिफारिशों के आधार पर, कंपनी को स्थानांतरित कर्मचारियों के प्रति 516.20 लाख रुपए की देनदारी का प्रावधान करने के लिए सूचित किया है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ खर्चों का विवरण मांगा गया है।</li> <li>■ उक्त व्यय को वर्ष 2019–2020 में असाधारण मद के रूप में माना गया है।</li> <li>■ 2019–20 की बहियों का पुनर्कथन किया गया है और परिणामी समायोजन/प्रकटीकरण किया गया है।</li> <li>■ इस पुनर्कथन के परिणामस्वरूप लाभ में कमी आई है और कर्मचारियों की देयता में तदनुरूप वृद्धि के साथ प्रतिधारित आय में 2019–2020 में रु. 516.20 की परिणामी कमी हुई है। (नोट सं. 45 देखें)</li> </ul>
--	--

### वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी को तैयार करने का उत्तदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है। अन्य जानकारी में बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यवसाय उत्तदायित्व रिपोर्ट, निगमित शासन तथा शोयधारकों से संबंधित जानकारी शामिल है, परंतु स्टैडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

हमारे कार्य के आधार पर यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य जानकारी में वस्तुतः असंगतता है तो हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करना होगा। इस मामले में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं हैं।

### प्रबंधन तथा वित्तीय विवरण के शासन का प्रभार जिन पर है उनके उत्तरदायित्व

अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इकिवटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन लागू करना, युक्तियुक्त तथा विवेकाधिकार निर्णय लेना एवं प्राक्कलन करना, सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाने वाले तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलती के परे वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखाकरण रिकार्डों की यथार्थता तथा परिपूर्णता के सुनिश्चय के लिए प्रभावी तौर पर प्रचलित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव भी शामिल है।

जब तक की निदेशक मंडल या तो कंपनी का परिसमापन करने या फिर प्रचालन बंद करने के लिए इच्छुक न हो अथवा ऐसा करने के अलावा उनके पास कोई वास्तविक विकल्प न होने तक वित्तीय विवरण तैयार करने में गोईग कन्सर्न के रूप में कंपनी की योग्यता को बनाए रखने का निर्धारण, गोईग कन्सर्न से संबंधित यथालागू मामलों का प्रकटन तथा लेखाकरण के गोईग कन्सर्न आधार का उदयोग करने के लिए निदेशक मंडल उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है।

### वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व

धोखाधड़ी अथवा कपट के कारण वित्तीय विवरण संपूर्णतः तथ्यपरक गलती से परे है, इसके बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना तथा एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना हमारा उद्देश्य है। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु इसकी कोई गांरटी नहीं है कि लेखाकरण के मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा महत्वपूर्ण

तथ्यपरक गलती होने का हमेशा पता लगाएगी। तथ्यपरक गलती धोखा अथवा त्रुटि के कारण हो सकता है तथा महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल अथवा सामूहिक तौर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों पर युक्तियुक्त रूप से प्रभाव डाल सकता है।

लेखा मानकों के अनुसरण में एक लेखापरीक्षक के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं तथा लेखापरीक्षा के आरंभ से अंत तक व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हमारे द्वारा नीचे उल्लिखित कार्य भी पूरे किए जाते हैं:

- वित्तीय विवरणों की, कपट अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलतियों की पहचान तथा ज़ोखिमों का निर्धारण करना, उन ज़ोखिमों के प्रत्युत्तरदायिता में लेखापरीक्षा को डिज़ाइन तथा निष्पादित करना एवं लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हो। कपट के परिणामस्वरूप होने वाली तथ्यपरक गलती के पता न लगाए जाने की ज़ोखिम की तुलना में अधिक है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, ज़ालसाज़ी, इरादतन चूक, अन्यथा—कथन अथवा नियंत्रण का अभिभाव समाहित हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन किया जा सके। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3)(ज़) के अधीन कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के स्थापित होने तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभाविता पर राय प्रकट करने के लिए भी हम उत्तरदायी हैं।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखाकान नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखाकान प्राक्कलनों तथा संबंधित प्रकटनों की युक्तियुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखाकान के गोइंग कर्नर्सन आधार का प्रबंधन द्वारा किए गए उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर गोइंग कर्नर्सन के तौर पर कंपनी के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकने वाली घटनाओं अथवा शर्तों से संबंधित महत्वपूर्ण अभिनिश्चितता है अथवा नहीं इसका निष्कर्ष निकालना हमारे द्वारा महत्वपूर्ण अभिनिश्चितता के होने का निष्कर्ष निकाले जाने पर वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना अथवा ऐसे प्रकटनों के अपर्याप्त होने की स्थिति में हमारी राय रूपांतरित करना हमारे लिए आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं अथवा शर्तों गोइंग कर्नर्सन के तौर पर कंपनी का बने रहना समाप्त करा सकेगी।
- प्रकटनों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण, संरचना तथा विषय—वस्तु तथा वित्तीय विवरण मूलाधार संव्यवहारों एवं घटनाओं को निष्क्रिय प्रस्तुतीकरण के तौर पर दर्शाते हैं अथवा नहीं इसका मूल्यांकन करना।

वित्तीय विवरणों में ऐसे गलत विवरण शामिल हैं जो अकेले या सामूहिक रूप से, वित्तीय विवरणों की यथोचित जानकारी रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। हम (i) लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र को निर्धारित करने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी तथ्यपरक गलतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सामग्री तथा गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान देते हैं।

अन्य मामलों के अलावा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा आंतरिक नियंत्रण में पहचान की गई कुछ महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्य—क्षेत्र तथा समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में हम शासन करने की जिम्मेदारी जिन पर है, उनके साथ संप्रेषण करते हैं।

शासन करने की जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें हम स्वंतत्रता के बारे में संबंधित नीतिपरक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे द्वारा संकलित किया गया एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं तथा हमारे स्वातंत्र्य पर युक्तियुक्त रूप से दबाव डाल सकने वाले सभी संबंधित तथा अन्य मामले एवं जहां लागू हो, संबंधित संरक्षोपाय उन सभी को संप्रेषित करते हैं।

शासन करने की जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें संप्रेषित मामलों में से विद्यमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे उनका हम निर्धारण करते हैं तथा इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन हमारे द्वारा तब तक किया जाता है जब तक कि विधि अथवा विनियम द्वारा मामले पर सार्वजनिक प्रकटन प्रतिबाधित न किया जाए अथवा तथा जब अत्यंत विरल परिस्थितियों में हमारे द्वारा निर्धारण किया जाता है कि हमारी रिपोर्ट में

मामले को संप्रेषित न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हितलाभों से युक्तियुक्त तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होने की अपेक्षा होती है।

### अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा यथापेक्षित हम **अनुलग्नक** के में लागू होने की सीमा तक आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
2. जैसाकि अधिनियम की धारा 143(3) में अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - क) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।
  - ख) जहां तक बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेखा-बहियां रखी हैं।
  - ग) तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इकिवटी में परिवर्तन का विवरण तथा इस रिपोर्ट द्वारा दिए गए नकदी प्रवाह विवरण लेखा बही के साथ हैं।
  - घ) हमारी राय में, पूर्वकथित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी लेखा नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।
  - ङ) सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधानों से, निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05/06/2015 के परिपत्र संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कंपनी को छूट प्राप्त है।
  - च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता के संबंध में **अनुलग्नक ख** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें और हमारी रिपोर्ट कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर अपरिवर्तित मत प्रकट करती है।
  - छ) अधिनियम की संशोधित धारा 197(16) की आवश्यकता के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में –
 

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने उसके निदेशकों को पारिश्रमिक नहीं दिया है / प्रावधान नहीं किया है।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :–

    - i. कंपनी ने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों पर नोट 27 देखें;
    - ii. कंपनी की व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि ठेकों पर कोई पूर्वानुमानित महत्वपूर्ण हानि नहीं है, अतः उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।
    - iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं थी।
  3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षा के अनुसार तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में हम रिपोर्ट करते हैं कि :–
    - क) क्या कंपनी के पास सारे लेखा कार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि

हां, लेखा कार्यों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर संसाधित करने का, वित्तीय प्रभावों सहित, लेखा आकलन पर होने वाले परिणाम को, यदि कोई हो, बताया जाए।

हां, निम्नलिखित के अलावा, कंपनी के पास सारे लेखा कार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है:-

- लेखों के रखरखाव के लिए कंपनी के पास एसएपी है। पास की गई अधिकांश प्रविष्टियों के साथ सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं। इसके बारे में प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
- कंपनी वेतनपत्रक के अनुरक्षण और संसाधन हेतु प्रौद्योगिकी प्रणाली का आंशिक रूप से उपयोग कर रही है।
- इंटर कंपनी शेष के बकाया राशि पर ब्याज के परिकलन की कोई पद्धति कंपनी में नहीं है। इसे मैनुअली किया जाता है।

ख) क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा विद्यमान ऋण या **ऋण/कर्ज/ब्याज** आदि का अधित्याग/बट्टे खाते में डालने से संबंधित मामलों की पुनःसंरचना की गई है? यदि हां, वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। अतः वर्ष के दौरान ऋणदाता द्वारा **ऋण/कर्ज/ब्याज** आदि का अभित्याग/बट्टे खाते में डालने से संबंधित कोई मामला नहीं है।

ग) क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई प्राप्त/प्राप्य निधि नहीं है।

प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कं. के लिए एवं उनकी ओर से  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 002438सी

हस्ता/-  
सीए प्रतिभा शर्मा  
भागीदार  
सदस्यता सं. 400755  
यूडीआईएन- 21400755AAAABV8681

स्थान : मुंबई

दिनांक : 26.08.2021

## स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक—क

**“अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं” पर उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्भित अनुलग्नक**

- i. (क) कंपनी मात्रात्मक विवरणों और उनके स्थानों से संबंधित स्थिर परिसंपत्तियों के रिकार्ड अद्यतन करने की प्रक्रिया में है। इसलिए उसका सत्यापन आज तक नहीं किया गया है।  
 (ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की द्विवार्षिक आधार पर स्थिर परिसंपत्तियों के सत्यापन की नीति है। प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।  
 (ग) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- ii. कंपनी की द्विवार्षिक आधार पर इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की नीति है। कंपनी ने आज तक इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। केवल उपकरण 31.03.2018 से पहले सत्यापित किए गए थे।
- iii. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी अथवा अन्य पार्टियों को कंपनी द्वारा कोई रक्षित अथवा अरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया गया है। तदनुसार, खंड 3(iii) (क), (ख) और (ड) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
- iv. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार अधिनियम की धारा 185 के प्रावधानों में शामिल किसी पार्टी को कंपनी द्वारा कोई ऋण, प्रत्याभूति या प्रतिभूति नहीं उपलब्ध कराई गई है।  
 अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत दर्ज पार्टियों में किए गए निवेश या उन्हें दिए गए ऋण अथवा उपलब्ध कराई गई प्रत्याभूति या फिर प्रतिभूति के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का कंपनी ने अनुपालन किया है।
- v. धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अर्थों में कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 148(1) के अधीन लागत रिकार्डों का रखा जाना केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, माल एवं सेवा कर, मूल्य सर्वोर्धित कर, (सेस) उपकर तथा अन्य सांविधिक देयताओं सहित गैर-विवादित सांविधिक देयताएं उचित प्राधिकारियों के पास जमा करने में नियमित नहीं हैं। सांविधिक देयताएं जिस तिथि से देय है उससे दिनांक 31 मार्च, 2021 को 6 महिने से अधिक बकाया राशि निम्न प्रकार से है :—

सांविधिक देयताओं की प्रकृति (स्वरूप)	31 मार्च, 2021 को 6 महीने से अधिक की बकाया राशि (रु. मिलियन में)
माल एवं सेवा कर	187.84
भविष्य निधि	1716.64
कर्मचारी राज्य बीमा	4.53
टीडीएस	297.54
व्यवसाय कर	0.02

विदेशी व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित सांविधिक देयताओं को, यदि कोई, लेखापरीक्षा के दौरान शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि रिकार्ड संबंधित व्यवसाय क्षेत्र में रखे जाने के कारण सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे। क्या ये देयताएं समय पर जमा कराई गई? इस पर टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं।

- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्ड के हमारे परीक्षण के आधार पर, धन कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, माल एवं सेवा कर और मूल्य संबंधित कर, आयकर की कोई देयता बकाया नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण जमा न किया गया है।

कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग सूचना जो अपील के अधीन हैं:

अधिनियम की प्रकृति	देय राशि की प्रकृति	फोरम जहां लंबित	मांग की अवधि	कुल मांग
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	सीआईटी (अपील)	2014-15	2,79,27,703
			2015-16	4,31,39,528
			2016-17	6,22,86,454
			2017-18	18,45,77,891
			2018-19	32,37,74,500
				64,17,06,077

- viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्ड के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी पर वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार अथवा डिबेंचरधारक का कोई ऋण अथवा उधारी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (viii) लागू नहीं है।
- ix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्ड के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा अगला सार्वजनिक प्रस्ताव के पश्चात (ऋण साधनों सहित) या मियादी ऋण के माध्यम से धन एकत्र नहीं किया है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(ix) लागू नहीं है।
- x. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अथवा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ किया गया कोई कपट न तो पता चला और न ही रिपोर्ट किया गया।
- xi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्ड के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रावधान नहीं किया है। अतः आदेश के प्रावधानों का खंड 3 (xi) कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- xii. हमारे विचार एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश के प्रावधानों का खंड 3(xii) लागू नहीं है।
- xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी रिकार्ड के हमारे परीक्षण के आधार पर, जहां लागू हो, वहां संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन में अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है और सभी लेन-देन के विवरण को लागू लेखा मानकों की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। (नोट संख्या 39 देखें)
- xiv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई भी अधिमान्य आबंटन या निजी तौर पर आबंटन अथवा पूर्व या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का आबंटन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के प्रावधानों का खंड 3(xiv) लागू नहीं है।
- xv. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों के हमारे परीक्षण के आधार पर कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी गैर-नकदी संव्यवहार नहीं किया गया है। तदनुसार आदेश के प्रावधानों का खंड 3

(xv) लागू नहीं है।

xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।  
तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xvi) लागू नहीं है।

प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कं. के लिए एवं उनकी ओर से  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 002438सी

हस्ता /—  
सीए प्रतिभा शर्मा  
भागीदार  
सदस्यता सं. 400755  
यूडीआईएन— 21400755AAAABV8681

स्थान : मुंबई

दिनांक : 26.08.2021

## स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक—ख

“अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं” पर उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(च) में संदर्भित अनुलग्नक कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 के उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (“कंपनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में की है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की मार्गदर्शी नोट में दर्शाए गए अनुसार अत्यावश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित तथा बनाए रखने की ज़िम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। इन उत्तरदायित्वों में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा उसे बनाए रखना शामिल है जो कंपनी की नीतियों, उसकी परिसंपत्तियों को संरक्षित रखने, धोखे तथा त्रुटियों का पता लगाने एवं निवारण को सुनिश्चित करने के लिए लेखाकरण रिकार्डों की यथार्थता एवं परिपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित उसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा सक्षम संचालनों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तौर पर कार्य कर रहे थे, जैसा कि अधिनियम के अधीन आवश्यक है।

### लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने हमारी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शी नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की मार्गदर्शी नोट तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसरण में की है, जिन्हें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जहां तक लागू हो, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन माना जाता है एवं दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा को लागू होते हैं तथा दोनों ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा इस तरह योजनाबद्ध तथा निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा बनाए रखने एवं ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों के संबंधों में प्रभावी रूप से क्रियाशील होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी क्रियाशील प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, विद्यमान महत्वपूर्ण कमी की जोखिम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा क्रियाशील प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना हमारी लेखापरीक्षा में शामिल है। वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक गलती के जोखिम के मूल्यांकन सहित प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से अभिप्रेत है वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां तथा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित होते हुए ब्यौरेवार वर्णन के साथ यथार्थ तथा स्पष्ट रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों का संव्यवहार तथा स्थिति दर्शाती है। (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक संव्यवहार रिकार्ड किए गए हैं तथा केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसरण में ही कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय किए जा रहे हैं ऐसा उचित आश्वासन उपलब्ध कराते हैं। (3) वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों का अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम का समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराते हैं।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

सांठ-गांठ की संभावना अथवा प्रबंधन द्वारा अनुचित रूप से नियंत्रणों को हटाए जाने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण धोखाधड़ी या फिर कपट के परिणामस्वरूप विवरणों में व्यापक गलती हो सकती है तथा उनका पता नहीं चल सकता। आगे की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की कोई भी वास्तविकता इस जोखिम के अधीन होती है कि परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गुणवत्ता अथवा मात्रा में अवनति हो सकती है।

हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2021 को निम्नलिखित कमियों की पहचान की गई :

- i) कंपनी के पास सांविधिक देयताओं की कटौती, उनको समय से जमा करने, रिटर्न फाइल करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।
- ii) समय पर लेखा प्रविष्टियां करने, दोहरी लेखा प्रविष्टि को रोकने और मेकर चेकर प्रक्रिया के लिए कंपनी के पास प्रभावी प्रणाली नहीं है।
- iii) एसएपी में अधिकांश प्रविष्टियों की वैधता की जांच करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज नहीं है। अन्य कंपनियों के समूह द्वारा किए गए खर्चों की बाद में कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति की गई, उसके कोई सहायक दस्तावेज नहीं है।
- iv) अन्य पार्टियों के साथ बकाया राशि का समाधान करने के लिए कंपनी के पास प्रभावी प्रणाली नहीं है।
- v) कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा है। आंतरिक लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया गया था लेकिन तीन तिमाहियों की रिपोर्ट एक साथ प्रस्तुत की गई थी। चौथी तिमाही की रिपोर्ट अगस्त 2021 में प्रस्तुत की जाती है। हमारा सुझाव है कि कंपनी वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करे, ताकि उनकी टिप्पणियों पर समय पर कार्रवाई की जा सके।

### मटेरियल वीकनेस

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में "मटेरियल वीकनेस" एक ऐसी कमजोरी या कमजोरियों का समूह हैं जिससे इस बात की काफी संभावना रहती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरण में गलत विवरण को समय से रोका या पता नहीं लगाया जा सकता।

### मत

हमारा मत है कि नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों को प्राप्त करने में, ऊपर वर्णित मटेरियल वीकनेस के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी प्रकार से पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों पर विचार करके वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड के आधार पर कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2021 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।

हमने कंपनी के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के 31 मार्च, 2021 की तिथि की हमारी लेखापरीक्षा में अपनाए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों के स्वरूप, समय तथा सीमा के निर्धारण में ऊपर दी गई महत्वपूर्ण कमियों पर विचार किया है तथा उन्हें रिपोर्ट किया है एवं यह महत्वपूर्ण कमियां कंपनी के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती है।

प्रकाश चंद्र जैन एण्ड क. के लिए एवं उनकी ओर से  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 002438सी

हस्ता / –  
सीए प्रतिभा शर्मा  
भागीदार  
सदस्यता सं. 400755  
यूडीआईएन – 21400755AAAABV8681

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 26.08.2021

## अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमें जारी किए गए सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कं. के लिए एवं उनकी ओर से  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 002438सी

हस्ता /—  
सीए प्रतिभा शर्मा  
भागीदार  
सदस्यता सं. 400755  
यूडीआईएन— 21400755AAAABV8681

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 26.08.2021

## वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन के उत्तर
<b>मामले का महत्व</b>	
1. कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (4) का अनुपालन नहीं किया है।	निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए दिनांक 05 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं. 839 (ई) के माध्यम से छूट दी गई है।
2. इन्वेंटरी पर भारतीय लेखा मानक 2 के पैरा 9 के अनुसार इन्वेंटरी का मापन लागत या प्राप्य निवल मूल्य पर किया जाना है।  वर्ष के दौरान कंपनी ने इन्वेंटरी का मूल्यांकन तुलनात्मक औसत लागत पर किया है। वर्ष के अंत में इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार नहीं किया गया है। अतः हम उसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	कंपनी भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार इन्वेंट्री वीजा आवश्यकता के मूल्यांकन की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और आगामी वर्ष में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेगी।
3. कंपनी ने कुछ खर्चों का लेखाकरण करते हुए और खर्चों का प्रावधान करते हुए स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की है। इस गैर-अनुपालन के प्रभाव को निश्चित नहीं किया गया है।	कुछ खर्चों पर टीडीएस की कटौती मुख्य रूप से एकमुश्त विक्रेताओं को अग्रिम के भुगतान के लिए है। पॉइंट नोट कर लिया गया है और अब से टीडीएस काटा जाएगा।  व्यय के प्रावधान पर टीडीएस की कटौती मुख्य रूप से समूह कंपनियों से 31.03.2021 तक प्राप्त व्यय की बुकिंग के लिए है। इसके लिए प्रविष्टियां बहुत देर से प्राप्त हुई थीं। जबकि चालान समय पर प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास किए गए थे, हालांकि इस वर्ष के दौरान मुख्य रूप से महामारी की स्थिति के कारण चालान समय पर प्राप्त नहीं हुए थे। प्रबंधन ने ग्रुप/सिस्टर कंपनियों द्वारा महीने दर महीने आधार पर समय पर इनवॉइस जारी करने के लिए इसे नोट कर लिया है।

<p>4. कंपनी ने इंटर कंपनियों के औसत शेष पर देय/प्राप्य ब्याज की गणना की है। कंपनी ने विभिन्न इंटर कंपनियों के साथ एमएसए (MSA) के अनुसार ब्याज की गणना नहीं की है।</p>	<p>कंपनियों के समूह के शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के औसत के आधार पर ब्याज लगाया गया है। समूह कंपनियों द्वारा इस प्रथा का लगातार पालन किया जाता है। कंपनी आगामी वर्ष में समूह की कंपनियों के साथ एमएसए में आवश्यक परिवर्तन करेगी।</p>
<p>5. कंपनी ने कुछ अनुबंधों की प्रतियां साझा/नहीं दी हैं। इसलिए, हम कंपनी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए भारतीय लेखा मानक 115 “ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व” के प्रावधानों के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध में से एक की प्रति अत्यंत गोपनीय है और प्रकृति में संवेदनशील होने के कारण लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं की गई थी।</p>
<p>6 क) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक 24 “रिलेटेड पार्टी डिस्कलोजर” पैरा 17 कहता है:</p> <p>कुल मिलाकर प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का मुआवजा और निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए एक इकाई खुलासा करेगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ;</li> <li>(ख) रोजगार के बाद के लाभ;</li> <li>(ग) अन्य दीर्घकालिक लाभ;</li> <li>(घ) समाप्ति लाभ; तथा</li> <li>(ङ) शेयर आधारित भुगतान।</li> </ul> <p>कंपनी ने वर्ष के लिए अपने वार्षिक खातों में उपरोक्त विवरण का खुलासा नहीं किया है।</p>	<p>केएमपी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ के प्रकटीकरण के संबंध में इस अनुपालन का आगामी वित्तीय वर्ष में पालन किया जाएगा।</p>
<p>7. कंपनी वित्तीय और 26 लेखा मानक के अनुसार राजस्व और स्रोत पर कर कटौती के समाधान की प्रक्रिया में है।</p>	<p>स्रोत पर काटे गए कर के समाधान के उद्देश्य से, कंपनी ने एक व्यवसायी फर्म की सेवाएं ली हैं, जो ग्राहक द्वारा जमा किए गए कर की तुलना में काटे गए कर को समेटने के लिए है, हालांकि महामारी के लिए, इसे पूरा नहीं किया जा सका और प्राथमिकता के आधार पर नियत समय में पूरा किया जाएगा।</p>
<p><b>लेखापरीक्षा टिप्पणी</b></p>	<p><b>प्रबंधन के उत्तर</b></p>
<p><b>प्रमुख लेखापरीक्षा मामले</b></p> <p>प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यवसायी निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में तथा उन पर हमारी राय बनाने में समग्र रूप से संबोधित किया गया था और इन मामलों पर हम अलग राय नहीं देते हैं।</p>	
<p><b>प्रमुख लेखापरीक्षा मामले</b></p>	<p><b>लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया</b></p>

<p><b>ऋण हानि</b></p> <p>भारतीय लेखाकरण मानक यह अपेक्षा करता है कि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) को पहचाने जिसमें मुख्य रूप से देनदार शामिल होते हैं और उन पर कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान शामिल होते हैं।</p>	<p><b>लेखापरीक्षा प्रक्रिया सिध्दांत</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार, ऋण और अग्रिम पर नुकसान के प्रावधान की गणना करते समय परिवर्तन नुकसान के दृष्टिकोण से अपेक्षित नुकसान दृष्टिकोण की ओर है।</li> <li>■ हमने ईसीएल गणना पर भरोसा किया है, जो एक विशेषज्ञ/बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया था।</li> <li>■ महत्वपूर्ण डेटा की सटीकता और पूर्णता का पुनरीक्षण किया गया।</li> <li>■ ईसीएल गणना की प्रणाली संतोषजनक पाई गई।</li> <li>■ लेखापरीक्षा पॉलिसी संख्या 11(ए)(वी) को देखें।</li> </ul>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>नागर विमान संत्रालय, भारत सरकार, ने न्यायमूर्ति डी.एम. धर्माधिकारी (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) की अध्यक्षता में विलय की गई कंपनी के कार्य बल के सामंजस्य और युक्तिकरण के तरीकों और साधनों का सुझाव देने के लिए समिति गठित की है।</p> <p>2019–20 के दौरान, एअर इंडिया ने, न्यायमूर्ति धर्माधिकारी समिति (जेडीसी) की सिफारिशों के आधार पर, कंपनी को स्थानांतरित कर्मचारियों के प्रति 516.20 लाख रुपए की देनदारी का प्रावधान करने के लिए सूचित किया है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ खर्चों का विवरण मांगा गया है।</li> <li>■ उक्त व्यय को वर्ष 2019–2020 में असाधारण मद के रूप में माना गया है।</li> <li>■ 2019–20 की बहियों का पुनर्कथन किया गया है और परिणामी समायोजन/प्रकटीकरण किया गया है।</li> <li>■ इस पुनर्कथन के परिणामस्वरूप लाभ में कमी आई है और कर्मचारियों की देयता में तदनुरूप वृद्धि के साथ प्रतिधारित आय में 2019–2020 में रु. 516.20 की परिणामी कमी हुई है। (नोट सं. 45 देखें)</li> </ul>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p><b>अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट</b></p>		
<p>1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा यथापेक्षित हम "अनुलग्नक क" में लागू होने की सीमा तक आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।</p>		
<p>2. जैसाकि अधिनियम की धारा 143(3) में अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:</p> <p>क) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।</p> <p>ख) जहां तक बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेखा-बहियां रखी हैं।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>

<p>ग) तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा इस रिपोर्ट द्वारा दिए गए नकदी प्रवाह विवरण लेखा बही के साथ हैं।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>घ) हमारी राय में, पूर्वकथित स्टैडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी लेखा नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>ङ) सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधानों से, निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05/06/2015 के परिपत्र संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कंपनी को छूट प्राप्त है।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता के संबंध में “अनुलग्नक ख” में हमारी अलग रिपोर्ट देखें और हमारी रिपोर्ट कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर अपरिवर्तित मत प्रकट करती है।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>छ) अधिनियम की संशोधित धारा 197(16) की आवश्यकता के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में –</p> <p>हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने उसके निदेशकों को पारिश्रमिक नहीं दिया है / प्रावधान नहीं किया है।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>ज) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :-</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>i. कंपनी ने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों पर नोट 27 देखें;</p> <p>ii. कंपनी की व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि ठेकों पर कोई पूर्वानुमानित महत्वपूर्ण हानि नहीं है, अतः उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।</p> <p>iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं थी।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p> <p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p> <p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षा के अनुसार तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में हम रिपोर्ट करते हैं कि :-</p>	<p>एसएपी प्रविशिट्यों में सहायक दस्तावेज संलग्न करने के संबंध में, बाहरी स्टेशन (दिल्ली के अलावा) में पारित प्रविशिट्यों के लिए दस्तावेज संलग्न हैं। इसे दिल्ली के लिए भी संलग्न करने के लिए आगे प्रयास किए जाएंगे।</p>

<p>क) क्या कंपनी के पास सारे लेखा कार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, लेखा कार्यों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर संसाधित करने का, वित्तीय प्रभावों सहित, लेखा आकलन पर होने वाले परिणाम को, यदि कोई हो, बताया जाए।</p>	
<p>हाँ, निम्नलिखित के अलावा, कंपनी के पास सारे लेखा कार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है:-</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ लेखों के रखरखाव के लिए कंपनी के पास एसएपी है। पास की गई अधिकांश प्रविष्टियों के साथ सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं। इसके बारे में प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।</li> <li>■ कंपनी वेतनपत्रक के अनुरक्षण और संसाधन हेतु प्रौद्योगिकी प्रणाली का आंशिक रूप से उपयोग कर रही है।</li> <li>■ इंटर कंपनी शेष के बकाया राशि पर ब्याज के परिकलन की कोई पद्धति कंपनी में नहीं है। इसे मैनुअली किया जाता है।</li> </ul>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p> <p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>ख) क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा विद्यमान ऋण या <u>ऋण/कर्ज/ब्याज</u> आदि का अधित्याग/ बट्टे खाते में डालने से संबंधित मामलों की पुनःसंरचना की गई है? यदि हाँ, वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। अतः वर्ष के दौरान ऋणदाता द्वारा <u>ऋण/कर्ज/ब्याज</u> आदि का अभित्याग/ बट्टे खाते में डालने से संबंधित कोई मामला नहीं है।</p>	
<p>ग) क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ प्राप्त निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।</p> <p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई प्राप्त/प्राप्त निधि नहीं है।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p><b>लेखापरीक्षा टिप्पणी</b></p>	<p><b>प्रबंधन के उत्तर</b></p>
<p><b>स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क</b></p>	
<p>i. (क) कंपनी मात्रात्मक विवरणों और उनके स्थानों से संबंधित स्थिर परिसंपत्तियों के रिकार्ड अद्यतन करने की प्रक्रिया में है। इसलिए उसका सत्यापन आज तक नहीं किया गया है।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>

<p>(ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की द्विवार्षिक आधार पर स्थिर परिसंपत्तियों के सत्यापन की नीति है। प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।</p> <p>(ग) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्ति नहीं है।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p> <p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>ii. कंपनी की द्विवार्षिक आधार पर इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की नीति है। कंपनी ने आज तक इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। केवल उपकरण 31.03.2018 से पहले सत्यापित किए गए थे।</p>	<p>द्विवार्षिक वर्ष 2020–22 के लिए इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन वित्त वर्ष 2020–21 में महामारी के कारण शुरू नहीं किया जा सका, हालांकि इसे वित्त वर्ष 2021–22 में पूरा किया जाएगा।</p>
<p>iii. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी अथवा अन्य पार्टियों को कंपनी द्वारा कोई रक्षित अथवा अरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया गया है। तदनुसार, खंड 3(iii) (क), (ख) और (ड) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>iv. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार अधिनियम की धारा 185 के प्रावधानों में शामिल किसी पार्टी को कंपनी द्वारा कोई ऋण, प्रत्याभूति या प्रतिभूति नहीं उपलब्ध कराई गई है। अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत दर्ज पार्टियों में किए गए निवेश या उन्हें दिए गए ऋण अथवा उपलब्ध कराई गई प्रत्याभूति या फिर प्रतिभूति के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का कंपनी ने अनुपालन किया है।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>v. धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अर्थों में कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं है।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 148(1) के अधीन लागत रिकार्डों का रखा जाना केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान लागू नहीं है।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, माल एवं सेवा कर, मूल्य संवर्धित कर, (सेस) उपकर तथा अन्य सांविधिक देयताओं सहित गैर-विवादित सांविधिक देयताएं उचित प्राधिकारियों के पास जमा करने में नियमित नहीं है। सांविधिक देयताएं जिस तिथि से देय हैं उससे दिनांक 31 मार्च, 2021 को 6 महिने से अधिक बकाया राशि निम्न प्रकार से है :—</p>	<p>सांविधिक बकाया के भुगतान में देरी मुख्य रूप से महामारी के कारण राजस्व में कमी और अपने ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली में देरी के कारण हुई, क्योंकि कंपनी को वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान तरलता की कमी का सामना करना पड़ा था।</p>

सांविधिक देयताओं की प्रकृति (स्वरूप)	31 मार्च, 2021 को 6 महीने से अधिक की बकाया राशि (रु. मिलियन में)
माल एवं सेवा कर	187.84
भविष्य निधि	1716.64
कर्मचारी राज्य बीमा	4.53
टीडीएस	297.54
व्यवसाय कर	0.02

विदेशी व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित सांविधिक देयताओं को, यदि कोई, लेखापरीक्षा के दौरान शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि रिकार्ड संबंधित व्यवसाय क्षेत्र में रखे जाने के कारण सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे। क्या ये देयताएं समय पर जमा कराई गई? इस पर टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं।

(x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्ड के हमारे परीक्षण के आधार पर, धन कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, माल एवं सेवा कर और मूल्य संवर्धित कर, आयकर की कोई देयता बकाया नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण जमा न किया गया है।

कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग सूचना जो अपील के अधीन हैं:

अधिनियम की प्रकृति	देय राशि की प्रकृति	फोरम जहाँ लंबित	मांग की अवधि	कुल मांग
आयकर	आयकर	सीआईटी (अपील)	2014-15	2,79,27,703
अधिनियम, 1961			2015-16	4,31,39,528
			2016-17	6,22,86,454
			2017-18	18,45,77,891
			2018-19	32,37,74,500
				<b>64,17,06,077</b>

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्ड के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी पर वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार अथवा डिवेंचरधारक का कोई ऋण अथवा उधारी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(viii) लागू नहीं है।

ix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्ड के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा अगला सार्वजनिक प्रस्ताव के पश्चात (ऋण साधनों सहित) या मियादी ऋण के माध्यम से धन एकत्र नहीं किया है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3 (ix) लागू नहीं है।

x. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अथवा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ किया गया कोई कपट न तो पता चला और न ही रिपोर्ट किया गया।

कंपनी के प्रबंधन ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है और भुगतान की योजना बनाई गई है। तदनुसार, अप्रैल, 2021 से 25 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित सांविधिक बकाया का भुगतान किया है:

शीर्ष	रु. मिलियन में
जीएसटी	227-67
जीएसटी पर	2.14
टीडीएस	
वेतन पर टीडीएस	62.-99
व्यवसाय कर	2-21
पीएफ ट्रस्ट	1,337.96
ईपीएफओ	20.38
ईएसआईसी	4.58
<b>कुल</b>	<b>2,220.93</b>

यह तथ्यपरक विवरण है।

कंपनी ने सीआईटी (अपील) द्वारा जारी मांग के खिलाफ अपील दायर की है और कंपनी की राय है कि फैसला कंपनी के पक्ष में होगा। हालांकि, विवेक के मामले में, इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

यह तथ्यपरक विवरण है।

यह तथ्यपरक विवरण है।

यह तथ्यपरक विवरण है।

xii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्ड के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रावधान नहीं किया है। अतः आदेश के प्रावधानों का खंड 3(xi) कंपनी के लिए लागू नहीं है।	यह तथ्यपरक विवरण है।
xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश के प्रावधानों का खंड 3(xii) लागू नहीं है।	यह तथ्यपरक विवरण है।
xiv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई भी अधिमान्य आबंटन या निजी तौर पर आबंटन अथवा पूर्व या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का आबंटन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के प्रावधानों का खंड 3(xiv) लागू नहीं है।	यह तथ्यपरक विवरण है।
xv. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों के हमारे परीक्षण के आधार पर कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी गैर-नकदी संव्यवहार नहीं किया है। तदनुसार आदेश के प्रावधानों का खंड 3(xv) लागू नहीं है।	यह तथ्यपरक विवरण है।
xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45—IA के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (xvi) लागू नहीं है।	यह तथ्यपरक विवरण है।
<b>लेखापरीक्षा टिप्पणी</b>	<b>प्रबंधन के उत्तर</b>
<b>स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक—ख</b>	
<b>वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं</b>  सांठ—गांठ की संभावना अथवा प्रबंधन द्वारा अनुचित रूप से नियंत्रणों को हटाए जाने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण धोखाधड़ी या फिर कपट के परिणामस्वरूप विवरणों में व्यापक गलती हो सकती है तथा उनका पता नहीं चल सकता। आगे की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की कोई भी वास्तविकता इस जोखिम के अधीन होती है कि परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गुणवत्ता अथवा मात्रा में अवनति हो सकती है। हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2021 को निम्नलिखित कमियों की पहचान की गई :	

<p>i) कंपनी के पास सांविधिक देयताओं की कटौती, उनको समय से जमा करने, रिटर्न फाइल करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।</p> <p>ii) समय पर लेखा प्रविष्टियां करने, दोहरी लेखा प्रविष्टि को रोकने और मेकर चेकर प्रक्रिया के लिए कंपनी के पास प्रभावी प्रणाली नहीं है।</p> <p>iii) एसएपी में अधिकांश प्रविष्टियों की वैधता की जांच करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज नहीं है। अन्य कंपनियों के समूह द्वारा किए गए खर्चों की बाद में कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति की गई, उसके कोई सहायक दस्तावेज नहीं है।</p> <p>iv) अन्य पार्टियों के साथ बकाया राशि का समाधान करने के लिए कंपनी के पास प्रभावी प्रणाली नहीं है।</p> <p>v) कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा है। आंतरिक लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया गया था लेकिन तीन तिमाहियों की रिपोर्ट एक साथ प्रस्तुत की गई थी। चौथी तिमाही की रिपोर्ट अगस्त 2021 में प्रस्तुत की जाती है। हमारा सुझाव है कि कंपनी वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करे, ताकि उनकी टिप्पणियों पर समय पर कार्रवाई की जा सके।</p>	<p>कंपनी वित्त विभाग में और अधिक जनशक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया में है और प्रणाली को और मजबूत करने में सक्षम होगी।</p> <p>प्रतिपूर्ति का आधार संबंधित समूह कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित एमएसए है। सभी प्रमुख प्रविष्टियों के लिए सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए मामले को समूह की कंपनियों के साथ उठाया जाएगा।</p> <p>कंपनी ने पहले ही नियमित आधार पर अन्य पार्टियों के साथ शेष राशि के समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।</p> <p>वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में देरी मुख्य रूप से महामारी के कारण हुई है।</p>
<p><b>मटेरियल वीकनेस</b></p> <p>वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में “मटेरियल वीकनेस” एक ऐसी कमजोरी या कमजोरियों का समूह है जिससे इस बात की काफी संभावना रहती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरण में गलत विवरण को समय से रोका या पता नहीं लगाया जा सकता।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p><b>मत</b></p> <p>हमारा मत है कि नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों को प्राप्त करने में, ऊपर वर्णित मटेरियल वीकनेस के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी प्रकार से पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों पर विचार करके वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड के आधार पर कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2021 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।</p>	<p>यह तथ्यपरक विवरण है।</p>
<p>हमने कंपनी के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के 31 मार्च, 2021 की तिथि की हमारी लेखापरीक्षा में अपनाए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों के स्वरूप, समय तथा सीमा के निर्धारण में ऊपर दी गई महत्वपूर्ण कमियों पर विचार किया है तथा उन्हें रिपोर्ट किया है एवं यह महत्वपूर्ण कमियां कंपनी के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती है।</p>	

## 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि मिलियन में)

	विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2021 को	31.03.2020 को
<b>परिसंपत्तियां:</b>				
<b>1)</b>	<b>गैर-चालू परिसंपत्तियां</b> (i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (ii) अन्य अमूर्त परिसंपत्तिया (iii) पुंजीगत कार्य-प्रगति पर (iv) वित्तीय परिसंपत्तियां : क) ऋण ख) अन्य (v) आय कर परिसंपत्तियां (vi) अन्य गैर-परिसंपत्तियां	2 2 2 3 4	488.0 109.5 0.1 597.5	593.9 0.1 593.9
<b>2)</b>	<b>चालू परिसंपत्तियां</b> i) इन्वेटरियां ii) वित्तीय परिसंपत्तियां: क) व्यापार प्राप्तियां ख) नकद और नकदी समतुल्य ग) उपरोक्त (ख) के अलावा बैंक शेष घ) ऋण ङ) अन्य iii) चालू कर परिसंपत्तियां iv) अन्य चालू परिसंपत्तियां	5 6 7 8 9 10 11	828.2 12,531.1 4.8 33.7 3.9 780.7 188.1	752.6 26,686.3 82.3 33.7 3.9 1,125.1 245.6
		कुल	14,370.7 14,968.2	28,929.6 29,523.5
<b>इविवटी और देयताएं:</b>				
<b>1</b>	<b>इविवटी</b> i) इविवटी शेषर पूँजी ii) अन्य इविवटी	12 13	1,666.7 -23,850.1	1,666.7 -23,969.5
<b>2</b>	<b>देयताएं:</b> <b>गैर-चालू देयताएं:</b> क) वित्तीय देयताएं i) उधार ii) व्यापार देयताएं iii) अन्य ख) प्रावधान ग) अन्य देयताएं	14	6,645.6	7,070.3
		कुल	6,645.6 30,506.0 14,968.2	7,070.3 44,756.1 29,523.5
<b>महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और</b>		1	-	-
<b>वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां</b>		2-52		

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।  
यह तुलन पत्र हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार है।

के लिए और उनकी ओर से

प्रकाश चंद्र जैन एंड क.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002438सी

हस्ता/-

प्रतिभा शर्मा

पार्टनर

सदस्यता सं. 400755

यूडीआईएन: 20400755AAAACA5751

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-

राजीव बंसल

अध्यक्ष

डीन नं 00245460

हस्ता/-

वी ए पटवर्धन

निदेशक

डीन नं. 08701559

हस्ता/-

अरुण कुमार बंसल

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

## 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

(राशि मिलियन में)

विवरण	टिप्पणी सं.	2020-21	2019-20
<b>राजस्व</b>			
I प्रचालन से राजस्व	19	11,600.2	14,028.3
II अन्य आय	20	255.2	247.6
<b>III कुल राजस्व (I+II)</b>		<b>11,855.4</b>	14,275.9
<b>IV व्यय</b>			
कर्मचारी हितलाभ व्यय	21	6,911.1	8,573.7
वित्त लागत	22	1,561.6	1,442.6
मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय	23	115.2	126.5
अन्य व्यय	24	3,363.4	3,061.1
कुल व्यय		<b>11,951.2</b>	13,203.8
पूर्वावधि समायोजन के बाद कुल व्यय		<b>11,951.2</b>	13,203.8
V अपवादात्मक मदों तथा कर पूर्व लाभ / (हानि) (V+VI)	45	-95.8	1,072.0
VI अपवादात्मक मदें			516.2
VII असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ / (हानि) (V+VI)		-95.8	555.8
<b>VIII कर व्यय :</b>			
i) चालू कर		-	0.2
ii) पिछले वर्ष से संबंधित कर समायोजन			
iii) आस्थगित कर			
<b>IX अवधि के लिए कर पश्चात लाभ / (हानि) (IX-X)</b>		<b>-95.8</b>	555.7
<b>X अन्य व्यापक आय</b>			
परिभासित लाभ बाध्यता पर बीमांकिक लाभ / (हानि)		<b>215.2</b>	-313.3
कुल व्यापक आय		<b>119.4</b>	242.4
<b>XI प्रत्येक 10 रुपए के प्रति शेयर अर्जन</b>			
मूल	25	-0.6	3.3
मंदित	25	-0.6	3.3
<b>महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां</b>	1		
<b>वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां</b>	<b>2-52</b>		

संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के लिए और उनकी ओर से

प्रकाश चंद्र जैन एंड कं.

सनदी लेखाकर

फर्म पंजीकरण सं. 0024388ी

हस्ता / –

प्रतिभा शर्मा

पार्ननर

सदस्यता सं. 400755

यूडीआईएन: 20400755AAAACA5751

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता / –

राजीव बंसल

अध्यक्ष

डीन नं 00245460

हस्ता / –

वी ए पटवर्धन

निदेशक

डीन नं. 08701559

हस्ता / –

अरुण कुमार बंसल

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 26 अगस्त, 2021

## 31 मार्च 2021 को इकिवटी में परिवर्तन का विवरण

(राशि मिलियन में)

क. इकिवटी शेयर पूंजी	31.03.2021 को	31.03.2020 को	
		शेयरों की सं.	राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष वर्ष के दौरान इकिवटी शेयर पूंजी में परिवर्तन जोड़ें: वर्ष के दौरान आबंटित इकिवटी शेयर घटाएं: पुनर्खरीद	166,666,500	1,666.7	166,666,500
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	166,666,500	1,666.7	166,666,500

विवरण	अन्य इकिवटी		कंपनी के इकिवटी धारकों के कारण कुल इकिवटी
	आरक्षण और अधिशेष	अन्य व्यापक आय—आरक्षण	
	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनःपूर्ति	
1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष अवधि के लिए लाभ / (हानि) अन्य व्यापक आय / (हानि) जोड़ें/ घटाएं: पूर्वावधि समायोजन	-21,498.1 555.7 -	- - -313.3	-21,498.1 555.7 -313.3
31.03.2020 को शेष	-23,656.2	-313.3	-23,969.5
1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष पहले के वर्षों के आस्थगित कर परिसंपत्ति का प्रभाव अवधि के लिए लाभ / (हानि) जोड़ें/ घटाएं: पूर्वावधि समायोजन अन्य व्यापक आय / (हानि)	-23,969.5 - -95.8 -	- - - 215.2	-23,969.5 - -95.8 215.2
31.03.2021 को शेष	-24,065.3	215.2	-23,850.1

संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के लिए और उनकी ओर से

प्रकाश चंद्र जैन एंड क.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002438सी

हस्ता/—

प्रतिभा शर्मा

पार्टनर

सदस्यता सं. 400755

यूटीआईएन: 20400755AAAACA5751

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/—

राजीव बंसल

अध्यक्ष

डीन नं 00245460

हस्ता/—

वी ए पटवर्धन

निदेशक

डीन नं. 08701559

हस्ता/—

अरुण कुमार बंसल

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 26 अगस्त, 2021

## 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि मिलियन में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
क प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह करों और असाधारण मर्दों से पहले शुद्ध (हानि) / लाभ: निम्नलिखित के लिए समायोजन : मूल्यहास तथा परिशोधन परिसंपत्तियों की बिक्री से शुद्ध (हानि) / लाभ कॉल और सावधि जमा पर व्याज व्याज व्यय असाधारण मर्दे अन्य समायोजन कार्यशील पूँजी परिवर्तन से पहले प्रचालन (हानि) / लाभ परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन व्यापार और अन्य प्राप्तियां व्यापार और अन्य देनदारियां अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और अन्य परिसंपत्तियां अन्य वित्तीय देयताएं और अन्य देयताएं प्रचालन से नकदी प्रवाह आय कर का भुगतान प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (में प्रयुक्त) ख निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह रिथर परिसंपत्तियों का अभिग्रहण अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों का अभिग्रहण व्याज आय निवेश संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह घ वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह व्याज व्यय वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (में प्रयुक्त) नकद तथा नकदी समानकों में निवल वृद्धि / (कमी) नकद तथा तकदी समानक (प्रारंभिक शेष) नकद तथा तकदी समानक (अंत शेष)	-95.8  115.2 0.0 -2.0 1,561.6 - 215.2  14,155.2 -1,440.7 326.3 -13,234.0  -118.8 - 2.0  -1,561.6  हस्ता / – राजीव बंसल अध्यक्ष डीन नं 00245460  हस्ता / – गगन बत्रा कंपनी सचिव एसीएस – 19523	1,072.0  126.5 0.0 -1.0 1,442.6 -516.2 -313.3 738.6  1,810.6  -12,601.0 6,911.8 -657.5 6,046.3 -300.5  1,510.2 0.2 1,510.0  -40.0 0.2 1.0 -38.8  -1,442.6 28.6 53.7 82.3  हस्ता / – वी ए पटवर्धन निदेशक डीन नं. 08701559  हस्ता / – कपिल असरी मुख्य वित्तीय अधिकारी

## टिप्पणियां

- 1 नकदी प्रवाह विवरण को "अप्रत्यक्ष फहदति" के अंतर्गत तैयार किया गया है, जैसाकि "नकदी प्रवाह विवरण" पर लेखाकरण मानक 3 (लेखाकरण मानक-3) में है तथा प्रचालन, निवेश और वित्त संबंधी गतिविधियों द्वारा नकदी प्रवाह प्रस्तुत करता है।

संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के लिए और उनकी ओर से

प्रकाश चंद्र जैन एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002438सी

हस्ता / –

प्रतिभा शर्मा

पार्टनर

सदस्यता सं. 400755

यूडीआईएन: 20400755AAAACA5751

राशन : नई दिल्ली

तारीख : 26 अगस्त, 2021

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता / –

राजीव बंसल

अध्यक्ष

डीन नं 00245460

हस्ता / –

वी ए पटवर्धन

निदेशक

डीन नं. 08701559

हस्ता / –

कपिल असरी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता / –

अरुण कुमार बंसल

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

## एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व की एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड)

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां  
नोट “1”

### क. निगमित सूचना

एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (भारत सरकार की कंपनी, एअर इंडिया लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत CIN: U74210DL2004GOI125114 सहित बनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। दिनांक 03 अगस्त, 2020 को कंपनी ने अपना नाम एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड से बदलकर एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड रखा है। कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय एयरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली और दिल्ली-110001 में स्थित है। कंपनी ने दिनांक 01 जनवरी 2015 से एमआरओ सेवाएं प्रदान करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदन प्राप्त किया है। कंपनी द्वारा उसकी मूल कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड एवं एअर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों अर्थात् एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और एअरलाइन अलाइड सर्विसेस लिमिटेड के साथ उनके विमानों की इंजीनियरी से संबंधित सेवाएं देने के लिए एक समझौता ज्ञापन बनाया गया है। कंपनी, भारतीय और विदेशी थर्ड पार्टीयों को मुख्यतः एअरलाइन को लाइन रखरखाव सेवाएं तथा एमआरओ सेवाएं भी प्रदान करती है।

### ख. लेखांकन परिपाठी

कंपनी ने यह वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 का तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण, वर्ष के लिए उस तिथि को समाप्त हुए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लेखांकन नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, तैयार किए हैं (साथ में इसके बाद वित्तीय विवरण कहलाए जाएंगे)।

#### i. तैयारी तथा प्रस्तुती का आधार

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक के अनुसार, और जैसाकि नीचे दी गई लेखांकन नीतियों में बताया गया है, प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में, उचित मूल्यों पर माने जाने वाले कुछ वित्तीय साधनों के अलावा, ऐतिहासिक लागत परिपाठी के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

उचित मूल्य वो मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त किया जाएगा अथवा इस बात पर ध्यान दिए बिना की मूल्य सीधे तौर पर अवलोकन योग्य है या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित है, बाजार सहभागियों के बीच एक लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। परिसंपत्ति अथवा देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में कंपनी परिसंपत्ति या देयता की विशेषताओं को ध्यान में रखती है, यदि बाजार सहभागी मापन दिन पर परिसंपत्ति अथवा देयता का मूल्य निर्धारण करने के लिए उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं।

मापन के लिए उचित मूल्य और/अथवा इन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण का उद्देश्य, लेन-देन के मामलों को छोड़कर, जो भारतीय लेखा मानक 17 के दायरे में है और मापदंड जिसमें उचित मूल्य की कुछ समानताएं हैं लेकिन वो उचित मूल्य नहीं है, जैसे भारतीय लेखा मानक 2 में प्राप्य निवल मूल्य अथवा भारतीय लेखा मानक 36 में उपयोग मूल्य, इस तरह के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से, स्तर के आधार पर जिस पर उचित मूल्य मापन के लिए निवेश लक्षित है और संपूर्णता में उनका महत्व है, उचित मूल्य मापन स्तर 1,2, और 3 में वर्गीकृत किए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं :—

- स्तर 1 : निवेश सक्रिय बाजार में समान परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए कथित मूल्य (असमायोजित) है, जिसे मापन दिवस पर ईकाई प्राप्त कर सकती है।
- स्तर 2 : निवेश कथित मूल्यों के अलावा स्तर 1 में शामिल किए गए हैं और परिसंपत्ति अथवा देयता के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लक्षित है।
- स्तर 3 : निवेश परिसंपत्ति अथवा देयता के लिए अलक्षित निवेश है।

तुलन पत्र में निरंतर आधार पर पहचाने जाने वाले परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए कंपनी यह निर्धारित करती है तथा यह स्थानांतरण स्तरों के बीच स्तर के अनुसार हुआ है। यह कार्य वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन (पूरी तरह से उचित मूल्यमापन महत्वपूर्ण होने के साथ न्यूनतम स्तर के आधार पर) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक किया जाता है। उचित मूल्य दर्शाने के उद्देश्य से कंपनी में परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण उनकी प्रकृतिकारक और परिसंपत्तियों और देयताओं के खतरों के आधार पर निर्धारित किया गया है जैसा कि ऊपर उचित मूल्य स्तर पर बताया गया है।

## ii. कार्यात्मक मुद्रा

प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा जिसमें कंपनी का प्रचालन (कार्यात्मक मुद्रा) भारतीय रूपया (रु.) है, जिसमें कंपनी मुख्य रूप से नकदी उत्पन्न करती है और उसका विस्तार करती है। तदनुसार प्रबंधन ने उसकी कार्यात्मक मुद्रा के रूप में भारतीय रूपए (रु.) का निर्धारण किया है। वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की प्रस्तुती और कार्यात्मक मुद्रा है और वित्तीय विवरणों एवं टिप्पणियों में प्रकटित सभी राशियों को जब तक की न कहा गया हो, निकटतम मिलियन तक (एक दशमलव तक) पूर्णांकित किया गया है।

## iii. चालू और गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी सेवा क्षेत्र में होने के कारण कोई विशिष्ट प्रचालन साइकिल नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार 12 माह की अवधि को "प्रचालन साइकिल" के रूप में अपनाया गया है।

कंपनी चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित मापदंडों में से किसी एक को पूरा करती है :—

- कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में इसका प्राप्त होना अपेक्षित है। इसका मुख्य उद्देश्य सेवाएं प्रदान करना है।
- रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 माह के अंदर इसका प्राप्त होना अपेक्षित है।
- यह नकद या नकद के समान है, जब तक इसे एक्सचेंज करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता या रिपोर्टिंग तिथि के बारा महिनों के बाद कम से कम एक देयता का निपटारा करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। अन्य सभी परिसंपत्तियां गैर-चालू में वर्गीकृत की गई हैं।

किसी देयता को चालू में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब वह निम्नलिखित मापदंडों में से किसी एक को पूरा करता है।

- कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में इसका निपटारा होना अपेक्षित है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सेवाएं प्रदान करना है।
- रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह के अंदर इसका निपटारा किया जाना है अथवा कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 महिनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकारी नहीं है। एक देयता की शर्तें जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, परिणामस्वरूप इसका निपटारा इक्विटी उपकरण जारी करने के

साथ है, उसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता।

अन्य सभी देयताएं गैर-चालू में वर्गीकृत की गई हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताओं को केवल गैर-चालू रूप में वर्गीकृत किया गया है।

#### iv. महत्वपूर्ण लेखा अनुमान/निर्णय

इन वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए प्रबंधन ने कुछ निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाई है, जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग, परिसंपत्तियों, देयताओं की रिपोर्ट की राशि और आय और व्यय की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। जहाँ आवश्यक हो, लेखांकन अनुमानों के संशोधनों की संभावित रूप से पहचान की जाती है।

अनुमान और निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्र (जैसा कि संबंधित लेखा नीतियों में कहा गया है), जो वित्तीय वक्तव्यों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, निम्न प्रकार से है :—

- क) परिसंपत्तियों की क्षति
- ख) उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य का मापन और कौन से लागत के घटकों को पंजीकृत किया जा सकता है इसका मूल्यांकन
- ग) निवेश संपत्ति के रूप में संपत्ति के वर्गीकरण का आधार
- घ) बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का आधार
- ङ.) पुनःवितरण की लागत का अनुमान
- च) आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान
- छ) निर्धारित लाभ दायित्वों की पहचान और मापन
- ज) पट्टे का वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मूल्यांकन
- झ) उचित मूल्यों और अपेक्षित ऋण हानि का मापन (ईसीएल)
- ञ) मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि क्या कराधान विवादों और कानूनी दावों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा। यह संभव है या नहीं।

#### ग. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

##### 1. संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण

क. संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण की मूल लागत में अधिग्रहण, उनको प्रयोग के स्थान पर लाना तथा उस तिथि तक जबकि परिसंपत्ति को प्रयोग के लिए लिया गया है के लिए ब्याज पर लिया गया ऋण आनुषंगिक व्यय में शामिल है।

ख. परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन आवर्ती आधार पर किया जाता है, ताकि प्रत्येक संपत्ति प्रत्येक दो वर्षों में सत्यापित की जा सके और यदि कोई त्रुटि पाई गई तो उन्हें बही खातों में दर्ज किया जाए।

##### 2. मूल्यांकन/परिशोधन

ि. मूल लागत के 5% का अवशिष्ट मूल्य रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित किए गए अनुसार परिसंपत्तियों की उपयोगिता आयु पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यांकन

उपलब्ध किया जाता है।

- ii. अधिग्रहण के पूर्ण वर्ष के लिए प्रदान की गई संपत्ति के अतिरिक्त मूल्यहास और निपटान के वर्ष में कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया जाता है।
- iii. निश्चित आर्थिक आयु वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का उनकी अनुमानित उपयोगी आयु के बाद परिशोधन किया गया है। अनिश्चित उपयोगी जीवन वाले अमूर्त परिसंपत्तियों का परीक्षण क्षति के लिए किया जाता है।

### 3. पट्टे

अनुबंध के प्रारंभ के समय कंपनी मूल्यांकन करती है, कि क्या अनुबंध में पट्टे शामिल है। यदि अनुबंध विचाराधीन विनियम अवधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो पट्टों के लेनदेन के मूल्यांकन हेतु कंपनी ने श्रेष्ठता दृष्टिकोण के लिए व्यावहारिक समीचीन लागू किया। तदनुसार, भारतीय लेखा मानक 116 केवल उन अनुबंधों पर लागू किया जाता है, जिन्हें पूर्व में भारतीय लेखा मानक 17 के तहत पट्टों के रूप में पहचाना जाता था। पट्टेदार के रूप में पट्टे (पट्टे पर ली गई परिसंपत्ति), अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर, कम मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टों के लिए कंपनी एक मान्यता और मापन दृष्टिकोण लागू करती है और पट्टा अनुबंध जिसमें पट्टेदार और पट्टाकर्ता दोनों को बिना दूसरे पक्ष से अनुमति के और बिना किसी महत्वपूर्ण दंड के पट्टे को समाप्त करने का अधिकार है।

#### पट्टेदार के रूप में :

अनुबंध के प्रारंभ में कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या अनुबंध में पट्टे शामिल है या नहीं। अनुबंध जिसमें पट्टा शामिल है, विचार विनियम की अवधि के दौरान पहचाने गए परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह निर्धारण करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध, पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकारी देता है, कंपनी निर्धारित करती है कि

- i. अनुबंध में पहचान की गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है।
- ii. कंपनी के पास पट्टे की अवधि में परिसंपत्ति के उपयोग से होनेवाले सभी आर्थिक लाभ हैं तथा
- iii. कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

#### पट्टाकर्ता के रूप में :

पट्टे जिसके लिए कंपनी पट्टाकर्ता है, वित्त अथवा प्रचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। जब भी पट्टे की शर्तों ने पट्टे के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को व्यापक रूप से पट्टेदार को स्थानांतरित किया है, उस अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी पट्टे प्रचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। जब कंपनी मध्यवर्ती पट्टाकर्ता होती है, तो वह अपने लाभों को मुख्य पट्टे और उप पट्टे जैसे खातों में अलग से दर्ज करती है। उप पट्टे को, मुख्य पट्टे से उत्पन्न होनेवाली आरओयू परिसंपत्ति के संदर्भ में वित्त या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन पट्टों के लिए, किराए की आय को, संबंधित पट्टे की अवधि और स्ट्रेट लाईन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

### 4. राजस्व की पहचान

- i. कंपनी को मुख्यतः अनुरक्षण, रिपेअर एवं ओवरहॉल सेवाएं (एमआरओ सेवाएं), लाइन रखरखाव, (विमान इंजनों का तकनीकी हैंडलिंग) और अन्य विमान संबंधी सेवाओं से राजस्व प्राप्त होता है।
- ii. प्रचालन से राजस्व

राजस्व की पहचान तब होती है, जब बाह्य माल अथवा सेवा (परिसंपत्ति) ग्राहक को संतोषजनक रिती से स्थानांतरित की जाती है। जब ग्राहक उक्त परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त करता है, तब परिसंपत्ति स्थानांतरित की जाती है।

विमान और विमान इंजन द्वारा उड़ाए गए ब्लॉक घंटों के आधार पर हुए करार के संबंध में, राजस्व की पहचान उड़ाए गए वास्तविक ब्लॉक घंटों के आधार पर होती है।

लाइन रखरखाव सेवाओं के अन्य करार के संबंध में, राजस्व की पहचान हैंडल किए गए उड़ानों की संख्या से होती है।

- iii. प्रशिक्षण सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान शुल्क प्राप्त होने के बाद होती है।
- iv. निवल मूल्यहास से अधिक मूल्य के पीपीई की बिक्री/स्क्रैप से उत्पन्न होने वाले लाभ/हानि को गैर प्रचालन राजस्व अथवा अन्य व्यय के रूप में लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।
- v. समय अनुपात के आधार पर प्रभावी व्याज पद्धति का उपयोग करके व्याज से प्राप्त हुई आय को मान्यता दी जाती है। किराए से होनेवाली आय को समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।
- vi. बीमा कंपनी से प्राप्त होनेवाले दावों को, बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत किए जाने पर लेखाबध किया जाता है।
- vii. विक्रेता से प्राप्त हुए वारंटी के दावे/क्रेडिट नोट उनके प्राप्ति की स्वीकृति पर मान्य किए जाते हैं।

## 5. इन्वेंटरियां

इन्वेंटरी में प्राथमिक रूप से स्टोअर तथा कलपुर्ज और खुले औजार शामिल होते हैं। इन्वेंटरी में विविध स्टोअर और कलपुर्ज शामिल हैं जिनका मापन कम किमत पर और प्राप्य निवल मूल्य (एनआरवी) पर किया जाता है। इन्वेंटरी की लागत तुलनात्मक औसत आधार पर निर्धारित की जाती है। प्राप्य निवल मूल्य इन्वेंटरी के लिए अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागतों की सभी अनुमानित लागतों को कम करता है।

## 6. कर्मचारी हितलाभ

**क) अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:** सभी कर्मचारी हितलाभ जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों में दिए जाते हैं उनको अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ कहा जाता है। हितलाभ जैसे वेतन, मजदूरी एवं अल्पावधि क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति आदि तथा बोनस, अनुग्रह अनुदान की अनुमानित लागत उस अवधि में दर्शाए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं।

**ख) रोज़गार पश्चात् हितलाभ :**

परिभाषित अंशदायी योजना में कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना शामिल है। कंपनी में स्थानांतरित किए गए एअर इंडिया लिमिटेड के स्थायी कर्मचारियों के लिए देय भविष्य निधि को एअर इंडिया लिमिटेड में बनाए गए भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया गया। जहां तक अन्य कर्मचारियों का संबंध है, देय भविष्य निधि कंपनी द्वारा ईपीएफओ कार्यालय में जमा कराया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा को देय राशि सरकारी प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की जा रही है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं वे हैं जो निधिबद्ध नहीं होती जैसे उपदान, छुट्टी नकदीकरण, जिसमें बीमारी छुट्टी और अन्य लाभ शामिल हैं।

उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा चिकित्सा की देयता वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के तहत बीमांकिक तौर पर निर्धारित की जाती है।

## 7. परिसंपत्तियों की क्षति

तुलन-पत्र की प्रत्येक तिथि पर लेखाकरण मानक-36 के अनुसार क्षति के लिए परिसंपत्तियों के वहन मूल्य का परीक्षण किया जाता है जिससे निम्नलिखित का निर्धारण किया जाए :

क) क्षति हानि, यदि कोई है तो, के लिए प्रावधान; और

ख) पूर्वावधि में दर्शाया गया क्षति हानि का निराकरण, यदि कोई हों,

परिसंपत्ति की वर्तमान राशि अपनी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाने की स्थिति में क्षति हानि को माना जाता है।

## 8. आय पर कर

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

### i. वर्तमान कर

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, चालू कर, यदि कोई हो तो, उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

### ii. आस्थगित कर

आस्थगित कर की पहचान वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की मात्रा के बीच अस्थाई अंतर के संबंध में और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए संबंधित कर आधार पर की जाती है। सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं की पहचान की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर/मिन्नता के रूप में उस सीमा तक की जाती है, जहाँ तक ये संभावना होती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके लिए कटौती योग्य अस्थायी अंतर का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह की आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की पहचान नहीं की जाती है, यदि लेन-देन में परिसंपत्ति और देयता की प्रारंभिक पहचान (व्यापार संयोजन के अलावा) में अंतर उत्पन्न होता है, जो न तो करयोग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है। इसके अलावा आस्थगित कर देयताओं की पहचान नहीं की जाती यदि प्रारंभिक गुडविल/साख की पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखरखाव राशि की समीक्षा हर एक रिपोर्टिंग अवधि समाप्ति पर की जाती है तथा उस सीमा तक कम की जाती है कि पर्याप्त मात्रा में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे इसकी अब कोई संभाव्यता नहीं है, जो परिसंपत्ति अथवा उसके किसी भाग की वसूली कर सकेगी।

कर कानूनों के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान किया जाता है, जो भविष्य के आयकर देयता के समायोजन के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देता है और यदि इस बात के ठोस प्रमाण है कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी तो इसे आस्थगित कर संपत्ति माना जाता है। तदनुसार, जब इसकी संभावना होती है कि भविष्य में इससे जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे, तब (एमएटी) को तुलन पत्र में एक परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति और देयताओं का मापन उस कर दर पर किया जाता है, जो उस वर्ष में अधिनियमित किए गए अथवा रिपोर्टिंग वर्ष के अंत तक लगातार अधिनियमित किए गए कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर, देयताओं के समाधान या परिसंपत्तियों के प्राप्त होने के समय लागू है।

आस्थगित कर संपत्तियां और आस्थगित कर देयताओं को निरस्त किया जाता है यदि वर्तमान कर संपत्तियों को वर्तमान कर देयताओं के विरुद्ध निरस्त करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और एक ही कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हो।

आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की जाती है और उन्हें इस हद तक आगे बढ़ाया जाता है कि कंपनी के प्रचालन और वित्तीय पुनर्गठन, राजस्व उत्पादन और लागत में कमी कार्यक्रम के आधार पर भविष्य में परिसंपत्तियों की प्राप्ति होगी इस बात की एक आभासी निश्चिती होती है।

### वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित कर

लाभ और हानि में वर्तमान और आस्थगित कर की पहचान की जाती है सिवाय इसके कि वे उन वस्तुओं से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इकिवटी में स्वीकृत किया गया है, तथा जिस मामले में वर्तमान या आस्थगित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इकिवटी में स्वीकृत किया गया हो। जहाँ व्यवसाय

संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से वर्तमान कर और आस्थगित कर की उत्पत्ती होती है, कर का प्रभाव व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में शामिल होता है।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को निरस्त किया जाता है, जब वे एक ही कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हो और संबंधित प्राधिकारी निवल आधार पर वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देयताओं का निपटान करने का हेतु रखती हो।

#### 9. प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं तथा प्रासंगिक परिसंपत्तियां

- क) पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा संरचानात्मक) की पहचान होने पर माप के आकलन में काफी प्रावधान शामिल करना पड़ सकता है और यह भी संभव है कि संसाधनों को खर्च करना पड़ सकता है। धन के संबंध में समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होने पर वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करके प्रावधानों में छूट प्रदान की जाती है जो उचित होने पर देयता की विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। इन आकलनों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान में सर्वोत्कृष्ट आकलनों को दर्शाने के लिए समायोजित किए जाते हैं। प्रावधान से संबंधित व्यय लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।
- ख) जोखिमों और दायित्व को लेकर अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रावधान के रूप में स्वीकृत की गई राशि, तुलन पत्र की तारीख में वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए सबसे अच्छा अनुमान है। जब वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए नकदी प्रवाह के अनुमानों का उपयोग करते हुए एक प्रावधान का मापन किया जाता है, तो यह राशि वहन उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य है (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है)।
- ग) जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तीसरे पक्ष से बसूल किए जाने की उम्मीद की जाती है, तो प्राप्त को संपत्ति के रूप में स्वीकृत किया जाता है, यदि यह निश्चित रूप से निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी और प्राप्त की राशि को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है।
- घ) प्रासंगिक देयताओं का पता उन संभावित दायित्वों के संबंध में नोट के माध्यम से लगाया जाता है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके अस्तित्व की पुष्टि कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना से होती है।
- ङ) प्रासंगिक परिसंपत्तियां संभाव्य परिसंपत्तियां हैं जो पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होती हैं तथा जिनको मौजूद होने की पुष्टि भविष्य में होनेवाली एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं के होने अथवा ना होने द्वारा होती है जो कि पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। आर्थिक लाभ की संभावना होने पर प्रासंगिक परिसंपत्ति दर्शाई जाती है।

#### भारयुक्त अनुबंध

- च) जहां कंपनी के पास ऐसा अनुबंध होता है, जिसके तहत अनुबंध के दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत अनुबंध से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों से अधिक होती है, वहां ऐसे अनुबंध को भारयुक्त अनुबंध कहा जाता है। वर्तमान भारयुक्त अनुबंधों के तहत आनेवाले दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना और मापा जाता है।

#### 10. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने इक्विटी शेयरों के लिए मूल तथा तनुकृत अर्जन / (हानि) प्रति शेयर (ईपीएस) डाटा प्रस्तुत करती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की संख्या के औसत मूल्य द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को दिए जाने वाले कर के बाद निवल लाभ में बांटकर किया जाता है। प्रति इक्विटी शेयर कम अर्जन की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत संख्या तथा कम महत्वपूर्ण इक्विटी शेयर पर कुल कर के बाद निवल लाभ के समायोजन को बांटकर किया जाता है।

#### 11. वित्तीय साधन

एक एंटिटी के वित्तीय परिसंपत्ति को बढ़ाने वाले और दूसरी एंटिटी के वित्तीय देयताएं अथवा इक्विटी साधन वाले किसी संविदा को वित्तीय साधन माना जाता है।

## क. वित्तीय परिसंपत्तियां

### (i) वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार करती है जिसे बाद में परिशोधित लागत, उचित मूल्य अन्य समेकित आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से अथवा लाभ एवं हानि (एफवीटीपीएल) विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित करती है। यह निर्धारण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए इसके व्यवसाय मॉडल और वित्तीय संपत्तियों के नकद प्रवाह की प्रकृति पर आधारित है।

### (ii) प्रारंभिक पहचान एवं मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य पर की जाती है जिन्हें लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य की प्राप्ति पर दी जाने वाली छूट स्थानांतरण लागत के आधार पर किया जाता है।

### (iii) उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्य से वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

**(क) परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियां:** व्युत्पन्न एवं विशिष्ट निवेशों के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों का उत्तरवर्ती मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है। यदि इस प्रकार के व्यवसाय मॉडल के रूप में रखा जाता है जिसका उद्देश्य परिसंपत्ति से संविदा के रूप में नकद प्रवाह जमा करना होता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा की शर्तें निर्धारित तिथि पर नकद प्रवाह के लिए होती हैं जो पूरी तरह से शेष मूल्यराशि पर मूल्यराशि और ब्याज के भुगतान पर आधारित होती है।

**(ख) अन्य समेकित आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:**

विशिष्ट निवेश वाली वित्तीय परिसंपत्ति का उत्तरवर्ती मापन अन्य कुल आय के द्वारा उचित मूल्य पर किया जाता है यदि इसे ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदा नकद प्रवाह और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्तें किसी निश्चित तिथि पर नकद प्रवाह को बढ़ाती हैं जो पूरी तरह, शेष मूल राशि पर मूल तथा ब्याज के भुगतान पर पूरी तरह आधारित है। कंपनी ने अपने निवेश के संबंध में अपरिवर्तनीय चुनाव किया है जो इसके व्यवसाय मॉडल पर आधारित अन्य समेकित आय में उचित मूल्य में तत्पश्चात होने वाले परिवर्तन संबंधी को दर्शाने के लिए इक्विटी साधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

**(ग) लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:** उपरोक्त किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों को, जिसमें व्युत्पन्न शामिल है तत्पश्चात लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य निर्धारण किया गया है।

### (iv) डी-रिकग्नीशन

परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त होना समाप्त होने पर अथवा कंपनी द्वारा परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारी को स्थानांतरित कर देने पर वित्तीय परिसंपत्ति को प्राथमिक रूप से डी-रिकग्नाइज्ड कर दिया जाता है।

### (v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी व्यापार से प्राप्य यह संविदा राजस्व प्राप्य और सभी पट्टा प्राप्य आदि के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों पर अनुमानित क्रेडिट हानि मॉडल पर हानि और क्षति से हुई हानि की पहचान का मूल्यांकन

करती है।

#### (vi) बट्टा खाता

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की कुल राशि को वसूली की वास्तविक संभावना होने की सीमा तक बट्टे खाते में (आंशिक या पूरी तरह) डाल दिया जाता है। ऐसा सामान्यतः उस मामले में होता है जबकि कंपनी यह निर्णय लेती है कि दूसरी पार्टी के पास बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि के लिए कोई परिसंपत्ति अथवा आय का स्त्रोत नहीं होता जिससे पर्याप्त नकद प्रवाह प्राप्त हो सके। तथापि बट्टे खाते में डाली गई वित्तीय परिसंपत्तियों को शेष राशि के वसूली के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी गतिविधियों में इसे अभी भी लगाया जा सकता है।

### ख. वित्तीय देयताएं

#### (i) प्रारंभिक पहचान और मापन

सभी वित्तीय देयताओं की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य पर की जाती है तथा ऋण तथा उधार एवं देयों के मामले में अंतरण लागत से सीधे संबंधित निवल राशि कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार अन्य भुगतान ऋण एवं बैंक ओफरड्राफ्ट सहित उधार तथा व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल है।

#### (ii) वर्गीकरण

कंपनी लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं को छोड़कर सभी वित्तीय देयताओं को परिशोधित लागत पर बाद में मापन के रूप में वर्गीकृत करती है। ऐसी देयताएं व्युत्पन्न सहित बाद में उचित मूल्य पर मापी जाती है।

#### (iii) उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है जैसाकि नीचे दिया गया है।

#### क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं :

सभी वित्तीय देयताओं की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य पर की जाती है और ऋण तथा उधार एवं देयों के मामले में अंतरण लागत से संबंधित निवल राशि के मूल्य पर की जाती है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य देय शामिल हैं।

#### ख) लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं :

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक पहचान के समय व्यापार और वित्तीय देयताओं के रूप में नामित वित्तीय देयताएं शामिल होती हैं। वित्तीय देयताओं को वर्गीकृत माना जाता है जबकि निकट भविष्य में पुनः खरीद के उद्देश्य से उन्हें व्यापार के लिए रखा जाता है। इस श्रेणी में व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल होते हैं जिसे कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक 109 के परिभाषा के अनुसार प्रतिरक्षक संबंध में प्रतिरक्षक साधन नामित नहीं किया गया है। अलग ईम्बेडेड व्युत्पन्न को, व्यापार के लिए रखे गए रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब तक कि उन्हें प्रभावी प्रतिरक्षक साधन के रूप में नामित नहीं किया गया। व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर हानि अथवा लाभ की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में की गई है।

#### (IV) डी-रिकग्निशन

वित्तीय देयताओं को उस स्थिति को डी-रिकग्नाइज्ड कर दिया जाता है जब देयताओं के अंतर्गत उसका निपटान कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है।

#### (V) वित्तीय साधनों की ऑफ-सेटिंग

पहचानी गई राशि का प्रति संतुलन करने के लिए, वर्तमान में लागू कानूनी अधिकारी होने पर और परिसंपत्तियों के समाधान करने के साथ-साथ देयताओं के समापन का ईरादा होने पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रतिसंतुलन कर दिया जाता है और निवल राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है।

## 12. ऋण लागत

- ऋण लागत, जो अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार होती है, पूँजीगत कार्य प्रगति सहित अर्हक संपत्ति के निर्माण में संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में, परिसंपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग की शुरुआत की तारीख तक पूँजीकृत की जाती है।
- रु.10.0 मिलियन के मूल्य से अधिक की अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उपयोग की जा रही लंबित अवधि के ऋणों की प्राप्ति की प्रत्याशों में ऋण की राशि या अस्थायी ऋणों पर लगनेवाला ब्याज अधिग्रहण के समय बकाया ऋण पर तुलनात्मक औसत ऋण दरों पर पूँजीकृत किया जाता है।

## 13. नकद और नकद के समान

नकद और नकद के समान में नकद और अपने पास नकद तथा 03 महिने और उससे कम समय में मूल रूप से पूरा होने वाले छोटी अवधि की जमा शामिल होते हैं, जिनकी कीमत में बहुत कम अंतर होने का खतरा होता है।

## 14. विदेशी मुद्रा के वित्तीय मदें

- विदेशी स्टेशनों से संबंधित विदेशी मुद्रा राजस्व और खर्च के व्यवहार को स्थापित मासिक दरों पर (प्रकाशित आईएटीए दरों पर आधारित) रिकार्ड किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा की वित्तीय मदों को डीलर असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा परिचालित विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन के प्राप्ति/निपटान के कारण हुआ लाभ/(हानि) और वित्तीय विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और देयताओं के अंतरण को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

## 15. न्यूनतम सीमा

कंपनी ने व्यय/आय और प्रकटीकरण के वर्गीकरण में निम्नलिखित भौतिकवादी न्यूनतम सीमा अपनाई है :

न्यूनतम सीमा मद	यूनिट	न्यूनतम सीमा मूल्य
पूर्व अवधि के खर्च/राजस्व		
– वैयक्तिक समीओं पर आधारित पुनः विवरण	मिलियन	50.00
– समग्र सीमाओं पर आधारित पुनः विवरण	मिलियन	पिछले वित्तीय वर्ष के कुल राजस्व का 1%
वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	मिलियन	50.00

## टिप्पणी 2 : संपत्ति प्लांट और उपकरण

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2019 को	परिवर्धन	अन्य समायोजन	कटौती/समायोजन	31 मार्च, 2020 को	01 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च, 2020 तक कुल	31 मार्च, 2020 को	01 अप्रैल, 2019 को
मूर्त परिसंपत्तियाः												
क) भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बिल्डिंग	-	-	10.4	-	10.4	-	0.2	4.8	5.0	5.5	-	-
ग) प्लांट तथा उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्कशॉप उपस्कर, यंत्र	1,405.5	26.4	-	-0.1	1,431.8	806.8	110.5	-0.1	917.2	514.6	598.7	
मशीनरी तथा संयंत्र	91.2	0.6	-	-	91.8	29.5	10.0	-	39.5	52.4	61.8	
घ) फर्नीचर तथा फिक्चर	10.0	1.5	-	-	11.6	2.3	1.1	-	3.4	8.1	7.7	
ङ) इलैक्ट्रिकल फॉटिंग	0.3	0.2	-	-	0.5	0.1	0.0	-	0.1	0.4	0.2	
च) कम्प्यूटर प्रणाली	5.2	2.4	-	-	7.6	3.0	1.7	-	4.7	2.8	2.2	
छ) वाहन	7.7	-	-	-	7.7	2.0	0.9	-	2.8	4.8	5.7	
ज) कार्यालय उपस्कर	8.1	3.2	-	-	11.3	4.0	2.1	-	6.1	5.2	4.1	
मूर्त परिसंपत्तियों का कुल	1,528.0	34.3	10.4	-0.1	1,572.7	847.7	126.5	4.7	978.8	593.9	680.3	
अमूर्त परिसंपत्तियाः												
घ) लाईसेंस तथा फ्रेंचाइजी	2,713.8			-2,713.8	-							2,713.8
अमूर्त परिसंपत्तियों का कुल	<b>2,713.8</b>	-	-	<b>-2,713.8</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,713.8</b>
कुल	<b>4,241.8</b>	<b>34.3</b>	<b>10.4</b>	<b>-2,713.9</b>	<b>1,572.7</b>	<b>847.7</b>	<b>126.5</b>	<b>4.7</b>	<b>978.8</b>	<b>593.9</b>	<b>3,394.2</b>	
पिछले वर्ष	<b>4,229.0</b>	<b>16.9</b>	-	<b>-4.1</b>	<b>4,241.8</b>	<b>655.4</b>	<b>193.9</b>	<b>-1.7</b>	<b>847.7</b>	<b>3,394.2</b>	<b>3,573.6</b>	

टिप्पणी :1. एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) तथा एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल) के बीच दिनांक 5 अप्रैल, 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार एअर इंडिया लिमिटेड एमआरओ इकाई से संबंधित सभी चल परिसंपत्ति जैसे मशीनरी, उपस्कर आदि दिनांक 1 अप्रैल, 2014 को ऐसी चल परिसंपत्ति के हासित मूल्य पर एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को स्थानांतरित करेगी। समझौता ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया है कि एअर इंडिया लिमिटेड से एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को हासित मूल्य पर स्थानांतरित की गई चल परिसंपत्ति ऐसी संपत्तियों का मूल्य होगी तथा प्रारंभिक इकिवटी अंशदान का भाग होगी।

## टिप्पणी 2 : संपत्ति प्लांट और उपकरण

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2020 को	परिवर्धन	अन्य समायोजन	कटौती/समायोजन	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च, 2021 तक कुल	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
मूर्त परिसंपत्तियाँ:												
क भूमि	-	-	-	-	-	-	5.0	0.2	-	5.1	5.3	5.5
ख बिल्डिंग	10.4	-	-	-	-	10.4	-	-	-	-	-	-
ग प्लांट तथा उपस्कर वर्कशॉप उपस्कर, यंत्र मधीनरी तथा संयंत्र	1,431.8	4.0	-	-0.0	1,435.8	917.2	98.7	-	-	1,016.0	419.8	514.6
घ फर्नीचर तथा फिक्चर	91.8	0.9	-	-	92.7	39.5	10.0	-	-	49.5	43.3	52.4
ङ इलैक्ट्रिकल फीटिंग	11.6	0.1	-	-	11.6	3.4	1.1	-	-	4.5	7.1	8.1
च कम्प्यूटर प्रणाली	0.5	0.3	-	-	0.8	0.1	0.1	-	-	0.2	0.6	0.4
छ वाहन	7.6	2.5	-	-	10.0	4.7	2.0	-	-	6.8	3.3	2.8
ज कार्यालय उपस्कर	7.7	-	-	-	7.7	2.8	0.8	-	-	3.6	4.1	4.8
मूर्त परिसंपत्तियों का कुल	11.3	1.6	-	-	12.9	6.1	2.3	-	-	8.4	4.5	5.2
<b>पूँजीगत कार्य—प्रगति पर</b>	<b>1,572.7</b>	<b>9.3</b>	<b>-</b>	<b>-0.0</b>	<b>1,582.0</b>	<b>978.8</b>	<b>115.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,094.0</b>	<b>488.0</b>	<b>593.9</b>
<b>कुल पूँजीगत कार्य—प्रगति पर</b>	<b>109.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>अमूर्त परिसंपत्तियों का कुल</b>	<b>1,682.2</b>	<b>9.3</b>	<b>-</b>	<b>-0.0</b>	<b>1,691.5</b>	<b>978.8</b>	<b>115.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,094.0</b>	<b>597.5</b>	<b>593.9</b>
<b>पिछले वर्ष</b>	<b>4,241.8</b>	<b>34.3</b>	<b>10.4</b>	<b>-2,713.9</b>	<b>1,572.7</b>	<b>847.7</b>	<b>126.5</b>	<b>4.7</b>	<b>978.8</b>	<b>593.9</b>	<b>3,394.2</b>	

टिप्पणी : 1. एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) तथा एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल) के बीच दिनांक 5 अप्रैल, 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार एअर इंडिया लिमिटेड एमआरओ इकाई से संबंधित सभी चल परिसंपत्ति जैसे मधीनरी, उपस्कर आदि दिनांक 1 अप्रैल, 2014 को ऐसी चल परिसंपत्ति के हासित मूल्य पर एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को स्थानांतरित करेगी। समझौता ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया है कि एअर इंडिया लिमिटेड से एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को हासित मूल्य पर स्थानांतरित की गई चल परिसंपत्ति ऐसी संपत्तियों का मूल्य होगी तथा प्रारम्भिक इकिवटी अंषदान का भाग होगी।

## टिप्पणी 3 : अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
जमा : अन्य (12 माह से अधिक)	0.1	0.1
कुल	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>

## टिप्पणी 4 : अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
नकद या सामान के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	-	-
पूंजी अग्रिम	-	-
नागर विमानन महानिदेशालय के साथ जमा प्रतिभूति	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

## टिप्पणी 5 : इन्वेंटरी

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
भंडार एवं कल पुर्जे	<b>18.5</b>	20.5
फुटकर औजार	<b>492.4</b>	453.6
ईधन, गैस, कोयला, तेल एवं ल्युब्रिकेंट्स	<b>1.2</b>	1.1
विमानेतर मालसूची	<b>6.4</b>	6.4
अन्य मालसूची	<b>309.8</b>	271.0
कुल	<b>828.2</b>	<b>752.6</b>

## टिप्पणी 6 : व्यापार से प्राप्य

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
रक्षित, शोध्य माने गए		
अरक्षित, शोध्य माने गए	<b>12,531.1</b>	26,686.3
व्यापार प्राप्तियों में क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	<b>549.2</b>	447.0
व्यापार प्राप्य-क्रेडिट हानि	<b>13,080.4</b>	27,133.3
घटाएँ: संदिग्ध के लिए भत्ता	<b>549.2</b>	447.0
कुल	<b>12,531.1</b>	<b>26,686.3</b>

## टिप्पणी 7 : नकदी तथा बैंक शेष

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
बैंकों के पास शेष		
क) चालू खाते में	4.6	82.1
ख) जमा खाते में (परिपक्वता 12 महीनों से कम)		
क) हाथ में नकद	0.2	0.1
चैक, हाथ में ड्राफ्ट	0.1	0.1
कुल	4.8	82.3

## टिप्पणी 8 : नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
बैंक में शेष		
मार्जिन धन में जमा ( $3 < \text{पूर्णता} < 12$ )	33.7	33.7
कुल	33.7	33.7

## टिप्पणी 9 : वर्तमान ऋण

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अग्रिम		
रक्षित – शोध्य माने गए		
अरक्षित – शोध्य माने गए (इंटर कंपनी)		
सुरक्षा जमा	3.9	3.9
कुल	3.9	3.9

## टिप्पणी 10 : वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
आयकर और टीडीएस के लिए कुल अग्रिम भुगतान वैधानिक / सरकारी प्राधिकरणों के साथ शेष	780.7	1,125.1
कुल	780.7	1,125.1

## टिप्पणी 11 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
पूर्वदत्त व्यय	11.8	16.4
नकद या सामान के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	172.4	227.1

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
फुटकर रोकड राशि जीएसटी अंतरिम बैंक खाता निवेश पर अर्जित ब्याज	3.9	2.1
कुल	188.1	245.6

## टिप्पणी 12 : शेयर पूँजी

(राशि मिलियन में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
क	प्राधिकृत प्रत्येक 10/- रुपए के 1000,000,000 इकिवटी शेयर (पिछले वर्ष : प्रत्येक 10/- रुपए के 10,000,000)	1,000,000,000.00 <b>1,000,000,000.00</b>	10,000.0 <b>10,000.0</b>	1,000,000,000.00 <b>1,000,000,000.00</b>	10,000.0 <b>10,000.0</b>
ख	जारी, अभिदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त शेयर प्रत्येक 10/- रुपए के 1666,66,500 इकिवटी शेयर	166,666,500.00	1,666.7	166,666,500.00	1,666.7
		<b>166,666,500.00</b>	<b>1,666.7</b>	<b>166,666,500.00</b>	<b>1,666.7</b>

## ग शेयरों का समाधान

	विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
	वर्ष के आरंभ में इकिवटी शेयर जोड़ें : वर्ष के दौरान आबंटित इकिवटी शेयर वर्ष के अंत में इकिवटी शेयर	166,666,500 166,666,500	1,666.7 1,666.7	166,666,500 166,666,500	1,666.7 1,666.7

## घ) इकिवटी शेयर से जुड़े अधिकार, अधिमानित तथा प्रतिबंध

कंपनी के पास एक श्रेणी के शेयर हैं यानी इकिवटी शेयर, जिनका सम मूल्य 10/- रुपए प्रति शेयर है। इकिवटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक मत का हकदार है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इकिवटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इकिवटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

ड) होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनियां तथा एसोसिएट्स के पास शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को		
शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि	
होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित शेयर				
एअर इंडिया लिमिटेड	166,666,500	1,666.67	166,666,500	1,666.67

च) शेयरधारकों का विवरण, जिनके पास 5% से अधिक शेयर हैं

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
एअर इंडिया लिमिटेड	166,666,500	1,666.67

छ) नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा के अनुसार जारी किए गए और आबंटित किए गए शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
तारीख 05 अप्रैल, 2013 को एअर इंडिया लिमिटेड तथा एअर इंडिया इंजीनियरिंग के बीच किए गए समझौता ज्ञापन के खंड 5 (क) के संदर्भ में लगाई गई पूँजी के प्रति 01 अप्रैल, 2014 को होल्डिंग कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा हस्तांतरित इंजीनियरी परिसंपत्तियों के हासित मूल्य पर प्रत्येकी 10/- रु. के 1666,16,500 इक्विटी शेयरों का आबंटन किया गया है।		

टिप्पणी 13 : अन्य इक्विटी

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
लाभ और हानि विवरण के अनुसार अधिशेष / (कमी)		
प्रारंभिक शेष	-23,969.5	-21,498.1
जोड़े / घटाएः पूर्वावधि समायोजन	-	-2,713.8
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	119.4	242.4
अंत शेष	-23,850.1	-23,969.5
कुल	-23,850.1	-23,969.5

टिप्पणी 14 : गैर चालू प्रावधान

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान		
क) उपदान	2,296.6	2,596.6
ख) छुट्टी का नकदीकरण	1,595.0	1,766.5
ग) चकित्सा	2,241.4	2,191.0
घ) अन्य लाभ	512.5	516.2
कुल	6,645.6	7,070.3

## टिप्पणी 15 : व्यापार देय

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को देय	36.2	7.1
अन्य देय	6,094.4	7,564.3
(नोट सं. 21 का पॉइंट नं. '13' देखें)		
कुल	6,130.7	7,571.3

## टिप्पणी 16 : अन्य चालू वित्तीय देयता

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सुरक्षा जमा	23.4	21.0
अग्रिम धन जमा	4.1	4.6
ऋण और अग्रिम	104.3	104.5
कर्मचारियों को देय	461.6	403.4
होलिडंग कंपनी – एअर इंडिया लिमिटेड – चालू खाता	-	-
अंतर कंपनी देय / प्राप्य	18,385.6	31,327.0
अन्य	93.2	79.6
कुल	19,072.2	31,940.0

## टिप्पणी 17 : चालू प्रावधान

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
प्रावधान		
कर्मचारी हितलाभों के लिए		
क) उपदान	779.7	626.3
ख) छुट्टी का नकदीकरण	463.3	451.6
ग) चिकित्सा	92.8	82.2
घ) अन्य लाभ	-	25.1
कर्मचारियों के अलावा	1,260.8	1,655.0
कुल	2,596.6	2,840.1

## टिप्पणी 18 : अन्य वर्तमान देयताएं

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अन्य देयताएं (निवल)		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम		

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अग्रिम बिक्री		
अन्य	2,706.6	2,404.6
सांविधिक देय		
	<b>कुल</b>	<b>2,706.6</b>
		<b>2,404.6</b>

## टिप्पणी 19 : प्रचालन से राजस्व

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1	सेवाओं की बिक्री तकनीकी हैंडलिंग सेवा राजस्व अन्य सेवा राजस्व	1,705.8 9,193.2 <b>10,899.0</b>	3,390.3 10,167.9 13,558.1
2	अन्य ऑपरेटिंग राजस्व इंजीनियरी प्रशिक्षण राजस्व	170.2 170.2	253.4 253.4
3	प्रासंगिक राजस्व	531.0 531.0	<b>216.8</b> 216.8
	<b>प्रचालन से कुल राजस्व</b>	<b>11,600.2</b>	<b>14,028.3</b>

## टिप्पणी 20 : अन्य आय

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1	अन्य आय	45.5	35.9
2	ब्याज आय	209.8	211.7
	<b>कुल</b>	<b>255.2</b>	<b>247.6</b>

## टिप्पणी 21 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1	वेतन, मजदूरी तथा बोनस	5,562.8	7,222.0
2	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	309.0	316.0
3	कर्मचारी कल्याण व्यय	421.6	415.3
4	उपदान के लिए प्रावधान	470.9	341.8
5	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	146.7	278.5
	<b>कुल</b>	<b>6,911.1</b>	<b>8,573.7</b>

## टिप्पणी 22 : वित्त लागत

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1	ब्याज व्यय	<b>1,561.6</b>	1,442.6
	कुल	<b>1,561.6</b>	<b>1,442.6</b>

## टिप्पणी 23 : मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1	मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास	<b>115.2</b>	126.5
	कुल	<b>115.2</b>	<b>126.5</b>

## टिप्पणी 24 : अन्य व्यय

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1	बीमा व्यय	<b>54.7</b>	33.4
2	उपभुक्त सामग्री—विमान	<b>95.5</b>	161.9
3	बाहरी मरम्मत—विमान	-	-
4	हैंडलिंग प्रभार	<b>159.6</b>	244.5
5	संप्रेषण प्रभार	<b>9.3</b>	10.2
6	यात्रा व्यय	<b>72.7</b>	143.1
7	किराया	<b>979.7</b>	1,158.1
8	दर तथा कर	<b>87.0</b>	97.6
9	वाहन व्यय	-	-
10	मरम्मत अनुरक्षण	-	-
i)	बिल्डिंग	<b>18.6</b>	27.1
ii)	अन्य	<b>1,132.2</b>	255.1
11	किराए पर ट्रांसपोर्ट	<b>128.8</b>	112.7
12	किराए पर श्रमशक्ति	-	-
13	डीजीसीए को शुल्क	<b>3.2</b>	3.7
14	इलेक्ट्रिसिटी तथा हीटिंग प्रभार	<b>307.8</b>	393.2
15	गैस और ईधन की खपत	-	-
16	जल प्रभार	<b>43.5</b>	8.2
17	प्रचार एवं बिक्री संवर्धन	<b>0.6</b>	0.4
18	प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी	<b>6.6</b>	4.8
19	व्यावसायिक तथा विधि प्रभार	<b>10.7</b>	18.1
20	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तथा व्यय	-	-
i)	लेखापरीक्षा शुल्क	<b>0.3</b>	0.3

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
21	ii) अन्य व्यय	<b>0.0</b>	0.0
22	अन्य लेखा परीक्षा व्यय	<b>0.9</b>	3.2
23	बैंक प्रभार	<b>0.6</b>	0.3
24	अन्य व्यय	<b>152.7</b>	222.9
25	विनिमय परिवर्तन	-	-
26	परिसंपत्तियों/स्क्रैप की बिक्री पर हानि	<b>0.0</b>	0.0
27	यात्री सुविधाएं	-	-
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	<b>98.5</b>	162.2
		<b>कुल</b>	<b>3,363.4</b>
			<b>3,061.1</b>

भारतीय सनदी लेखाकरण संरथान के भारतीय लेखाकरण मानक-33 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) गणना का प्रकटन

#### टिप्पणी 25 : प्रति शेयर अर्जन

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	<b>-95.8</b>	556
वर्ष के दौरान बकाया इकिवटी शेयरों की भारित औसत संख्या	<b>166,666,500.0</b>	166,666,500.0
मूल तथा मंदित अर्जन प्रति शेयर	<b>-0.57</b>	3.33
प्रति इकिवटी शेयर अंकित मूल्य	<b>10.0</b>	10.00

## एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व की एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड)

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

### 26. विनिवेश प्रक्रिया :

- (i) एआई के विनिवेश के संबंध में नीति आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए और विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह (सीजीडी) की सिफारिश के बाद, आर्थिक मामलों पर केबिनेट कमिटी (सीसीईए) ने एअर इंडिया समूह के महत्वपूर्ण विनिवेश पर विचार करने के लिए 28 जून, 2017 को हुई बैठक में "सिधांत रूप में" अनुमोदन दिया है। सीसीईए ने महत्वपूर्ण विनिवेश प्रक्रिया के मार्गदर्शन के लिए एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) भी गठित किया है।

सरकार का मार्गदर्शन करने और विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लेन-देन सलाहकार, कानूनी सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता को भी नियुक्त किया गया है।

- (ii) एआईएसएएम ने उसकी दिनांक 21 सितंबर, 2017 तथा 05 अक्टूबर, 2017 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया है कि:
- क) निम्नलिखित चार सहायक कंपनियों को एअर इंडिया से अलग किया जाए और उन्हें नए बनाए गए स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी) में रखा जाए :
    - i) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल)
    - ii) एआई एअरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएएसएल)
    - iii) एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)
    - iv) भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एचसीआई)  - ख) चार सहायक कंपनियों एआईएटीएसएल, एएएसएल, एआईईएसएल, एचसीआई, गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों, चित्रों और कलाकृतियों और अन्य गैर-प्रचालन परिसंपत्तियों के साथ-साथ किसी भी संपत्ति द्वारा समर्थित नहीं किए गए संचित कार्यशील पूँजीगत ऋण के भंडारण के लिए एक स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी) बनाया जाए। इस ईकाई को "एअर इंडिया एसैट होल्डिंग लिमिटेड" नाम दिया जाए।
- (iii) एआईएसएएम के उपरोक्त निर्णय के अनुसार, एसपीवी एअर इंडिया एसैट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) का गठन किया गया।
- (iv) नागर विमानन मंत्रालय ने उनके दिनांक 03 नवंबर, 2017 के पत्र संख्या एवी17046/368/2017-एआई द्वारा एअर इंडिया को उपरोक्त चार सहायक कंपनियों को अलग करके एसपीवी में रखने का निर्देश दिया। आगे इसने एआईएएसएल, एएएसएल, एआईईएसएल और एचसीआई जैसे सहायक कंपनियों के शेयरों में निवेश को एअर इंडिया से एसपीवी कंपनी को बूक वैल्यू पर (वर्ष के दौरान किसी अतिरिक्त इकिवटी के साथ, दिनांक 31 मार्च, 2017 के तुलन पत्र में दिखाए गए मूल्य पर) हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
- (v) एअर इंडिया ने दिनांक 17 नवंबर, 2017 को आयोजित अपनी 82वीं बोर्ड बैठक में, एआईएटीएसएल, एआईईएसएल, एएएसएल और एचसीआई जैसी सहायक कंपनियों में एअर इंडिया के हित को, अधिनियम, 2013 और कानूनी सलाहकार द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद, एसपीवी (SPV) में हस्तांतरित करने के लिए सैधांतिक मंजूर दी थी।
- नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल) के विनिवेश के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है और एआईईएसएल के निपटान के तरीके की परिरेखा के लिए अलग से निर्णय करेगा।

## 27. प्रासंगिक देयताएँ:

### विवादित दावे / उगाही (यदि कोई हो तो ब्याज सहित):

कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (कुछ मामलों में ब्याज और जुर्माने को छोड़कर) और भारतीय लेखा मानक 37 के अनुपालन में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है:

राशि मिलियन में				
क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को शेष	31 मार्च, 2020 को शेष	
(i)	कंपनी द्वारा प्राप्त की गई आयकर मांगों की नोटिसें, जो अपील के अधीन हैं (*)	641.71	641.71	
(ii)	न्यायालयों में लंबित कर्मचारी/सिविल/मध्यस्थता के मामलों के अन्य दावे	राशि सुनिश्चित करने योग्य नहीं है।	राशि सुनिश्चित करने योग्य नहीं है।	
	<b>कुल</b>	<b>641.71</b>	<b>641.71</b>	

### अन्य प्रासंगिक देयताओं से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण

\* कंपनी द्वारा प्राप्त की गई आयकर मांगों की नोटिसें, जो अपील के अधीन हैं:

वित्तीय वर्ष	किराए की राशि	ब्याज की राशि	धारा 210(1) के तहत कुल बकाया राशि	धारा 210(1ए) के तहत कुल ब्याज की राशि	कुल मांग
2014-15	16,23,70,374		1,62,37,037	1,16,90,666	2,79,27,703
2015-16	21,32,31,680	5,63,90,370	2,69,62,205	1,61,77,323	4,31,39,528
2016-17	23,90,18,420	18,18,36,002	4,20,85,442	2,02,01,012	6,22,86,454
2017-18	25,85,99,324	1,09,85,91,060	13,57,19,038	4,88,58,853	18,45,77,891
2019-20	1,15,61,14,683	1,45,49,70,001	26,11,08,468	6,26,66,032	32,37,74,500
	<b>2,02,93,34,481</b>	<b>2,79,17,87,433</b>	<b>48,21,12,191</b>	<b>15,95,93,886</b>	<b>64,17,06,077</b>

## 28. पूंजीगत प्रतिबधता

पूंजीगत लेखे पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि के संबंध में पूंजीगत प्रतिबधता शून्य है। (पिछले वर्ष शून्य)

## 29. पुष्टिकरण / समाधान

कंपनी ने सभी प्रमुख व्यापार प्राप्तियों और व्यापार देयों के शेष राशि की पुष्टि के लिए मांग की है।

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में कंपनी ने होल्डिंग कंपनी, सभी सहायक कंपनियों और होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनियों से प्राप्तियों की शेष राशि की पुष्टि प्राप्त कर ली है जिसमें कंपनी के प्राप्तियों का 70.39% (पिछले वर्ष 94.51%) शामिल है। समाधान / मिलान पूरा हो गया है और शेष राशि की पुष्टि प्राप्त की गई है।

## 30. प्रत्यक्ष सत्यापन और समाधान

### क. संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण (पीपीई)

कंपनी की नीति के अनुसार पीपीई के प्रत्यक्ष सत्यापन का द्विवार्षिक कार्य द्विवार्षिक वर्ष 2020–22 में पूरा होना था, कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण पूरा नहीं हो सका।

#### **ख. इन्वेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन**

कंपनी की नीति के अनुसार, इन्वेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य द्विवार्षिक वर्ष 2020–22 में पूरा होना था, कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण पूरा नहीं हो सका।

#### **31. आंतरिक नियंत्रण**

कंपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ताकि कंपनी के भीतर सभी क्षेत्रों को, जैसा कि सोचा गया है, शामिल किया जा सके तथा स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, उपभोक्ता विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो प्रणाली में सुधार के सुझाव देने के लिए स्वतंत्र फर्म को नियुक्त किया है।

#### **32. राजस्व संबंधी मामले**

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान रु. 14,028.29 मिलियन के मुकाबले, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान प्रचालन से कुल राजस्व रु. 11,600.19 मिलियन, रु. 2,428.11 मिलियन यानी 17.31% की कमी। समूह कंपनी से राजस्व का प्रतिशत 64.86% (पिछले वर्ष 86.95%) है और थर्ड पार्टी से राजस्व का प्रतिशत 35.14% (पिछले वर्ष 13.05%) है। कुल प्रचालन राजस्व में कमी मुख्य रूप से समूह कंपनियों से राजस्व रु. 4,672.49 मिलियन में कमी के कारण, जबकि थर्ड पार्टी के राजस्व में रु. 2,244.38 मिलियन की वृद्धि हुई है। समूह कंपनियों से राजस्व में कमी कोविड के प्रभाव के कारण हुई है और तीसरे पक्ष से राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से भारतीय वायु सेवा से राजस्व के कारण हुई है।

#### **33. सेगमेंट रिपोर्टिंग**

कंपनी एमआरओ (अनुरक्षण, विमान, इंजन और घटकों की मरम्मत और ओवरहॉल) सर्विसेस में लगी हुई है, जो इसका प्राथमिक और केवल रिपोर्ट करने योग्य व्यावसायिक सेगमेंट है।

#### **34. सेवानिवृत्ति लाभ**

- i. परिभाषित अंशदान योजना जैसे भविष्य निधि में अंशदान लाभ एवं हानि खाते में निम्नानुसार प्रभारित किया गया है:  
भविष्य निधि रु. 305.18 मिलियन (पिछले वर्ष रु. 310.21 मिलियन)
- ii. कंपनी भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार, तुलन पत्र की तिथि पर स्वतंत्र बिमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर उपदान और छुट्टी नकदीकरण के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराती है।
  - क. प्राधिकार छुट्टी नकदीकरण सभी पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय देय है, जो कोषरहित है। चालू वित्त वर्ष के लिए छुट्टी नकदीकरण देयता रु. 2,058.31 मिलियन है। (पिछले वर्ष रु. 2,218.14 मिलियन)
  - ख. परिभाषित लाभ योजना—उपदान (कोषरहित) :

कंपनी में भारत में परिभाषित लाभ उपदान योजना है (कोषरहित)। कंपनी की परिभाषित लाभ उपदान योजना कर्मचारियों के लिए एक अंतिम वेतन योजना है जिसके लिए अलग से बनाए गए फंड में अंशदान किया जाना अपेक्षित है। उपदान का भुगतान देय होने पर कंपनी द्वारा किया जाता है और इसका भुगतान उपदान के लिए कंपनी की योजना के अनुसार किया जाता है। वर्ष के दौरान योजना में कोई संशोधन / कटौती या निपटान नहीं किया गया।

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता में अंतरण:

#### **उपदान और चिकित्सा**

## क) परिभाषित लाभ दायित्व के शेष का समाधान:

(राशि मिलियन में)

विवरण	उपदान—कोषरहित		चिकित्सा—कोषरहित	
	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20
वर्ष की शुरूआत में निर्धारित दायित्व	3,218.9	3252.5	1976.9	1682.7
ब्याज लागत	247.5	250.8	153.8	130.6
वर्तमान सेवा लागत	86.3	72.9	23.7	28.7
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
देयता हस्तांतरित / विनिवेश	-	-	-	-
नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	(518.1)	(461.5)	(6.3)	(1.5)
फंड से भुगतान लाभ	-	-	-	-
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि				
जनसांख्यिकीय धारणाएं	-	-	-	-
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन	105.4	2.5	(243.9)	(4.6)
अनुभव समायोजन	82.9	101.7	(118.9)	(141.0)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	3,222.9	3218.9	2,273.1	1976.9

## तुलन पत्र में स्वीकृत राशि

(राशि मिलियन में)

विवरण	उपदान—कोषरहित		चिकित्सा—कोषरहित	
	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20
वर्ष के अंत में देयता	(3,222.9)	(3,218.9)	(2,273.1)	(1,976.9)
वित्त पोषित स्थिति (अधिशेष / (घाटा)	(3,222.9)	(3,218.9)	(2,273.1)	(1,976.9)
तुलन पत्र में स्वीकृत राशि	(3,222.9)	(3,218.9)	(2,273.1)	(1,976.9)

## ख) लाभ एवं हानि खाते में स्वीकृत राशि

(राशि मिलियन में)

विवरण	उपदान—कोषरहित		चिकित्सा—कोषरहित	
	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20
वर्तमान सेवा लागत	86.3	72.9	23.7	28.7
ब्याज लागत	247.5	250.8	153.8	130.6
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
ब्याज आय	-	-	-	-
वर्ष के लिए व्यय	333.8	323.7	177.5	159.3

## अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशि

(राशि मिलियन में)

विवरण	उपदान—कोषरहित		चिकित्सा—कोषरहित	
	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	188.3	104.2	125.0	136.4
योजनागत परिसंपत्तियों पर लाभ	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>188.3</b>	<b>104.2</b>	<b>125.0</b>	<b>136.4</b>

### ग) प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	उपदान—कोषरहित		चिकित्सा—कोषरहित	
	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20
छूट की दर (%)	7.83%	7.69%	6.81%	7.78%
वेतन वृद्धि / मुद्रास्फीति (%)	5.50%	5.50%	-	-
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति	-	-	4.00%	4.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ (%)	-	-	-	-

### घ) संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च 2021 और 31 मार्च, 2020 को 1% की वृद्धि / कमी के कारण परिभाषित लाभ दायित्व कैसे प्रभवित होगा, यह दिखाते हुए महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(राशि मिलियन में)

विवरण	उपदान		चिकित्सा	
	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20
छूट की दर में +1% परिवर्तन	(121.8)	(119.9)	(250.8)	(209.6)
छूट की दर में -1% परिवर्तन	133.3	130.7	309.6	256.5
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति की दर में +1% परिवर्तन	-	-	315.6	264.1
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति की दर में -1% परिवर्तन	-	-	(259.1)	(218.3)
वेतन वृद्धि की दर में +1% परिवर्तन	92.8	96.0	-	-
वेतन वृद्धि की दर में -1% परिवर्तन	(93.0)	(95.3)	-	-
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +1% परिवर्तन	13.7	18.8	-	-
कर्मचारी टर्नओवर की दर में -1% परिवर्तन	(14.7)	(20.1)	-	-

35. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('कोड') रोजगार के दौरान कर्मचारी लाभ और रोजगार के बाद के लाभों से संबंधित है, जिसे सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। कोड भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालांकि, कोड के प्रभावी होने की तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया है। कंपनी संहिता के प्रभावी होने पर उसके प्रभाव का आकलन करेगी और संहिता के प्रभावी होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को रिकॉर्ड करेगी।

36. सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम

सैप सिस्टम में वेंडर मास्टर में एक फील्ड, माइनॉरिटी इंडिकेटर होता है, जिसे वेंडर को एमएसएमई के रूप में पहचानने के लिए अपडेट किया जाता है। एमएसएमई विक्रेताओं के अधिक विवरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली को बढ़ाया गया है, जैसे प्रमाणपत्र संख्या, उद्यमी का नाम, संगठन का प्रकार, प्रारंभ होने की तिथि, बैंक विवरण इत्यादि। तदनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया राशि निर्धारित की गई है। ऐसी पार्टियों की पहचान कंपनी द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर की गई है और लेखापरीक्षकों द्वारा उन पर भरोसा किया गया है। हालांकि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (पहचान की गई सीमा तक) के तहत कवर किए गए ऐसे उपक्रमों को भुगतान आपूर्तिकर्ता के साथ निर्धारित समय सीमा/तिथि के भीतर किया गया है और इसलिए, विलंबित भुगतानों पर कोई ब्याज देय नहीं है। अन्य मामलों में, यथासमय आवश्यक अनुपालन/प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
क.	मूल राशि देय और शेष अदत्त	36.23	7.07
ख.	उपर्युक्त पर देय ब्याज	-	-
ग.	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया भुगतान	-	-
घ.	ब्याज भुगतान	-	-
ड.	ब्याज बकाया तथा विलंब की अवधि के लिए देय	-	-
च.	अर्जित ब्याज और शेष अदत्त	-	-
छ.	देय शेष ब्याज की राशि और बाद के वर्षों में देय	-	-

### 37. आस्थगित कर संपत्तियाँ / (देयताएं)

चालू वित्त वर्ष यानी 2020–21 को छोड़कर कंपनी को शुरुआत से ही हानि हुई थी और इस बात के ठोस सबूत के अभाव में कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ अप्रयुक्त कर हानि, कटौती योग्य समय के अंतर या अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग निकट भविष्य में इकाई द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, भारतीय लेखामानक 12 “आयकर” के अनुरूप अप्रयुक्त कर हानि का होना इस बात को ठोस प्रमाण है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध नहीं हो सकता है। अतः समान आस्थगित करों के आधार पर संपत्तियों/देयताओं को नहीं बनाया गया है।

### 38. संबंधित पार्टी लेनदेन

भारतीय लेखा मानक-24 में अपेक्षित के अनुसार वर्ष 2020–21 के दौरान संबंधित पार्टियों के नाम और पदनाम।

#### क. संबंधित पार्टियों की सूची:

- i. भारतीय लेखा मानक 24 की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित संबंधित पार्टियाँ हैं जो सरकार से संबंधित एंटिटी (भारत सरकार की) अर्थात् विशेष रूप से नियंत्रित एवं प्रभावशील एंटिटी हैं:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	संबंध
1	एआईईएसएल	होल्डिंग कंपनी

#### ii. सहयोगी सहायक कंपनियों की सूची:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	संबंध
1	भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एचसीआई)	सहयोगी सहायक कंपनी
2	एआईईएसएल एआईटीएसएल	सहयोगी सहायक कंपनी

3	एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईईएल)	सहयोगी सहायक कंपनी
4	एअरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड (एएएसएल)	सहयोगी सहायक कंपनी
5	एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (सरकारी संबंधित संस्थाओं के अलावा)	साथी संयुक्त उद्यम

#### क. निदेशक मंडल

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
1	श्री राजीव बंसल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष (14 फरवरी 2020 से)
2	श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा	संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सरकारी नामिती निदेशक
3	श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	सरकारी नामिती निदेशक
4	श्री विनोद हेजमाडी	निदेशक—वित्त, एअर इंडिया लिमिटेड	एअर इंडिया नामिती निदेशक (11 सितंबर 2020 तक)
5	सुश्री मीनाक्षी मल्लिक	निदेशक—वाणिज्य, एअर इंडिया लिमिटेड	एअर इंडिया नामिती निदेशक एवं महिला निदेशक (11 सितंबर 2020 से)

#### ख. मुख्य प्रबंधकीय कार्यक्रम

क्र.सं.	मुख्य प्रबंधकीय कार्यक्रमों के नाम	पदनाम
1.	श्री एच.आर. जगन्नाथ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी 31 अक्टूबर 2020 तक
2.	श्री अरुण कुमार बंसल	मुख्य कार्यपालक अधिकारी 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक
3.	श्री सेंथिल कुमार	मुख्य कार्यपालक अधिकारी 1 जनवरी 2021 से 31 मई 2021 तक
4.	श्री पी. कुमारवेल	मुख्य कार्यपालक अधिकारी 1 जून से 30 जून 2021 तक
5.	श्री सीबीके कारखानीस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी 2 जुलाई 2021 से 29 जुलाई 2021 तक
6.	श्री जोस मैथ्यू	मुख्य कार्यपालक अधिकारी 30 जुलाई 2021 से
7.	श्री कपिल असेरी	मुख्य वित्तीय अधिकारी
8.	श्री गगन बत्रा	कंपनी सचिव

#### ग. संबंधित पार्टी लेनदेन

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को पारिश्रमिक और अनुलाभों को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है। वर्ष 2020–21 के दौरान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए पारिश्रमिक और अनुलाभ रु. 3.03 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3.02 मिलियन रुपए), मुख्य वित्तीय अधिकारी

के लिए 2.33 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 2.32 मिलियन रुपए) और कंपनी सचिव के लिए 1.20 मिलियन (पिछले वर्ष 1.17 मिलियन रुपए) हैं।

- ii. एअरलाइन व्यवसाय के सामान्य कामकाज में उपलब्ध कराए गए एमआरओ संबंधी सेवाओं के लेनदेन को उपरोक्त में शामिल नहीं किया गया।
- iii. वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनके संबंधियों के साथ कोई ऋण या जमा लेनदेन बकाया नहीं है।
- iv. भारतीय लेखा मानक 24 की शर्तों के अनुसार कुछ सरकारी संस्थाओं अर्थात् (भारत सरकार द्वारा) महत्वपूर्ण ढंग से नियंत्रित और प्रभावी ऐटिटी और अन्य सरकार संबंधी पार्टियों के साथ लेनदेन संबंधी अपेक्षाओं की जानकारी निम्नलिखित है:

क्र.सं.	संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति	2019–20 (राशि मिलियन में)	2018–19 (राशि मिलियन में)
1.	<u>एअर इंडिया लि. (एआईएल)</u> <u>प्रचालन से राजस्व</u> <u>व्यय</u> एआई को देय ब्याज किराए का परिसर अन्य व्यय कुल खर्च अंत शेष (देय)		
	<u>एअरलाइन एअर एविएशन लिमिटेड (एएएल)</u> <u>आय</u> प्रचालन से राजस्व अन्य आय (ब्याज) <u>व्यय</u> कुल खर्च अंत शेष (प्राप्य)		
	<u>एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल)</u> <u>प्रचालन से राजस्व</u> <u>व्यय</u> हैंडलिंग प्रभार बकाए पर ब्याज एआईएटीएसएल अंत शेष (देय)		
	<u>एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईएक्सएल)</u> <u>आय</u> प्रचालन से राजस्व अन्य आय (ब्याज) <u>व्यय</u> खर्च अंत शेष (प्राप्य)		

क्र.सं.	संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति	2019–20 (राशि मिलियन में)	2018–19 (राशि मिलियन में)
	<p>एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस)</p> <p>प्रचालन से राजस्व</p> <p><u>व्यय</u></p> <p>हैंडलिंग प्रभार</p> <p>अनुबंध पर जनशक्ति का किराया</p> <p>उपकरण का किराया/पट्टा</p> <p>अन्य व्यय</p> <p>अंत शेष (देय)</p>		
	<p>सेंटॉर होटल (एचसीआई)</p> <p><u>व्यय</u></p> <p>होटल व्यय—ड्यूटी पर कर्मचारी</p> <p>अंत शेष (देय)</p>		

### 39. निगमित अनुपालन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4) के अनुसार कंपनी ने कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया है। तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति के पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। धारा 178 के अनुसार कोई पारिश्रमिक समिति नहीं है।

### 40 लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

लेखापरीक्षकों के सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क एवं खर्चों का विवरण:

विवरण	2020-21	2019-20 (राशि मिलियन में)
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क—वर्ष के लिए	0.33	0.22
कर्मचारी द्वारा किया गया फुटकर खर्च	0.03	0.02
खर्च	0.36	0.24

### 41. उचित मूल्य आकलन एवं वित्तीय साधन

#### क. वित्तीय साधन—श्रेणी एवं उचित मूल्य क्रम के अनुसार

उचित मूल्य श्रेणी में उनके स्तर को शामिल करते हुए निम्नलिखित तालिका वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की लागत राशि एवं उचित मूल्य आकलन दर्शाती है:

31 मार्च, 2021 को

(राशि मिलियन में)

विवरण	मूल कीमत				उचित मूल्य माप का उपयोग कर		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां							
गैर-चालू							
अन्य			0.06	0.06	-	-	-
वर्तमान							
व्यापार प्राप्य*			26,686.43	26,686.43	-	-	-
ऋण			-	-	-	-	-
नकद और नकदी समानक*			81.24	81.24	-	-	-
उपर्युक्त के अलावा बैंक शेष			33.75	33.75	-	-	-
<b>कुल</b>			<b>26,801.48</b>	<b>26,801.48</b>	-	-	-
वित्तीय देयताएं							
गैर-चालू			-	-	-	-	-
वर्तमान							
व्यापार देय *			4,516.50	4,516.50	-	-	-
क. एमएसएमई							
ख. एमएसएमई के अलावा							
अन्य वित्तीय देयताएं			30,664.36	30,664.36	-	-	-
<b>कुल</b>			<b>35,180.86</b>	<b>35,180.86</b>	-	-	-

31 मार्च, 2020 को

(राशि मिलियन में)

विवरण	मूल कीमत				उचित मूल्य माप का उपयोग कर		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां							
गैर-चालू							
अन्य			0.26	0.26	-	-	-
चालू							

व्यापार प्राप्त्य*			14,085.35	14,085.35	1,902.00	-	-
ऋण			3.08	3.08	-	-	-
नकद और नकदी समानक*			53.67	53.67	53.67	-	-
उपर्युक्त के अलावा बैंक शेष			25.11	25.11	25.11	-	-
<b>कुल</b>			<b>14,167.47</b>	<b>14,167.47</b>	<b>1,980.78</b>	-	-
वित्तीय देयताएं							
गैर-चालू			-	-	-	-	-
चालू							
व्यापार देय*			659.55	659.55	-	-	-
क. एमएसएमई							
ख. एमएसएमई के अलावा							
अन्य वित्तीय देयताएं			27,485.23	27,485.23	18,744.00	-	-
<b>कुल</b>			<b>28,144.78</b>	<b>28,144.78</b>	<b>18,744.00</b>	-	-

(i) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को कंपनी के प्राप्त/देय को बाजार ब्याज दर पर अनुबंधित किया गया है, जो नियमित अंतराल पर रहता है। तदनुसार, ऐसे उधारों का वहन मूल्य (ब्याज अर्जित सहित) उचित मूल्य का अनुमान लगाता है।

\* व्यापार प्राप्तियां, व्यापार देय, नकद और नकद समानक और अन्य मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रानीत रकम, उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उचित मूल्य पर अनुमानित है।

#### ख. उचित मूल्य अनुक्रम

उचित मूल्य अनुक्रम मूल्यांकन तकनीकों के निवेश पर आधारित है जिनका उपयोग ऐसे उचित मूल्य को मापने के लिए किया जाता है जो लक्षित अथवा अलक्षित हैं और जिनमें निम्नलिखित तीन स्तर शामिल हों:

स्तर 1 : निवेश सक्रिय बाजार में समान परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए कथित मूल्य (असमायोजित) है।

स्तर 2 : निवेश, कथित मूल्यों के अलावा स्तर 1 में शामिल किए गए हैं और परिसंपत्ति अथवा देयता के लिए प्रत्यक्ष (अर्थात् मूल्य) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात् मूल्य से अलग) लक्षित है।

स्तर 3 : निवेश लक्षित बाजार डाटा, अलक्षित निवेश पर आधारित नहीं है। उचित मूल्य पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से एक मूल्यांकन मॉडल पर आधारित मान लिए जाते हैं कि मूल्य के लिए कोई लक्षित मूल्य चालू बाजार लेनदेन से समर्थित नहीं है न ही वे उपलब्ध बाजार डाटा पर आधारित हैं।

#### 42. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी को निम्नलिखित वित्तीय साधनों से जोखिम हो सकती है:

- i. ऋण जोखिम
- ii. नकदी जोखिम

- iii. बाजार जोखिम – क. विदेशी मुद्रा और  
ख. ब्याज दर

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य इसके संचालन को वित्त देना है।

कंपनी को ऋण जोखिम, नकदी जोखिम तथा बाजार जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी का उच्च प्रबंधन इन चुनौतियों की निगरानी करता है। निदेशक मंडल इन चुनौतियों से निपटने के लिए समीक्षा करता है एवं नीतियों पर सहमति देता है जो निम्नलिखित है:

#### i) क्रेडिट जोखिम

वित्तीय सहायता देने वाला यदि कोई ग्राहक अथवा दूसरी पार्टी उसके संविदात्मक अनुबंध को पूरा करने में असफल होता है इससे कंपनी को क्रेडिट जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी अपनी परिचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों) से क्रेडिट जोखिम के संपर्क में है।

रिपोर्ट किए जाने की तिथि तक सबसे अधिक खतरा मुख्यतया प्राप्ति योग्य व्यवसाय से है। प्राप्ति योग्य व्यवसाय असुरक्षित होते हैं जो ग्राहकों से प्राप्त राजस्व से प्राप्त होते हैं। कंपनी उस आर्थिक परिस्थिति की मॉनीटरिंग करती है जिसमें वह कार्य करती है। कंपनी अपने क्रेडिट जोखिम को क्रेडिट अनुमोदन के माध्यम से प्रबंधित करती है और ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता की निरंतर निगरानी करती है, जिसके लिए कंपनी व्यवसाय के सामान्य कार्यप्रणाली में क्रेडिट शर्तों का पालन करती है।

वर्ष के अंत में एमआरओ सेवाओं से प्राप्त राजस्व 31 मार्च 2021 के अनुसार प्राप्य व्यवसाय में रु. 12,531.14 मिलियन (पिछले वर्ष 31 मार्च 2020 के अनुसार रु. 26,686.33 मिलियन) शामिल है।

व्यापार प्राप्तियां समान विमानन उद्योग से ग्राहकों की संख्या से मिलकर बनती है। बकाया का महत्व इसकी समूह कंपनियों से है और जिसके लिए प्रबंधन को कोई क्रेडिट जोखिम नहीं है। तदनुसार, समूह कंपनियों से प्राप्तियों पर कोई अपेक्षित क्रेडिट हानि नहीं मानी गई है।

समूह कंपनी के अलावा, सरकार और अन्य पार्टियों के संबंध में क्रेडिट जोखिम का कोई महत्वपूर्ण केन्द्रीकरण नहीं है। भारतीय वायु सेना को छोड़कर, जिसे अच्छा माना जाता है, किसी भी एक ग्राहक ने संकेतित वर्षों में 10% या उससे अधिक राजस्व का हिसाब नहीं दिया। बकाया व्यापार प्राप्तियों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है और अतिदेय प्राप्तियों की उगाही के लिए उचित कार्रवाई की जाती है।

सरल वृष्टिकोण के अनुसार, कंपनी (डिफॉल्ट) बकाया भुगतानों की जोखिम को कम करने के लिए मैट्रिक्स प्रावधान का उपयोग करके व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि का प्रावधान करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित प्रावधान बनाती है जहां बकाया लंबी अवधि के लिए है और जिसमें अधिक जोखिम शामिल है। प्राप्तियों की उगाही का हमारा ऐतिहासिक अनुभव कम जोखिम का संकेत देता है। अतः व्यापार प्राप्य को वित्तीय परिसंपत्तियों का अकेला वर्ग माना जाता है।

नीति के अनुसार, प्राप्तियों को 6 महीने से लेकर—एक वर्ष से अधिक एक वर्ष और एक से दो वर्ष तक की अवधि के आधार पर विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी जिस व्यापार परिवेश में काम करती है, उसके आधार पर प्रबंधन मानता है कि यदि भुगतान पिछला देय है तो व्यापार प्राप्य बकाया है (क्रेडिट हानि)। 36 से अधिक महिनों के लिए बकाया प्राप्तियों का अनुपात लेकर गणना किए गए अनुपात के आधार पर प्रावधान मानदंडों की गणना की गई है। तदनुसार, निम्नलिखित दरों का उपयोग करते हुए ईसीएल उपलब्ध कराया जा रहा है:

भाग	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सरकारी कंपनी से तीन वर्ष से अधिक पिछला बकाया	100.00 %	100.00 %
समूह कंपनी	0.00 %	0.00 %
अन्य पार्टियों से एक वर्ष से अधिक तीन वर्ष तक का पिछला बकाया	10.96%	2.11%
अन्य पार्टियों से तीन वर्ष से अधिक पिछला बकाया	100.00 %	100.00 %
व्यक्तिगत आधार पर विशिष्ट ऋण जोखिम हानि	100.00 %	100.00 %

कंपनी को प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए निम्नलिखित से क्रेडिट जोखिम है:

(राशि मिलियन में)

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	सकल वाहक राशि	हानि भत्ता	सकल वाहक राशि	हानि भत्ता
ऋण देय नहीं है	0.00	0.00	0.00	0.00
अतिदेय ऋण	13,080.35	549.21	27,133.30	446.97
<b>कुल</b>	<b>13,080.35</b>	<b>549.21</b>	<b>27,133.30</b>	<b>446.97</b>

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में अनुमत हानि के लिए संचलन:

(राशि मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरूआत में शेष	446.97	284.75
वर्ष के दौरान संचलन	102.24	162.22
<b>वर्ष की अंत में शेष</b>	<b>549.21</b>	<b>446.97</b>

## (ii) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह खतरा है जिसमें कंपनी को उसकी वित्तीय देयताओं जो कि नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को देकर निपटाया जाता है से संबंधित दायित्व को पूरा करने में खतरा हो सकता है।

नकदी को बनाए रखने के लिए, जब भी देय हो, सामान्य एवं तनावपूर्ण दोनों परिस्थितियों में किसी अस्वीकार्य हानि अथवा कंपनी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाए बिना लिकिंडीटी को बनाए रखना कंपनी का प्रयास होता है।

कंपनी का मानना है कि इसकी नकदी की स्थिति, जिसमें कुल नकद (बैंक जमा लियन सहित और अर्जित व्याज को छोड़कर लेकिन देय नहीं है) शामिल है, प्रचालन से भविष्य के आंतरिक रूप से उत्पन्न धन राशि इसे व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में अपने भविष्य के ज्ञात दायित्व को पूरा करने में सक्षम कर सकती है।

कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रक्रिया की प्रबंधन द्वारा मॉनीटरिंग में निम्नलिखित शामिल है:

- दिन-प्रतिदिन की फंडिंग, जिसका भविष्य नकदी प्रवाह की मॉनीटरिंग के द्वारा प्रबंध किया जाता है ताकि दैनिक आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
- अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर आने वाले भविष्य में कंपनी की नकदी की स्थिति की व्यवस्था की जा सके।
- क्रेडिट के विभिन्न स्रोतों को बनाए रखना।

### नकदी जोखिम का कारण

रिपोर्टिंग डाटा में निम्नलिखित वित्तीय देयताओं की शेष संविदागत देय हैं। संविदागत नकद प्रवाह राशि कुल और बिना छूट के होती है तथा इसमें प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज शामिल है।

**31 मार्च 2021 को**

(राशि मिलियन में)

विवरण	अग्रानीत राशि	संविदात्मक नकद प्रवाह				
		1 वर्ष तक	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
वर्तमान						
व्यापार देय	4,516.50	4,516.50	-	-	-	4,516.50
अन्य वित्तीय देयताएं	30,664.36	30,664.36	-	-	-	30,664.36

**31 मार्च 2020 को**

(राशि मिलियन में)

विवरण	अग्रानीत राशि	संविदात्मक नकद प्रवाह				
		1 वर्ष तक	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
वर्तमान						
व्यापार देय	659.55	659.55	-	-	-	659.55
अन्य वित्तीय देयताएं	27,485.23	27,485.23	-	-	-	27,485.23

### (iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम यह है कि बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य और वित्तीय साधनों के भविष्य में नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव हो सकता है। बाजार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम शामिल है—मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है कि अधिकतम रिटर्न के समक्ष बाजार जोखिम को स्वीकार्य पैरामीटर के अंदर प्रबंधन एवं नियंत्रण में रखा जा सके।

#### क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधन का भावी नकद प्रवाह बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। कंपनी पर कोई उधार नहीं है।

#### ख. मुद्रा जोखिम

मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधन का भविष्य में नकद प्रवाह विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन होने पर उतार–चढ़ाव होता है। वर्तमान विदेशी मुद्रा दर में उतार–चढ़ाव होने का असर कंपनी की वित्तीय स्थिति और नकद प्रवाह पर पड़ता है। अनावृत्ति मुख्य रूप से कार्यात्मक मुद्रा और कंपनी की परिचालन गतिविधियों से अन्य मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है।

31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च, 2020 के अनुसार कंपनी की मुद्रा जोखिम का परिमाणात्मक आंकड़ा नीचे दिया गया है:

**31 मार्च 2021 को**

विवरण	यूएसडी	ईयूआर	जीबीपी	एईडी	एनपीआर	ओएमआर	एसजीडी	टीएचबी	सीएचएफ	क्यूएआर	एयूडी
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नकद और नकद समानक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उधार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च 2020 को

विवरण	यूएसडी	ईयूआर	जीबीपी	एईडी	एनपीआर	ओएमआर	एसजीडी	टीएचबी	सीएचएफ	क्यूएआर	एयूडी
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नकद और नकद समानक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उधार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्ट बनाए जाने की तिथि पर भारतीय रुपए के अमरिकी डॉलर के मुकाबले (5%) से मजबूत / (कमजोर) होने पर लाभ अथवा हानि और अमरिकी डालर में वित्तीय साधनों के मापन में फर्क हो सकता है। इस विश्लेषण में अन्य सभी परिवर्तनीय विशेषकर ब्याज दर स्थिर माना गया है और भविष्य की बिक्री और खरीद पर कोई प्रभाव शामिल नहीं हैं।

भारतीय रुपए में प्रभाव (कर से पूर्व)	लाभ या हानि	
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	मजबूत होना	कमजोर होना
0.5% परिवर्तन	शून्य	शून्य
यूएसडी	शून्य	शून्य
भारतीय रुपए में प्रभाव (कर से पूर्व)	लाभ या हानि	
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	मजबूत होना	कमजोर होना
0.5% परिवर्तन	शून्य	शून्य
यूएसडी	शून्य	शून्य

#### 43. भारतीय लेखा मानक 115: निष्पादन दायित्व और शेष निष्पादन दायित्व

शेष निष्पादन दायित्व का प्रकटीकरण, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पहचान किए जाने वाले व्यवहार किमत की समुच्चय राशि को दर्शाता है और कब कंपनी इस राशियों को राजस्व के रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा रखती है, इसका स्पष्टीकरण देता है। शेष निष्पादन दायित्व अनुमान परिवर्तनीय है और अनुबंध की समाप्ति, अनुबंध के दायरे में परिवर्तन आदि कारकों से प्रभावित है।

दिनांक 31 मार्च, 2021 को पूरी तरह से या आंशिक रूप से असंतुष्ट निष्पादन दायित्वों का समुच्चय मूल्य शून्य है (31 मार्च, 2020 को शून्य रु.)।

#### 44. कोविड-19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान:

प्राप्तियों की वहन राशि पर कोविड-19 से संबंधित महामारी के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभाव पर कंपनी ने ध्यान रखा है। इस महामारी के कारण, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में भविष्य की संभावित अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में, कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि में क्रेडिट रिपोर्ट और संबंधित जानकारी, आर्थिक पूर्वानुमान सहित सूचना के आंतरिक और बाहरी स्त्रोतों का उपयोग किया है। कंपनी ने उपयोग की गई धारणाओं पर संवेदनशीलता विश्लेषण किया है और वर्तमान अनुमानों के आधार पर उम्मीद है कि इन परिसंपत्तियों की वहन राशि वसूल की जाएगी। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का प्रभाव वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के तिथि के अनुमानों से भिन्न हो सकता है।

#### 45. कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान:

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने न्यायमूर्ति डी.एम. धर्माधिकारी (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) को विलय की गई कंपनी के कार्य बल के सामंजस्य और युक्तिकरण के तरीकों और साधनों का सुझाव देने के लिए समिति गठित की है।

उपरोक्त समिति ने सभी कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के मूल वेतन (आरबीपी) में सभी कर्मचारियों की अलग-अलग तारीख से संशोधन की सिफारिश की है। एआईईएसएल के गठन पर, एअर इंडिया लिमिटेड ने कुछ स्थायी कर्मचारियों को एआईईएसएल में स्थानांतरित कर दिया था।

2019–20 के दौरान, एअर इंडिया ने न्यायमूर्ति धर्माधिकारी समिति (जेडीसी) की सिफारिशों के आधार पर स्थानांतरित कर्मचारियों के प्रति दायित्व का प्रावधान करने के लिए एआईईएसएल को सूचित किया है।

तदनुसार, एअर इंडिया लिमिटेड की उस सिफारिश के आधार पर, कंपनी ने उसी के प्रति देयता का अनुमान लगाया था और कुल प्रावधान रु. 516.20 मिलियन (पिछले वर्ष: शून्य रुपए) किया गया है।

तदनुसार, अक्टूबर, 2014 से दिसंबर, 2015 की अवधि के लिए अनुमानित देयता रु. 516.20 मिलियन क्रेडिट करके वित्तीय वर्ष 2019–20 में अपवाद मद के रूप में व्यय के लिए प्रावधान—कर्मचारियों को खुलासा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 की चूक को वर्ष 2019–20 के लिए प्रभावित वित्तीय विवरण लाइन आइटम को पुनःस्थापित कर सुधारा गया है।

पीएलआई की 25% की कटौती जुलाई, 2012 में लागू की गई थी और जुलाई, 2012 से सितंबर, 2014 की अवधि के लिए देयता (अर्थात् 1 अक्टूबर, 2014 से एआईईएसएल में इंजीनियरिंग कर्मचारियों को स्थानांतरित करने से पहले) एअर इंडिया की बहियों में प्रदान की गई है।

31 मार्च, 2020 तक दिए गए आंकड़ों के विवरण को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि मिलियन में)

लाभ और हानि खाते का विवरण	31 मार्च, 2020 तक शेष राशि	समायोजन	31 मार्च, 2020 तक पुनर्निर्धारित शेष राशि
असाधारण मर्दें	-	516.2	516.2
कुल व्यापक आय	758.6	-516.2	242.4
<b>तुलन पत्र</b>			
अन्य इकिवटी	-23453.3	-516.2	-23969.5
गैर वर्तमान प्रावधान	0.00	-516.2	-516.2

46. एआईईएसएल ने 4 मार्च, 2021 को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के साथ विशेष अतिरिक्त खंड उडानों (एसईएसएफ) दो बी-777 ईआर विमानों के प्रचालन और रखरखाव के उद्देश्य से प्रभावी तिथि से पांच वर्ष की लंबी अवधि के रखरखाव समझौते (एलटीएमए) पर हस्ताक्षर किए हैं। एलटीएमए की प्रभावी तिथि 28 मार्च, 2021 है।
47. कंपनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि या भारत में विभिन्न स्थानों पर होलिडंग कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर निर्मित हैंगर के हस्तांतरण की प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूरी होने की संभावना है।
48. कंपनी का नाम एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड से एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड में 03.08.2020 से बदल दिया गया है।
49. प्रति शेयर कमाई

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ / (हानि) (मिलियन रुपए में)	(95.81)	770.40
इकिवटी शेयरों की भारित औसत संख्या	166,666,500	166,666,500
ईपीएस (रुपए प्रति शेयर) (मूल)	(0.57)	3.33
ईपीएस (रुपए प्रति शेयर) (तनुकृत)	(0.57)	3.33

50. प्रावधान का विवरण इस प्रकार हैः—

जीएल कोड	विवरण	31 मार्च 2020 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान उपयोग / परिवर्तन	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	समूहीकरण के लिए किया गया समायोजन	31 मार्च 2021 को अंतिम शेष राशि
1107001000	उपदान देयता के लिए प्रावधान	3,222.9	-516.7	370.1	-	3,076.3
1107002000	छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	2,218.1	-305.8	145.9	-	2,058.3
1107003000	चिकित्सा दायित्व के लिए प्रावधान	2,273.1	-	61.1	-	2,334.2
1107003010	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान	-	-	-0.7	-	-0.7
1109001235	व्यय के लिए प्रावधान—स्टोर और स्पेयर	11.8	-0.2	-	-	11.6

1109001245	व्यय के लिए प्रावधान—अन्य (व्यापार)	1.6	-0.1	-	-	1.5
1110004400	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान	541.3	-28.7	0.0	-0.0	512.5
1110004410	व्यय के लिए प्रावधान—अन्य (गैर—व्यापार)	1,908.8	-1,553.3	1,179.5	-286.5	1,248.4
	<b>कुल</b>	<b>10,177.54</b>	<b>-2,404.78</b>	<b>1,755.91</b>	<b>-286.46</b>	<b>9,242.2</b>

51. जहां कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से/पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
52. पिछले वर्ष के आंकड़ों को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III और भारतीय लेखा मानक में निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार, उपलब्ध होने और सूचना संकलन के लिए आवश्यक होने के अनुसार, जहां भी आवश्यक हो, फिर से समूहीकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

तुलन पत्र तथा लाभ—हानि खातों के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियां तथा उपर्युक्त टिप्पणियों के लिए हस्ताक्षर।

संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के लिए और उनकी ओर से

प्रकाश चंद्र जैन एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002438सी

हस्ता/—

प्रतिभा शर्मा

पार्टनर

सदस्यता सं. 400755

यूटीआईएन: 20400755AAAACA5751

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 26 अगस्त, 2021

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/—

राजीव बंसल

अध्यक्ष

डीन नं 00245460

हस्ता/—

वी इ पटवर्धन

निदेशक

डीन नं. 08701559

हस्ता/—

अरुण कुमार बंसल

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/—

गगन बतारा

कंपनी सचिव

एसीएस – 19523

हस्ता/—

कपिल असरी

मुख्य वित्तीय अधिकारी





